माला, खंड 48, अंक 11
d Series, Vol. XLVIII, No. 11

गुरुवार, 18 नवम्बर, 1965/27 कार्तिक, 1887 (शक)
Thursday, November 18, 1965 Kartika 27, 1887 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

[खंड 48 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 11—गुरुवार, 18 नवम्बर, 1965/27 कार्तिक, 1887 (शक)

No. 11—*Thursday, November* 18, 1965/*Kartika* 27, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
298	चौथी योजना में प्रतिरक्षा के लिये धन व्यवस्था	Funds for Defence in Fourth Plan	931-933
299	कृषि ऋण निगम	Agricultural Credit Corporation	934-935
300	महानगरों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकतायें	Transport requirements of Metropolitan Cities . . .	935-936
302	परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति	Committee on Transport Policy and Co-ordination . . .	936-938
303	विदेशों से आर्थिक सहायता	Economic Aid from Abroad .	938-941
304	उपचारिकाओं (नर्सों) को प्रशिक्षण	Training of Nurses . . .	942-945
305	वाटर मार्क वाले कागज के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Spent on Import of Water-mark paper .	945-946
306	सरकारी भवनों की मरम्मत तथा पुताई	Repairs and White Washing of Government Buildings .	946-948
307	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति	Foreign Exchanges Position .	948-950
308	कृषि पुनर्वित्त निगम	Agricultural Refinance Corporation	950-951

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या Q. Nos.			
301	सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुयें	Goods seized by Customs Authorities	951-952
309	भूमि सुधार	Land Reforms	952
310	कृष्णा-गोदावरी जल-विवाद	Krishna-Godavari Waters Dispute	952
311	पाकिस्तान द्वारा देय ऋण	Debts due from Pakistan .	953
312	औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम	Industrial Credit and investment Corporation . . .	953
313	विदेशों में रहने वाले भारतियों द्वारा धन भेजना	Remittance of money by Indians abroad	953-954

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
314	केन्द्रीय आवास वित्त निगम	Central Housing Finance Corporation	954
315	डीज़ल लोकोमोटिव वर्कशाप, वाराणसी	Diesel Locomotive Workshop, Varanasi	954
316	आयुर्वेद तथा होमियोपेथी में अनुसन्धान	Research in Ayurveda and Homoeopathy	955
317	चिकित्सा कालिजों में सुरक्षित स्थान	Reserved Seats in Medical Colleges	955
318	नागपुर के मेसर्स श्रीराम दुर्गा प्रसाद	M/s Sriram Durga Prasad of Nagpur	955
319	चौथी योजना में खाद्यान्न का उत्पादन	Production of Foodgrains in Fourth Plan	955–956
320	दिल्ली में खाद्य पदार्थों में मिलावट	Adulteration of Foodstuffs in Delhi	956
321	बस्तियों पर किये जाने वाले व्यय की ऊपरी सीमा	Upper Limit for expenditure on Townships	956
322	"लिफ्ट चैनल प्रोजेक्ट"	Lift Channel Project .	956–957
323	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme .	957
324	इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर में विस्फोट	Explosion in Indraprastha Power Station	957–958
325	केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय	C.G.H.S. Dispensaries .	958
326	भारतीय सिक्कों का चोरी छिपे विदेशों को भेजा जाना	Smuggling of Indian Coins Abroad	958–959

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
835	परिवार पेंशन योजना	Family Pension Scheme . .	959
836	आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण	Flood Control in Andhra Pradesh	959
837	कोचीन के लिये जल तथा जल-निःसारण योजना	Water and Drainage Scheme for Cochin	959–960
838	गन्दी बस्ती हटाने सम्बन्धी योजनायें	Slum Clearance Schemes . .	960
839	पश्चिमी जर्मनी में नर्सों को प्रशिक्षण	Training of Nurses in West Germany	960
840	उत्तर प्रदेश की योजना	Plan for U.P. . .	960–961
841	पोंग बांध से हटाये गये व्यक्ति	Pong Dam Oustees . . .	961
842	नेफा तथा सीमान्त क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकानों को अपने कब्जे में रखा जाना	Retention of Accommodation by Central Government employees posted in NEFA and Border Areas	961
843	निम्न आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण	Loans under Low Income Group Housing Scheme . . .	961

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
844	खान-पान गृहों में अस्वास्थ्य कर स्थिति	Unhygenic conditions in Eating Houses	962
845	कांस्टीट्यूशन हाउस स्थल	Constitution House Site	962
846	कृषि-आय का सर्वेक्षण	Survey of Agricultural Incomes	962–963
847	सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling .	963
848	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres .	963
849	प्रबन्धक एजेंसियों का विस्तार	Extension of Managing Agencies	963
850	विदेशों में जाने वाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Students Abroad	963–964
851	राजघाट स्मारक	Rajghat Memorial . .	964
852	लोक-कार्य क्षेत्र	Lok Karya Kshetras . . .	964–965
853	शहरी सामुदायिक विकास	Urban Community Development	965
854	उत्तर प्रदेश में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मचारी	Medical and Health Personnel in U.P.	965
855	नेहरूजी की स्मृति में जारी किये गये सिक्के	Nehru Commemorative Coins .	965–966
856	"सिक्योरिटी पेपर" का आयात	Import of Security Paper .	966
857	चेचक	Small-Pox.	966
858	राष्ट्रमण्डल चिकित्सा सम्मेलन	Commonwealth Medical Conference	966–967
859	राजधानी में मकानों की कमी	Shortage of Houses in Capital	967
860	सरकारी आयात का आवंटन	Allotment of Government Accommodation . . .	968
861	पाकिस्तानी बमबारी से जख्मी हुए लोगों के लिए चिकित्सा सहायता	Medical Relief for Victims of Pak. Bombing . . .	968–969
862	सेकूलर को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली	Secular Co-operative House Building Society Limited, New Delhi	969
863	युद्ध जोखिम बीमा	War Risk Insurance . . .	969
864	राजस्थान में आय-कर का अपवंचन	Evasion of Income-tax in Rajasthan	969
865	पाकिस्तानी हमले में मरे असैनिक व्यक्तियों को अवार्ड	Awards to Civilians killed during Pak. Aggression . . .	969–970
866	पंजाब में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	Flood Control Schemes in Punjab	970
867	जहाज-निर्माण	Ship-building	970
868	नहर-क्षेत्रों में खेती के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन	Incentives to Industrialists for Cultivation in Canal Areas	970–971

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
869	ऊर्जा (एनर्जी) सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन	Energy Survey Committee Report	971
870	भवन निर्माण कारखाने	Housing Factories	971
871	नज़फगढ़ नाला, दिल्ली	Najafgarh Drain, Delhi	971–972
872	दिल्ली में मोटरगाड़ी खड़ी करने के स्थान	Parking Sites in Delhi	972–973
873	स्टट बैंक द्वारा पेशगियां दिया जाना	Issue of Advances by State Bank	973
874	पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास कार्य	Development Work in Eastern U.P.	973
875	पाकिस्तान को चोरी छिपे माल ले जाना	Smuggling of goods to Pakistan	973–974
876	आन्ध्र प्रदेश में समुद्र सें भूमि के कटाव को रोकने के उपाय	Anti-Sea erosion measures in Andhra Pradesh	974
877	आसाम को सहायता	Assistance to Assam	974
878	विदेशों के साथ किये गये ऋण-समझौते	Loan agreement signed with Foreign Countries	974–975
880	लोदी हाउस होस्टेल, नई दिल्ली	Lodhi House, New Delhi	975
882	जम्मू तथा काश्मीर में सलाल जल-विद्युत परियोजना	Salal Hydro. Electric Project J. & K.	975
883	योजना गोष्ठियां	Planning Forums	975–976
884	उड़ीसा की सिंचाई और विद्युत क्षमता	Irrigation and Power Potential of Orissa	976
885	बल्लमेला बांध परियोजना	Ballemela Dam Project	976–977
886	उड़ीसा में मकान बनाने के लिये ऋणों का मंजूर किया जाना	Sanctioning of House-building Loans in Orissa	977
887	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres	977
888	मद्रास में ग्रामीण आवास	Rural Housing in Madras	977–978
889	श्रीलंका को सहायता	Aid to Ceylon	978
890	पूर्वी तट पर तस्कर व्यापार	Smuggling on Eastern coast	978
891	आयकर अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Income Tax Officers	979
892	आन्ध्र प्रदेश में छोटे सिंचाई कार्यों के लिए सहायता	Assistance for Minor Irrigation works in Andhra Pradesh	979
893	आपातकालीन और आग बीमा का प्रीमीयम	Emergency and Fire Insurance Premium	979–980
894	पंडारा रोड, नई दिल्ली के फ्लैट	Flats on Pandara Road, New Delhi	980
895	नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों में हैंड पम्प	Hand Pumps in Government Colonies, New Delhi	980–981

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
896	परिवार कल्याण कार्यकर्ता	Family Welfare Workers	981
897	मकान बन्धक निगम	House Mortgage Corporation .	981
898	परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Clinics	981
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance—	
	दिल्ली को दी जा रही बिजली में 50 प्रतिशत की कटौती करने का पंजाब सरकार के निश्चय का समाचार—	Reported decision by Punjab Government to cut by half electricity supply to Delhi—	
	श्री यशपाल सिंह	Shri Yash Pal Singh .	982
	डा० कु० ल० राव	Dr. K. L. Rao . .	982–984
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	985–986
	सीमेंट से नियंत्रण हटाने के बारे में वक्तव्य—	Statement re : Decontrol of Cement—	
	श्री त्रि० ना० सिंह	Shri T. N. Singh	986
	दिल्ली प्रशासन विधेयक—पुरःस्थापित	Delhi Administration Bill—Introduced	987
	सभा का कार्य	Business of the House .	987–988
	करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	Taxation Laws (Amendment and Miscellaneous Provisions) Bill—	
	खण्ड 2 से 9 और 1	Clauses 2 to 9 and 1	988–989
	पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
	श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat .	989, 994
	श्री रंगा	Shri Ranga . .	289–990
	श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	990–991
	श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	991
	श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	991
	श्री बड़े	Shri Bade	992
	श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai . .	992–993
	श्री काशी राम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	993
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	993–994
	श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	994
	अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1965–66—	Demands for Supplementary Grants (General), 1965-66—	
	श्री रंगा	Shri Ranga .	997–998

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das	998–999
श्री म० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav	999
श्री बडे	Shri Bade	999–1001
श्री त्रि० ना० सिंह	Shri T. N. Singh	1001
श्री हेम राज	Shri Hem Raj	1002
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta	1002–03
श्री वेंकटासुबय्या	Shri P. Venkatasubbaiah	1003
श्री उटिया	Shri Utiya	1003
श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah	1003–04
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	1004
श्री व० बा० गांधी	Shri V. B. Gandhi	1004
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	1004–05
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	1005–06
श्री सुब्बरामन	Shri Subbaraman	1006–07
श्री मुथिया	Shri Muthiah	1007
श्री मानसिंह पृ० पटेल	Shri Man Singh P. Patel	1007
श्री दा० रा० चव्हाण	Shri D. R. Chavan	1007–08
श्री त्यागी	Shri Tyagi	1008–09
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	1009
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	1009–10
विनियोग (संख्या) 5 विधेयक, 1965— पुर: स्थापित——	Appropriation (No. 5) Bill, 1965 Introduced—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	1012–13

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 18 नवम्बर, 1965/27 कार्तिक, 1887 (शक)

Thursday, November 18, 1965/Kartika 27, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Funds for defence in Fourth Plan

+

***298. Shri Yashpal Singh :**
Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himmatsingka :
Shri Bhanu Prakash Singh:
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Basappa :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide more funds for defence during the Fourth Plan; and

(b) if so, the total amount likely to be made available therefor?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) & (b). Funds for defence do not form part of the Five-Year Plans.

Shri Yashpal Singh : Can the Government state the extent to which they had to reallocate the funds in view of the present emergency?

Shri B. R. Bhagat : We are already engaged in this work but it will be difficult to give any information about it at the moment.

Shri Yashpal Singh : As the hon. Prime Minister has stated that more attention will be paid to agriculture instead of major industry, may I know the increase in percentage of allocation for agriculture?

Shri B. R. Bhagat : In the next year we plan to increase the allocation for agriculture by 40 to 45 per cent as compared to last year.

श्री हिम्मतसिंहका : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिरक्षा की आवश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में बहुत क्षमता बेकार पड़ी है, क्या सरकार ने उन्हें अपनी आवश्यकतायें बताने के लिए कोई व्यावहारिक कदम उठाया है ताकि कम धन से ही काम चल जाये ?

श्री ब० रा० भगत : प्रतिरक्षा की आवश्यकतायें ?

Shri M. L. Dwivedi : May I know the details of the provision made in the Fourth Five Year Plan for production of defence equipment and other material in the various industries?

Shri B. R. Bhagat : There is no need to make any provision in the Plan for it. In view of the emergency, Defence Ministry has worked out the details of the defence requirements and various committees of the Planning Commission are looking into them and efforts would be made to meet the future requirements also.

Shri Raghunath Singh : May I know whether there is a plan for defence and if so, the amount allocated for that?

Shri B. R. Bhagat : I have only said that the defence plan is not part of the Five Year Plan.

Shri Bade : May I know whether it is proposed to reduce the period of Five Year Plans to one year in view of the defence requirements?

Shri B. R. Bhagat : We have given a comprehensive statement, wherein all these details have been given.

Shri Vishram Prasad : May I know the amount collected to fill in the defence gap and the sources from which it has been collected and whether it will have no repercussions on the Five Year Plan?

Shri B. R. Bhagat : Only the other day the Defence Minister had made a statement regarding the defence plan and had stated that our defence plan will be of Rs. 5,000 crores during the Fourth Five Year Plan period and as I have stated the details regarding defence requirements, equipment, transport etc. have been worked out and are being examined. All the future requirements will also be met.

श्री वारियर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या चौथी योजना में आयुध कर्मशालाओं में वर्तमान संयंत्रों तथा मशीनों में वृद्धि करने के लिये कोई राशि नियत की गई है ?

श्री ब० रा० भगत : जो भी आवश्यक है वह प्रतिरक्षा मंत्रालय कर रहा है ।

Shri Madhu Limaye : Will the happenings that took place in September not effect the entire Fourth Five Year Plan and if so, will the Fourth Plan be reoriented with a view to produce the entire or maximum quantity of defence material indigenously?

Shri B. R. Bhagat : It is bound to have its effect but the nature and extent would be discussed between the Defence Ministry and Planning Commission.

Shri Ram Sewak Yadhav : May I know the foreign exchange content for the Defence Plan and whether we have enough resources for that?

Shri B. R. Bhagat : The Prime Minister had stated that according to present indications the foreign exchange content of the Rs. 5,000 crores Plan will be about 14 per cent.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या समुचित विदेशी सहायता न देने के विदेशों के निर्णय से चौथी योजना की हमारी प्रतिरक्षा परियोजना में रूकावट नहीं पड़ेगी और यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है ?

श्री ब० रा० भगत : इस बारे में हम आत्म-निर्भर बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। जितनी भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी हम उसे अपने साधनों से पूरा करने का प्रयत्न करेंगे या उसमें सुधार करेंगे। इस दिशा में हमने कदम उठाये हैं।

Shri A. P. Sharma : Will he give details of expenditure on minor irrigation schemes and lay on the Table the Statewise allocation of the 40 per cent additional expenditure on agriculture in this Plan?

Shri B. R. Bhagat : The details of the plan for the next year are being worked out and the same would be laid on the Table when finalised.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिरक्षा योजना को छोड़कर शेष योजना को प्रतिरक्षा अभिमुख बनाने के लिए, जिसके बारे में प्रतिरक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया है, क्या कोई प्रयास किये जा रहे हैं और यदि ऐसा किया जाता है, तो यह किस प्रकार किया जायेगा और सारी योजना को प्रतिरक्षा अभिमुख बनाने के लिए कार्य-प्रबन्ध का ब्यौरा क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : प्रतिरक्षा-अभिमुखीकरण का अर्थ यह है कि हमें अपनी प्रतिरक्षा क्षमता बनाने के लिए आवश्यकताओं का निश्चय करना होगा। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अपनी आवश्यकतायें हमें बताई हैं। हम उन पर विचार कर रहे हैं।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मैं जानना चाहता हूँ कि प्रतिरक्षा के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चौथी योजना के लिए नियत राशि में कितनी कमी की जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय का ध्यान भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री के, जो 1962 में सेना की असफलता के लिए यदि पूर्णरूप से नहीं तो मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने प्रतिरक्षा तैयारी की आलोचना की है और हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए उन्हें सूचना चाहिए।

श्रीमती सावित्री निगम : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग और प्रतिरक्षा मंत्रालय योजना के अभिमुखीकरण पर विचार कर रहे हैं। क्या ऐसे करने से पहले योजना आयोग ने कोई प्राथमिकतायें अथवा मानक निर्धारित की हैं ?

श्री ब० रा० भगत : नई स्थिति को देखते हुए प्राथमिकताओं में परिवर्तन किये गये हैं। प्रतिरक्षा पहली प्राथमिकता है और उस पर ध्यान दिया जा रहा है।

Agricultural Credit Corporation

+

*299. **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shri D. N. Tiwary :**
Shri Bagri : **Shri M. Malaichami :**
Shri Madhu Limaye : **Shri Brij Raj Singh :**
Shri Subodh Hansda : **Shri Himmatsingka :**
Shri Yashpal Singh : **Shri Rameshwar Tantia :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up Agricultural Credit Corporations in some States;

(b) if so, the aims for setting up these Corporations; and

(c) the names of the States in which these will be set up?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : मामला विचाराधीन है।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether any priority will be given to the economically backward States in setting up these corporations or they will be set up in all the States on the basis of equality?

Shri B. R. Bhagat : At present it has been recommended that such corporations may be set up in five States, Assam, Bihar, Orissa, West Bengal, Rajasthan and the Union Territories of Manipur and Tripura, where adequate cooperative credit facilities are not available so that farmers may get more credit. Before taking a decision State Governments will be consulted.

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether any distinction will be made between Zamindars, Bhoomidhars and general farmers in grant of credit or credit will be available to all the agriculturists and whether some such categorisation will be made so that small cultivators are given credit essentially; if so, whether the credit will be provided against any security or against land?

Shri B. R. Bhagat : In field of cooperative credit also, one difficulty has been felt that farmers owning bigger areas of land get higher loans. Therefore, efforts would be made to provide credit against the security of crops also.

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has said that credit will be made available against crops. I would like to know whether this practice will be applied in all the States and w.e.f. which season ?

Shri B. R. Bhagat : Arrangements are being made in other States to provide credit against crops through cooperative societies.

Shri Yashpal Singh : May I know the distinction in the functions of this corporation and the Agriculture Refinance Corporation?

Shri B. R. Bhagat : This Corporation will provide short-term credit whereas Refinance Corporation provides long-term and medium term loans.

Shri Himmatsingka : May I know the arrangements being made to provide credit to agriculturists of Bihar pending the formation of this corporation?

Shri B. R. Bhagat : At present there are arrangements for credit through Cooperative Societies and Cooperative Banks but it was thought that there should be such a corporation in Bihar.

श्री मानसिंग पृ० पटेल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय संगठन पशुपालन, विशेष रूप से दुग्धशाला योजनाओं के लिए वित्त प्रदान नहीं कर रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का विचार दुग्धशाला के कार्य को इस ऋण निगम के अन्तर्गत रखने का है ?

श्री ब० रा० भगत : यदि यह इस योग्य होगा, यदि अल्पकालीन कार्य होगा तो वित्त प्रदान किया जायेगा; यदि यह दीर्घकालीन कार्य होगा तो उसके हेतु वित्त प्रदान करने के लिए अन्य एजेन्सियां हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : In Rajasthan, Cooperative Banks also provide short-term loans. Therefore, I want to know what will be the distinction between the two and what special type of short-term credit will be provided by this Corporation?

Shri B. R. Bhagat : The credit provided by Cooperative Societies in Rajasthan has been considered inadequate. Therefore, this Corporation will supplement it.

Shri Kashi Ram Gupta : Sir, my question was as to why two agencies will be needed for this work & why one agency will not suffice for it.

महानगरों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकतायें

+

*300. **श्री श्रीनारायण दास :**

श्री कर्णी सिंहजी :

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति ने चार बड़े नगरों, अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और विभिन्न नगरों के भाड़ा-ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिये एक विशेषज्ञ अध्ययन दल बनाया है ; और

(ख) उनका प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित होने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। योजना कार्य समिति ने बड़े नगरों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए एक विशेषज्ञ अध्ययन दल गठित किया है। अध्ययन दल के विचारणीय विषयों तथा गठन के बारे में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 5178/65।]**

(ख) अध्ययन दल की पहली औपचारिक बैठक हाल ही में हुई है और कार्य की सीमा एवं विस्तार का अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में यह बताना कठिन है कि प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित हो जायेगा।

श्री श्रीनारायण दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि योजनाओं को क्रियान्वित करने में कोई बचत अथवा परिवर्तन करने के बारे में पता लगाने के उद्देश्य से विद्यमान परियोजनाओं की जांच करने का कार्य (पंच वर्षीय) योजना की परियोजना सम्बन्धी समिति को सौंपा गया है, मैं

जानना चाहता हूँ कि योजना की परियोजना सम्बन्धी समिति ने किन बातों को ध्यान में रखकर यह अध्ययन दल बनाया है ?

श्री ब० रा० भगत : योजना की परियोजना सम्बन्धी समिति के कार्य तथा क्षेत्र विद्यमान परियोजनाओं में बचत का पता लगाने तक ही सीमित नहीं है। इस अध्ययन दल का उद्देश्य परिवहन आवश्यकताओं, जटिलताओं और परिवहन के विभिन्न साधनों के परिणामस्वरूप, नवीकरण की समस्या का अध्ययन करना होगा।

श्री श्रीनारायण दास : विवरण देखने से पता चलता है कि इन चार शहरों में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले निकायों के प्रतिनिधियों को इस समिति में नहीं रखा गया है। इसके क्या कारण हैं कि परिवहन से संबंधित कार्यों के करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इसमें नहीं रखा गया है ?

श्री ब० रा० भगत : समिति में सभी विशेषज्ञों को रखा गया है चाहे वे रेलवे के हों अथवा परिवहन मंत्रालय के हों अथवा विभिन्न अन्य निकायों के हों। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य अन्य कौन से प्रतिनिधि चाहते हैं।

श्री वारियर : म जानना चाहता हूँ कि क्या वित्त मंत्रालय में बनाये गये विशेष 'सेल' ने महानगरों में पहले ही से विद्यमान परिवहन साधनों की कुशलता, अर्थव्यवस्था और क्षमता का उपयोग न किए जाने के बारे में अध्ययन किया है ? अध्ययन का परिणाम क्या है और उनपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसा केवल इन चार शहरों के लिए किया गया है, जिनकी विशेष प्रकार की समस्यायें हैं और जो आने वाले वर्षों में बढ़ेंगी। हमें उन समस्याओं के स्वरुप का अध्ययन और जांच करनी है।

Shri Sheo Narain : May I know whether this committee will also consider the introduction of tramways in Delhi and when it will submit its report?

Shri B. R. Bhagat : It is for the Committee to consider. At the moment I cannot say when the report will be available.

श्री हेम बरूआ : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रेलवे मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार कलकत्ते में एक सर्कुलर रेलवे के प्रस्ताव को चौथी योजना में शामिल कर लिया गया है, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना अभी तैयार नहीं हुई है ; इसलिए इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री हेम बरुआ : इसको इसमें शामिल किया जायेगा अथवा नहीं।

श्री ब० रा० भगत : इसपर विचार हो रहा है।

परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति

\+

*302. **श्री स० चं० सामन्त :** **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री हेम राज :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री हेडा :**

क्या **योजना** मंत्री 26 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : समिति के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

श्री स० चं० सामन्त : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस समिति द्वारा दिये गये अन्तरिम प्रतिवेदन के अनुसार अन्तरिम उपाय किये गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इसके लिए मुझे सूचना चाहिये।

श्री स० चं० सामन्त : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस समिति के निर्देश-पद में प्रतिवेदन देने के लिए कोई समय-सीमा नियत की थी ; यदि हां, तो प्रतिवेदन पेश करने का समय कितनी बार बढ़ाया गया था ?

श्री ब० रा० भगत : यह सच है कि इस समिति ने प्रतिवेदन देने में आवश्यकता से अधिक समय लिया है ; लेकिन इसका भी एक इतिहास है। पहले प्रधान ने त्याग-पत्र दे दिया ; फिर, समिति के सदस्यों में परिवर्तन हुआ ; इसके बाद, वहां जो लोग थे वे अन्य कार्यालयों में चले गये और नये आदमी आ गये। लेकिन अब यह अन्तिम अवस्था में है।

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know what were the difficulties and complexities regarding transport policy and cooperation that prompted the Government to appoint this Committee and what facilities and amenities will be provided according to the report of this Committee ?

Shri B. R. Bhagat : It was considered necessary to appoint this Committee to look into such major complex issues such as transport policy, modes of transport, their rationalisation and economics.

Shri Hem Raj : During the recent conflict, the motor transport had played an appreciable role. Inter-state transport is also becoming popular. May I know whether Government will give encouragement to it?

Shri B. R. Bhagat : This does not fall under the purview of the Committee but what would be its role, Committee will certainly consider it.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हाल के भारत-पाक संघर्ष के दौरान अधिकांश राज्य सरकारों ने ट्रकों का अधिग्रहण कर लिया था और असैनिक यातायात बिल्कुल ठप्प हो गया था और यदि हां, तो क्या कोई समन्वित योजना तैयार की जा रही है ताकि प्रतिरक्षा की आवश्यकतायें एक समन्वित एजेंसी द्वारा पूरी की जा सकें और जनता तथा असैनिक उद्योग व व्यापार की आवश्यकतायें भी पूरी हो सकें ?

श्री ब० रा० भगत : परिवहन मंत्रालय और प्रतिरक्षा मंत्रालय सामरिक आवश्यकताओं पर अवश्य विचार करेगा। इसका इस समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या देश की परिवहन नीति के प्रश्न पर विचार करने के लिए विश्व बैंक के एक प्रतिनिधि को भी सम्बद्ध किया गया था और यदि हां, तो क्या उसने भी एक रिपोर्ट दी है तथा उस रिपोर्ट का सारांश क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : उन्हें सलाहकार के रूप में रखा गया होगा। वे इस समिति में नहीं हैं। कोयला परिवहन के बारे में पहले एक दल था।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रेल-सड़क परिवहन के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के प्रश्न पर विचार करने का कार्य भी इस समिति को सौंपा गया है ?

श्री ब० रा० भगत : अध्ययन के विषयों में से यह भी एक है।

विदेशों से आर्थिक सहायता

+

*303. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री द्वीनेन भट्टाचार्य :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री मधु लिमये :
श्री हेम राज :
श्री राम हरख यादव :
श्री रा० बरुआ :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन देशों ने, जो अब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये आर्थिक सहायता दे रहे थे, भारत तथा पाकिस्तान के बीच संघर्ष आरम्भ होने के बाद हमें ऐसी सहायता देना बन्द कर दिया है;

(ख) क्या उन देशों से, जिन्होंने यह सहायता देना बन्द कर दिया है, हमारी ओर से अनुरोध किया गया है कि वे सहायता देना पुनः आरंभ करें; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कुछ देशों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, कनाडा और जापान के मामलों में, भारत सहायता संघ के इस वर्ष के वचन को ऋण-करारों में बदलने या ऐसे करारों के अंतर्गत संविदाओं की स्वीकृति देने में, पिछले दो महीनों में, देर हुई है।

जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का सम्बन्ध है, हमें सूचित किया गया है कि संशोधित कार्य-प्रणाली के अनुसार, नये ऋण या अनुदान देने से पहले अमरीकी कांग्रेस के सम्बद्ध सदस्यों से परामर्श करना आवश्यक होता है। जर्मनी के साथ भारत द्वारा किये जानेवाले सरकारी करार पर दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने 15 नवम्बर, 1965 को कच्चे तौर पर दस्तखत कर दिये हैं और अनुमान है कि करार पर नयी दिल्ली में नियमित रूप से, निकट भविष्य में ही हस्ताक्षर कर दिये जायंगे। दूसरे देशों के सम्बन्ध में, स्थिति अभी स्पष्ट रूप से नहीं बतायी गयी है।

(ख) और (ग) : दिये गये वचनों को शीघ्रता से ऋण-करारों में बदलने के प्रश्न पर सभी सम्बद्ध सरकारों से बातचीत की जा रही है। अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि इस में अभी कुछ और समय लगेगा।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जिन देशों ने पहले किये गये समझौतों के अन्तर्गत सहायता देना बन्द कर दिया है, उन्होंने इसका कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण दिया है? यदि हां, तो वे कारण क्या है?

श्री ब० रा० भगत : उन में से किसी ने भी औपचारिक रूप से यह नहीं कहा है कि वह सहायता स्थगित अथवा बन्द कर रहे हैं। यह मामला लटक रहा है और मैंने यह कहा है कि अमरिका के बारे में कारण बता दिया गया है जबकि अन्य मामलों में कारण नहीं बताया गया है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन देशों ने कोई संकेत नहीं दिया है, क्या उन से ऐसा करने के लिए कहा गया है ताकि वे इस पर विचार करें और शीघ्र निर्णय करें।

श्री ब० रा० भगत : हमारा उनके साथ लगातार सम्पर्क बना हुआ है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि जापान ने भारत को दिया जाने वाला छः करोड़ डालर का ऋण रोक दिया है जबकि ब्रिटेन पहला देश है जिसने 13 करोड़ रुपये का ब्याजरहित ऋण देना स्वीकार कर लिया है? यदि हां, तो क्या भारत सहायता सहचर्य के विभिन्न सदस्य देशों द्वारा सहायता देने की नीति तथा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन हुआ है।

श्री ब० रा० भगत : इस बात के निश्चित संकेत हैं कि इन वचनों को करारों में बदलने की भावना में परिवर्तन आ गया है। कारण स्पष्टतया नहीं बताया गया है परन्तु निश्चय ही यह दिखाई देता है कि कारण राजनैतिक है।

श्री जसवन्त मेहता : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि कुछ रुकावट और विलम्ब है परन्तु कारण मालूम नहीं है। भारत सहायता सहचर्य की पिछली बैठक के दौरान भी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि उन ऋणों के बारे में, जिनकी स्वीकृति दी जा चुकी है, शीघ्र निर्णय करने के लिए भारत सहायता सहचर्य के साथ उच्च स्तर पर कोई सम्पर्क स्थापित किया गया है।

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने कहा है, हम उनके साथ लगातार सम्पर्क बनाये हुये हैं।

श्री जसवंत मेहता : मेरा प्रश्न यह था कि क्या उच्च स्तर पर कोई सम्पर्क बनाया गया है।

श्री ब० रा० भगत : यह सम्पर्क सरकारी आधार पर है।

Shri Yashpal Singh : When we accepted aid from those countries, we had not entered into any agreement that we will not defend ourselves or take up arms to save our honour. Why should those countries not be exposed which are going against their agreement? Instead of making any modifications in our Fourth Plan, why should we not expose those countries in the United Nations or amongst other nations for putting unfair pressure against India.

Mr. Speaker : What will they do? What relief will we get if we say this in United Nations or elsewhere?

Shri Yashpal Singh : What change is being made in the five Year Plan?

Shri Madhu Limaye : During the discussion on the question of P.L. 480, the food Minister had stated that no political pressure has been brought to hear. I am happy that at least the Minister of Planning has acceded that economic aid has been suspended due to economic reasons. The minister has said that a pledge

was given but no regular agreement had been entered into. I would like to know whether breaking a pledge does not amount to violating a regular agreement from moral point of view? Will the Government of India raise this question with other Governments and take a concrete action in that direction?

Mr. Speaker : That was the question of Shri Yashpal Singh, which I ...

Shri Madhu Limaye : The Minister may be asked what action he proposes to take in this matter?

Mr. Speaker : What action can be taken?

Shri Madhu Limaye : If time and again it will happen?

Mr. Speaker : Nothing will happen.

Shri B. R. Bhagat : I have stated that no country has refused to honour it. Some time is taken in converting a promise into a regular agreement. In this case more time has been taken.

Mr. Speaker : What is the difference between a pledge and an agreement?

Shri B. R. Bhagat : It takes some time to enter into a legal agreement.

Shri Madhu Limaye : You pay according to the agreement.

Shri Hem Raj : Certain ministers and delegations have visited those countries recently. I would like to know whether they held any talk in that direction?

Shri B. R. Bhagat : No delegation went abroad in that connection.

Shri Ram Harakh Yadav : It appears from the reply of the Minister that those countries are silent over this matter. They have promised to give the loan but not they are keeping quiet and the agreement is not being entered into. May I hope that the agreement will be entered into and the loans will be given?

Shri B. R. Bhagat : I have said that we are in contact with them.

श्री श्यामलाल सर्राफ : माननीय मंत्री ने ब्रिटेन, कैनेडा, पश्चिमी जर्मनी और जापान जैसे जिन देशों का वर्णन किया है, उन्होंने सहायता का अपना अंश देने में विलम्ब किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि उन चार देशों के अपना अंश देने में विलम्ब करने के क्या कारण है। क्या यह किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव था अथवा उन्होंने इसके बिल्कुल भिन्न कारण बताये हैं।

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि मैंने बताया है, नई प्रक्रिया के अन्तर्गत अमरीका में कांग्रेस के सदस्यों से परामर्श करना पड़ता है। उन्होंने यही कहा है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं ब्रिटेन, कैनडा, पश्चिमी जर्मनी तथा जापान के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री ब० रा० भगत : मैंने भी कहा है कि जापान तथा पश्चिमी जर्मनी जैसे अन्य देशों ने कोई कारण नहीं बताये हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे कौनसे राष्ट्र-मण्डलीय देश हैं जो हमें पहले सहायता कर रहे थे और उन्होंने अब सहायता रोक दी है।

श्री ब० रा० भगत : कैनेडा और ब्रिटेन।

श्री रंगा : क्या सभा-पटल पर अब या कुछ समय बाद एक विवरण रखा जायेगा कि उन विभिन्न देशों से हमें कितनी राशि का वचन दिया गया था, कितनी राशि उपलब्ध हो चुकी है और कितनी राशि के सम्बन्ध में वार्ता चल रही है ताकि शेष राशि हमें मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य सभा-पटल पर रखा जाये।

श्री ब० रा० भगत : जी हां।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मैं जान सकती हूं कि कैनेडा के अनुदान के सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया गया है? क्या उन्होंने कोई ऐसे कारण बताये हैं जोकि उचित हैं या उन पर भी अमरीका और अन्य देशों का प्रभाव पड़ा है?

श्री ब० रा० भगत : यह अपना अपना विचार है। उन्होंने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताये हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वित्त मंत्री अपने हाल के दौरे के परिणामस्वरूप सोवियत संघ द्वारा अधिक सहायता की सम्भावना के बारे में कुछ बतायेंगे?

श्री ब० रा० भगत : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध भारत सहायता सहचर्य से है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। वह अभी हवाई अड्डे से लौटे हैं। माननीय मंत्री को कुछ समय मिलना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : उन्हें सभा को इस मामले के बारे में यथा सम्भव शीघ्र अवगत कराना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हवाई अड्डे से आने के इतना शीघ्र बाद नहीं। मैं उन्हें इस समय वक्तव्य देने के लिए नहीं कहूंगा।

श्री हेम बरुआ : सोवियत देश के अपने दौरे के बाद माननीय वित्त मंत्री इस सभा में उपस्थित है। इसलिये क्या हम इस समय इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? पहले जब हमने सोवियत सहायता के बारे में प्रश्न पूछे थे और हम उसके सम्बन्ध में जानना चाहते थे तो हमें बताया गया था कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। अब जबकि अधिक सहायता के बारे में अन्तिम निर्णय करने के बाद माननीय वित्त मंत्री सोवियत रुस से वापिस आ गये हैं, अब हमें इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मंत्री महोदय कुछ संक्षिप्त जानकारी दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री इस समय वक्तव्य देना चाहें, तो दे सकते है, अन्यथा वह बाद में ऐसा कर सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : वास्तव में, मैं इस समय वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हूं। मेरा बाद में ऐसा करने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उन्हें बाद में ऐसा करने का परामर्श दूंगा।

उपचारिकाओं (नर्सों) को प्रशिक्षण

*304. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान द्वारा पैदा की गई युद्ध-की-सी स्थिति से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने और उस से उत्पन्न आपात काल में कार्य करने के लिये उपचारिकाओं (नर्सों) को नियुक्त करने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्तमान आपातकाल की दृष्टि से नर्सों की भरती करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :–

(1) असैनिक हस्पतालों में नर्सों की सामान्य भर्ती के लिए एक बड़ा अभियान आरम्भ किया गया है । सशस्त्र सेनाओं में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करने वाले लोगों की भर्ती में शीघ्रता लाने के लिए चयन बोर्डों पुरा चयन का विकेन्द्रीकरण किया गया है ।

(2) केन्द्रीय तथा राज्य चिकित्सा सेवाओं के लिए असैनिक नर्सों की नियुक्ति की एक नई योजना लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत असैनिक नर्सों की तीन वर्षों के लिए सैनिक नर्सिंग सेवा में प्रतिनियुक्ति की जाती है । असैनिक सेवा में उनकी नियुक्ति का तिथि का ध्यान रखा जाता है । असैनिक सेवा में वापसी पर वरिष्टता, वेतन, पदोन्नति और सेवा निवृति वेतन के लिए उनकी सैनिक सेवा को शामिल किया जाता है ।

(3) सैनिक नर्सिंग सेवा में नियुक्ति की योग्यता के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त अर्थात् छात्री की अहता हटा दी गई है ।

(4) भर्ती में प्रोत्साहन देने के लिए असैनिक हस्पतालों में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों के जाने की स्वीकृति सरकार ने पहले ही दे दी है ।

(5) जो स्टाफ नर्स सैनिक सेवा के लिए आवेदन पत्र देती है और जिन्हें चून लिया जाता है, उनको जाने की अनुमति दे दी जाती है ।

(6) प्रशिक्षण के अन्तिम छः महीनों में नर्सिंग के विद्यार्थियों को सैनिक हस्पतालों में काम के लिये जाने की अनुमति दी जाती है ।

(7) नर्सों के प्रशिक्षण के लिये नई संस्थायें स्थापित करने और राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्रीय सहायता देकर विद्यमान संस्थाओं में प्रशिक्षण की सुविधाओं में वृद्धि के लिए पग उठाये जा रहे हैं । केन्द्रीय सहायता के साथ सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में 3,000 अतिरिक्त नर्सों और 3,000 अतिरिक्त सहायक-नर्स-दाईयों के प्रशिक्षण के लिए भी उपाय किये जा रहे हैं ।

श्री श्रीनारायण दास : इस विवरण से यह पता लगता है कि उठाये जाने वाले कदमों में से एक यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता से नर्सों के प्रशिक्षण की कुछ नई संस्थायें बनाई जायेंगी । क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में किन किन राज्यों ने मांग की है और केन्द्रीय सरकार उन्हें क्या सहायता दे रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : कोई मांग नहीं की गई है । हमने राज्यों को लिखा है कि इस दिशा में वे कार्यवाही करें । हमने इस मामले को भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के पास भी उठाया है ताकि वे अपने बड़े हस्पतालों का प्रयोग नर्सों के प्रशिक्षण के लिए करें ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में नर्सों की सेवा की शर्तें समान नहीं हैं और इस कारण कुछ राज्यों में लोग इस व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं और इसी कारण समानता की मांग की जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : यह सच है कि विभिन्न राज्यों में डाक्टरों, नर्सों और प्रशासनिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तें भिन्न भिन्न हैं। हमने कुछ समय पहले नर्सों की सेवा की शर्तों की जांच करने के लिए मंत्रियों की एक समिति स्थापित की थी और सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की थीं जिनमें से कुछ को लागू किया गया है जबकि कुछ सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं। मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध नर्सों की सैनिक सेवा के बारे में है जहां कि शर्तें समान हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I had raised this matter twice before and I request the hon. Minister again that certain capable nurses want promotion but the officers . . . .

Mr. Speaker : Where are those nurses ?

An Hon. Member : They are in Rohtak.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : The hon. Minister conducts the enquiry through officers.

Mr. Speaker : This question does not relate to nurses in general.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Those nurses are in Delhi. Will the hon. Minister conduct the enquiry herself and give them what is their due.

Mr. Speaker : There is no need to show such concern about them.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Nobody cares for them.

Mr. Speaker : If you are so sympathetic, you may raise it in some other manner.

श्री वारियर : क्या सरकार ने आपातकाल का सामना करने के लिए और अधिक लोगों को इस व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नर्सों के प्रशिक्षण की अवधि कम करने की कोई योजना बनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विवरण देख सकते हैं। विवरण में यह दिया हुआ है।

श्री वारियर : मैंने विवरण पढ़ा है। उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उस में कुछ उपायों का उल्लेख है।

श्री वारियर : मैंने विवरण देखा है परन्तु इस विशेष बात के बारे उस में कोई उल्लेख नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadav : At the time of chinese aggression in 1962, a scheme was formulated to meet the demands of war, by shortening the period of training for doctors and nurses. May I know what action has ben taken on that scheme so far. Has the scheme been advanced further or has if been abandoned.

Dr. Sushila Nayar : The Medical Council had recommended a period of 4½ years of teaching for the doctors. This is being adhered to. So far as nurses

are concerned, those who want to go in military service, can go without midwifery training. They have been given that concession. Apart from that, a scheme for short term training was formulated in 1962. They could start the work after a training of three months. That scheme has not proved popular as those girls had to be trained afterwards. That is why, much emphasis is not being laid on that scheme.

अध्यक्ष महोदय : "सैनिक नर्सिंग सेवा में नियुक्ति के लिए योग्यता की एक महत्वपूर्ण शर्त अर्थात् छात्री अर्हता हटा दी गई है।"

श्री वारियर : मैंने यह देखा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पाठ्यक्रम की अवधि में कमी कर दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री हेम बरुआ : ऐसे कौन से राज्य हैं जिन से देश में नर्सों की भर्ती अधिक होती है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस के लिए अपने राज्य आसम से नर्सों की भर्ती कराना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। डा० सिंघवी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या प्रशिक्षित नर्सों की, विशेषतया सैनिक सेवा के लिए, बहुत कमी है; यदि हां, तो प्रशिक्षित नर्सों को सैनिक सेवा में जाने के हेतु प्रोत्साहन देने के लिए क्या विशेष पग उठाये गये हैं ?

डा० सुशीला नायर : प्रतिरक्षा विभाग की नर्सों की कुल मांग 684 नर्सों के लगभग है। 1965 में भर्ती के निर्णय के परिणामस्वरूप, 232 अभ्यर्थियों का इण्टरव्यू लिया गया, 227 को चुना गया, 174 को काम पर आने के लिये कहा गया और 93 नर्सें काम पर उपस्थित हो गई हैं। इसके अतिरिक्त हम सैनिक अस्पतालों की कमी को दूर करने के लिए अन्तिम वर्ष के नर्सिंग के विद्यार्थियों को पिछले छः महीने के दौरान उन अस्पतालों में सेवा के लिए भेज रहे हैं। नर्सें अन्तिम वर्ष के लिए सेना में नाम दर्ज करा सकती हैं और उन्हें 200 रुपया मिलेगा। जब वे पूर्णतया प्रशिक्षित हो जाती है तो उन्हें पूर्ण भत्ता और वेतन आदि मिलता है।

श्रीमती सावित्री निगम : यह बात कहां तक ठीक है कि नर्सों की सेवा की शर्तें, उपलब्धियां और अन्य सुविधायें इतनी कम हैं कि हमारी प्रशिक्षित महिलायें और लड़कियां नर्सिंग पाठ्यक्रम लेना नहीं चाहती हैं ? यदि उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन्हें क्या विशेष सुविधायें आदि दी जा रही है ताकि अधिकाधिक लड़कियां नर्सिंग पाठ्यक्रम आरम्भ कर सकें।

डा० सुशीला नायर : निश्चय ही स्कूल अध्यापकों की तुलना में नर्सों की सेवा की शर्तें और पारिश्रमिक आदि बहुत अच्छे हैं . . . .।

श्री हेम बरुआ : स्कूल अध्यापकों के साथ यह तुलना क्यों की जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : मैं यह कहने का प्रयत्न कर रही हूं कि पारिश्रमिक आदि ही लड़कियों को नर्सिंग का कार्य करने से रोकने का एकमात्र कारण नहीं हैं। पहले, कुछ पूर्वभावनायें होती थीं, विशेष रूप से माननीय सदस्य के राज्य में। केरल, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदि से नर्सिंग के कार्य में आने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं है। लड़कियों को नर्सिंग के लिए भेजने के मामले का सम्बन्ध इससे रहता है कि माता-पिता कितने शिक्षित है।

Shrimati Sahodra Bai Rai : May I know whether the nurses trained with Hindi medium in Madhya Pradesh will be recruited for military service in

the same way as are recruited who got training with English medium. If so, whether there will be uniformity of pay or not.

Dr. Sushila Nair : It is not a question of English or Hindi. The educational qualification for training of nurses is generally high school. The training of those nurses is considered proper who get the training after passing high school examination and they are preferred for military service.

Shri A. S. Saigal : You have asked the State Governments for training in nursing, but they are not properly helping in this matter. May I know the reason of that?

Dr. Sushila Nair : It is difficult for me to say so. They have some financial difficulties. Some persons give more importance to other schemes.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि अंशत: राज्य स्तर पर वेतनों तथा सेवा की शर्तों में असमानता को दूर करने की दृष्टि से और अंशत: नर्सिंग सेवाओं की दक्षता बढ़ाने की दृष्टि से कुछ समय पूर्व सरकार के सामने नर्सिंग सेवाओं की एक केन्द्रीय पदाली स्थापित करने का एक प्रस्ताव रखा गया था। यदि हां, तो उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

डा० सुशीला नायर : उसकी जांच की गई थी और यह मालूम हुआ था कि केन्द्रीय सरकार के अधीन उतनी कम नर्सें हैं कि केन्द्रीय पदाली का प्रस्ताव सम्भव नहीं है।

वाटर मार्क वाले कागज के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा

+

*305. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रैस, नासिक द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिये प्रयोग किये जाने वाले वाटर मार्क वाले कागज के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्पादन बढ़ाने के नाम पर मशीनों से क्षमता से अधिक काम लिया जा रहा है और बहुमूल्य आयातित कागज काफी बरबाद हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बरबादी को रोकने के लिये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रैस ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 1964–65 में, इण्डिया सिक्योरिटी प्रैस के उपयोग के लिए पानी के चिन्ह वालें (वाटर मार्क) कागज के आयात पर 1.32 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी।

(ख) नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Shri Madhu Limaye : At present full quantity of this paper is being imported and the machines in the Security Printing Press are also foreign. The production under the scheme to manufacture such paper in Hoshangabad should have started this year. Fifty employees of Security Printing Press were sent for training in England and they have returned. I would like to know from the hon. Minister why the Government has not been able to take any action in this connection so far?

Shri B. R. Bhagat : It is due to the fact that there is some delay in the construction of that factory.

Shri Madhu Limaye : But you promised that the production would start in 1965.

Shri B. R. Bhagat : Production could not be started as there was some delay in the construction of that factory and there was some delay in the appointment of those persons who returned after taking training.

Shri Madhu Limaye : On the one hand, we are selling our sugar at a loss to earn foreign exchange and even a sum of Rupees 7½ crores had to be arranged. On the other hand paper is being wasted in the Security Printing Press at Nasik. Previously the ratio of wastage was 1/16 but under the new arrangement to take more work from the labourers and with the machines nearly half the paper is being wasted. I would like to know the arrangements being made by the Minister to prevent this wastage of foreign exchange?

Shri B. R. Bhagat : The hon. Member has said that 1/16th part of paper was being wasted previously but now nearly half goes waste but from the report.....

Shri Madhu Limaye : You please accompany me to Nasik.

Shri B. R. Bhagat : The hon. Member has said that previously the ratio of wastage was 1/16 but the report I have received I find that the ratio is only 1/20th or 1/22nd now. It means that the situation has improved.

Shri Yashpal Singh : Does the hon. Minister propose to issue 20 rupee notes and 50 rupee notes to overcome this shortage.

Mr. Speaker : The question relates to paper.

सरकारी भवनों की मरम्मत तथा पुताई

+

*306. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :
श्री बालकृष्णन :

क्या **निर्माण** तथा **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि सरकारी भवनों की मरम्मत तथा पुताई एकदम रोक दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितना धन बचने की संभावना है ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : बचत के उपाय के रूप में यह निर्णय किया गया है कि साधारण वार्षिक अनुरक्षण के कार्यों को जैसे पुताई, पुनः रंग करना, मरम्मत तथा संवर्धन और परिवर्तन को स्थगित कर दिया जाय । लेकिन आवश्यक मरम्मत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से की जाती रहेगी । इन कार्यों को स्थगित करने से बचत की राशि बताना संभव नहीं होगा जब तक कि इस वित्तीय वर्ष का अन्त न हो जाये ।

Shri Yashpal Singh : Is Government in a position to tell us as to how many lakhs of Rupees would be saved by Government on account of suspension of such white washing and repairs, and also the amount of money which would have to be spent to remove the debris which would be accumulated as a result of suspension of these works.

Mr. Speaker : He said that that information would be supplied at the end of the year.

Shri Yashpal Singh : Before arriving at this conclusion, whether Government has taken this thing into consideration that in order to save a few lakhs of rupees, there will be loss of crores of rupees?

Shri Mehr Chand Khanna : I had thought that the hon. Minister would appreciate it that I am going to save something during the emergency. But I find just the reverse, of what I have thought. I may submit that where houses give way there it is the difficulty.....

Mr. Speaker : It is what he said that that would be a wrong economy because the expenditure which would have to be incurred later on would be more.

Shri Mehr Chand Khanna : It is not a false economy. I have simply appealed to them one may or may not accept it. We are not issuing them any orders.

Shri Yashpal Singh : Sir, My question has not been answered.

Mr. Speaker : He has replied that this would be known only at the end of the year, has he not heard it.

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार मितव्ययता के हित में पुताई न कराने का प्रयत्न कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जानने के कोई आदेश दिये गये हैं कि यदि पुताई नहीं होनी है तो कम-से-कम मकानों को साफ तो किया जाये ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मकानों को साफ कराना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो केवल उनको एक ठीक रूप देने का है। यदि माननीय सदस्य के मकान की पुताई करने की आवश्यकता है तो पुताई करा दी जायेगी।

Shri Vishram Prasad : On the one hand Government says that as a measure of economy, the houses would not be white-washed but on the other hand big buildings are being constructed after demolishing the old ones. I want to tell the hon. Minister that money is not saved like that.

Shri Mehr Chand Khanna : It is not known why it is being resented, if some economy can be affected, why it should not be affected. As regards buildings the Finance Minister has already cut down my budget heavily.

Shri Kashi Ram Gupta : This question of white-washing has some relation with the health also. Has the hon. Minister ascertained from the Minister of Health that this economy would not result in loss?

Mr. Speaker : She has gone out at this moment and therefore matter can not be settled.

श्री जसवंत मेहता : सरकार ने खर्चे में कमी करने के लिये मकानों की पुताई तथा मरम्मत रोक दी है। परन्तु सरकार संसद भवन तथा नार्थ एवन्यु के बीच सरकारी कार्यालयों को गिरा रही है और यह निर्णय बड़े ऊंचे स्तर पर किया गया है। ऐसे परिपत्र जारी किये गये हैं कि नये भवनों के निर्माण पर योजना आयोग द्वारा भी विचार किया जाना चाहिये। क्या निर्माण तथा आवास मंत्री इन भवनों को अभी गिराने के बारे में अपने निर्णय को स्पष्ट करेंगे ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं केवल उन बैरकों को गिरा रहा हूं जिनकी अवधि समाप्त हो गई है और जिनसे खतरा है (**अन्तर्बाधाएं**)। महोदय, क्या मैं उत्तर दे सकता हूं। वे प्रश्न पूछते हैं परन्तु उनका उत्तर सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। जहां तक पुताई तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है, यदि आवश्यकता होगी तो हम इस ओर उचित ध्यान देंगे।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति

+

*307. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री हेम राज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह गत वर्ष की तलना में कैसी है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति को प्रकट करने वाली एक बात, अर्थात् रिजर्व बैंक के पास की विदेशी मुद्रा की रक्कम को देखिये। 12 नवम्बर, 1965 को रिजर्व बैंक के पास 84.49 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा थी, जबकि उससे पिछले वर्ष उसी तारीख (13 नवम्बर, 1964) को बैंक के पास 95.60 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा थी। यह स्थिति, अप्रैल, 1965 के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 47.6 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा लेने के बावजूद है।

(ग) विदेशी मुद्रा की स्थिति में वास्तविक सुधार, केवल निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने और विदेशों से मंगायी जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आनेवाली चीजों का और अधिक उत्पादन करने से ही होगा। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर योजना आयोग और सम्बद्ध मंत्रालय बराबर विचार करते रहते हैं। अदृश्य मदों सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से दूसरे उपाय भी किये गये हैं। जिनका एक उदाहरण है हाल में जारी की गयी राष्ट्रीय रक्षा प्रेषण योजना। इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री द्वारा 17 जुलाई को प्रसारित किये गये वक्तव्यों में और 19 अगस्त, 1965 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य में निर्धारित नीतियों तथा प्रधान मंत्री द्वारा 19 अक्टूबर, 1965 को प्रसारित किये गये भाषण की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय यह जानते हैं कि कुछ व्यापार संस्थान अपने काले धन को अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से पौण्डों में परिवर्तित कर रहे हैं—ऐसी कुछ एजेंसियां हैं — और यदि हां, तो क्या कोई ऐसे मामले मंत्री महोदय के ध्यान में लाये गये हैं और यह देखने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है कि वह ऐसा न कर सकें ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे किसी विशिष्ठ मामले का पता नहीं है, परन्तु यदि पता लगेगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : उन विदेशियों को, जिनके विदेशी बैंकों में हिसाब हैं, यह कहने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि वे इस संकट की घड़ी में धन हमारे देश में भेजें और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ लोगों ने धन भेजा है, और यदि हां, तो 1965 में कितनी राशि भेजी गई।

श्री ब० रा० भगत : किन से कहें, विदेशियों से ?

श्री स० मो० बनर्जी : विदेशों में भारतीयों से।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विदेशियों से कहने के लिये कहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा आशय विदेशों में भारतीयों से था।

श्री ब० रा० भगत : प्रेषण योजना में, जिसकी घोषणा की गई है, इसके लिये व्यवस्था है।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रेषण योजना की तो अभी घोषणा की गई है। इस से पूर्व, महोदय, आप को याद होगा इस सभा में यह घोषणा की गई थी कि कार्यवाही की गई है और कुछ लोगों ने विदेशों में विदेशी बैंकों में अपनी आस्तियों की घोषणा भी कर दी है। उदाहरणार्थ वित्त मंत्री ने स्वयं यह घोषणा की है कि उनकी कुछ राशि विदेशी बैंकों में है। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या रूपया भेजा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने इन नये प्रेषण सम्बन्धी आदेशों के जारी होने से पूर्व विदेशी बैंकों में अपनी अस्तियों की घोषणा की थी ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इस की कोई जानकारी नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस नयी प्रेषण योजना से हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति को सुधारने में कहां तक सफलता मिली है ?

श्री ब० रा० भगत : यह योजना तो अभी आरम्भ की गई है। प्रभाव मालूम होने में कुछ समय लगेगा।

श्री रामनाथन चेट्टियार : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। परन्तु चूंकि यह समाचार पत्रों में छपा है कि राष्ट्रपति अथवा प्रधान मंत्री ने कल राज्यपालों के समक्ष भाषण देते हुए 116 करोड़ रूपये के आंकड़े बताये हैं, तो क्या स्थिति में यह सुधार नहीं है ?

श्री ब० रा० भगत : यह आंकड़े तुलनात्मक नहीं हैं। यह कोई भिन्न आंकड़े होंगे। इसका सम्बन्ध रिज़र्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा की राशि से है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय तथा निर्यात से विदेशी मुद्रा की उस प्रत्याशित आय के बारे में, जिसका समय समय पर हिसाब दिया जाता है, वास्तविक आंकड़े बतायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : मेरे विचार में, यह आंकड़े वाणिज्य मंत्री बता सकेंगे यदि उन्हें नोटिस दिया जायेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वाणिज्य मंत्री क्यों बतायेंगे ? मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि विदेशी मुद्रा की स्थिति में निर्यात से आय की वसूली से तथा निर्यात को बढ़ा कर सुधार किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगी कि निर्यात से कितनी वास्तविक वसूली हुई है क्योंकि यह कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है ?

श्री ब० रा० भगत : प्रत्येक विस्तृत ब्योरे वाले प्रश्न का उत्तर पाने के लिये नोटिस देना पड़ता है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्योंकि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति से हम सब चिंतित हैं और इस स्थिति में सुधार दो उपायों से किया जा सकता है,--एक निर्यात से आय द्वारा तथा दूसरा बचत द्वारा--

मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगी कि वह बचत के बारे में क्या विशिष्ट कार्यवाही करना चाहते हैं और पिछले तीन महीनों में क्या कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है ?

श्री ब० रा० भगत : आयात के बारे में कई कदम उठाये गये हैं । हमने आयात लाइसेंसों में कमी कर दी है तथा और भी विभिन्न अन्य उपाय किये गये हैं ।

श्री पें० वेंकटसुब्बया : कुछ समय पहले माननीय मंत्री ने बताया था कि विदेशी मुद्रा में कमी होने का कारण हमारे देश से कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाना है । यदि हां, तो सरकार रासायनिक उर्वरक तथा कृषि-यंत्र जैसे कृषि उत्पादन से सम्बन्धित उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रबन्ध करना चाहती है ? यदि कृषि-उत्पादन में वृद्धि नहीं की जायेगी तो विदेशी मुद्रा की कोई बचत नहीं हो सकेगी अतः मैं जानना चाहूंगा कि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी फालतू विदेशी मुद्रा है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : विदेशी मुद्रा की यह स्थिति काफी समय से है और इस कठिनाई पर काबू पाने के लिये सरकार ने भी राजकोषीय तथा कई अन्य उपाय किये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि इन उपायों से अब तक क्या प्रभाव पड़ा है और स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है ?

श्री ब० रा० भगत : यह कठिनाई कुछ और समय तक बनी रहेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि विदेशी मुद्रा की स्थिति को इस ढंग से 10 गुना और बिगाड़ दिया गया है जिस ढंग से विदेशी मुद्रा के प्रशासन को चलाया जा रहा है जैसाकि श्री सेन ने अपने टिप्पण में स्पष्ट किया है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं इस स्थिति को समझ नहीं सका हूं कि इसे 10 गुना और बिगाड़ दिया गया है । मुझे उस विशेष प्रतिवेदन की जानकारी नहीं है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कृषि पुनर्वित्त निगम

*308. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम ने अब निर्णय किया है कि राज्य सरकारों से ऋणों के लिये गारंटी मांगने के स्थान पर ऋण स्वीकार करने के लिए अन्य प्रतिभूतियां स्वीकार करेगा ;

(ख) वाणिज्यिक बैंकों को किस सीमा तक मना किया गया है कि वे काफी मात्रा में कृषि के लिये वित्त दें ;

(ग) क्या यह सच है कि निगम के काफी वायदे नई सिंचाई की गई भूमि के कृष्यकरण तथा विकास के बारे में हैं ; और

(घ) राज्यों द्वारा आरम्भ की गई परियोजना की क्रियान्विति में अत्याधिक विलम्ब करने वाली बाधाओं को हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों ने रबड़, चाय, कहवा, सुपारी, और काजू के बाग लगाने या पौधों के रोपण के लिए धन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, ऋण लेने के लिए निगम को आवेदन पत्र दिये हैं या देने के लिए इच्छा प्रकट की है।

(ग) जी, हां ।

(घ) निगम, राज्य सरकारों और दूसरे वित्तीय अभिकरणों से बराबर सम्पर्क बनाये हुए है और उसने उन के विचारार्थ विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है, जैसे कि योजनाओं को अमली रूप देने के काम की देख रेख के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करना, सहकारी भू-बंधक और दूसरे बैंकों को मजबूत बनाना, उधार लेने वालों के लिए तकनीकी और दूसरी सहायता की व्यवस्था करना और सारी योजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : वाणिज्यिक बैंकों को कृषि के लिये वित्त जुटाने में पेश आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने विशेषज्ञ-सलाह देने के लिए संविहित बोर्डों की, जिनसे बैंक सलाह ले सकें, स्थापना करने के लिये कोई योजना बनाई है।

श्री ब० रा० भगत : बाग लगाने के लिये हमने रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड आदि जैसे संविहित बोर्ड स्थापित कर रखे हैं। हमने उन से कहा है कि वे बैंकों को वह सारी जानकारी तथा तकनीकी सहायता दें जो वह उन से मांगते हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह देखने के लिये क्या कोई योजना बनाई गई है कि शर्तें इतनी कठोर न हों ?

श्री ब० रा० भगत : इस बात पर विचार किया गया है। सामान्य बाज़ार भाव तथा उधार देने वाले बैंकों के लिये कुछ मुनाफे की व्यवस्था की गई है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस राज्य के वित्तीय-संसाधनों की असंतोषजनक स्थिति की ओर दिलाया है और यदि हां तो क्या सरकार ने कृषि पुनर्वित्त निगम को किसानों तथा बागों को उधार सम्बन्धी अधिक सुविधायें देने के लिये विशेष अनुदेश दिये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इससे राज्य की वित्त सम्बन्धी कठिनाइयां दूर नहीं हो जायेंगी । परन्तु यदि बागानों विशेषकर चाय बागानों के लिये सहायता की आवश्यकता है तो वह निश्चय ही इस अभिकरण द्वारा दी जा सकती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुयें

*301. **श्री कपूर सिंह** : **श्री सोलंकी** ।
श्री प्र० के० देव : **श्री नरसिम्हा रेड्डी** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर-अक्तूबर 1965 में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई आयात वस्तुओं तथा मुद्रा का ब्योरा क्या है ;

(ख) पकड़ी गई वस्तुएं कितने मूल्य की हैं ; और

(ग) तस्कर व्यापार की ऐसी अवैध कार्यवाहियों में लगे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख) : सीमा शुल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और स्थल सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, सितम्बर-अक्तूबर 1965 में चोरी छिपे लाये गये के रूप में पकड़े गये माल तथा मुद्रा के ब्योरे और मूल्य का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5179/65।]**

(ग) माल पकड़े जाने के ऐसे मामलों में अन्तर्गस्त व्यक्तियों के विरुद्ध, विभागीय कार्यवाही, और बड़े बड़े मामलों में जहां आवश्यक समझा जाय अदालत में मुकदमा चलाकर, दोनों प्रकार की कार्यवाही की जाती है। अब तक न्याय-निर्णय तथा मुकदमे की कार्यवाही चलाये जाने का ब्योरा भी सदन की मेज पर रखे गये विवरण पत्र में दिया गया है।

भूमि सुधार

***309. श्री रा० गि० दुबे :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री बृजराज सिंह :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :
श्री वारियर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू किये जा चुके हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो योजना आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्य न करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सभी राज्यों में भूमि सुधार कानून लागू करने में कितना समय लगेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार संबंधी जो प्रस्ताव हैं वे व्यापक, सामान्य मार्ग-निर्धारण के रूप में हैं। इन का स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण तथा पालन किया जाना है। राज्यों ने जो उपाय अपनाए हैं उनकी समीक्षा मध्यावधि मूल्यांकन और योजना आयोग के प्रकाशन "भूमि सुधार की प्रगति" में की गई है। इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त विवरण प्रश्न संख्या 375 के उत्तर में 19 अगस्त, 1965 के उत्तर में लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है।

कृष्णा-गोदावरी जल-विवाद

***310. श्री लिंग रेड्डी :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा-गोदावरी जल-विवाद इस समय किस स्थिति में हैं; और

(ख) उस का अन्तिम रुप से कब तक निपटारा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) : कृष्णा-गोदावरी के जल विवाद को संतोषजनक रूप से निपटाने के लिये आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों के साथ 19-8-1964 और 15-1-1965 को विचारविमर्श किया गया था। शीघ्र ही कोई फैसला हो जाए, इस के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

पाकिस्तान द्वारा देय ऋण

*311. **श्री हेम राज :**
श्री बड़े :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा भारत को देय विभाजन-ऋण तथा कुछ अन्य ऋण अभी तक अदा नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों की रकम कितनी है ; और

(ग) पाकिस्तान द्वारा देय इन ऋणों की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) विभाजन से पहले और बाद की अवधियों के सम्बन्ध में पाकिस्तान से, विभाजन-ऋण सहित, ठीक ठीक कितनी रकम मिलनी है, इसका अन्तिम निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

(ग) सरकारी स्तर और मंत्रि-स्तर पर 1960 तक कई बैठकें हुई, पर कोई समझौता न हो सका और आगे बातचीत करना भी सम्भव नहीं हुआ ।

औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम

*312. **श्री हेडा :** क्या **वित्त** मंत्री 26 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 219 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम द्वारा विश्व बैंक से लिये गय ऋण में से कोई राशि अब तक वितरित की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि का वितरण किया गया है ;

(ग) ऋण किन पार्टियों को दिया गया है ; और

(घ) इन ऋणों को किस आधार पर दिया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : भारतीय ओद्योगिक ऋण और निवेश निगम (इण्डस्ट्रियल क्रेडिट ऐण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया) को देने के लिए 28 मई 1965 को अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा मंजूर किये गये 5 करोड़ डालर के ऋण में से अब तक कोई रकम नहीं दी गयी है । कानूनी कार्रवाइयां पूरी हो जाने पर यह ऋण 20 अगस्त, 1965 से प्रभावी हो गया है । इस ऋण में से सभी रकमें ली जायेंगी जब विदेशों को सामान के लिये आर्डर दे दिये जायेंगे और उसके लिये यथासमय अदायगी करनी होगी ।

(ग) यद्यपि इस ऋण में से अभी तक कोई रकम नहीं ली गयी, तो भी भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने इस में से 48 कम्पनियों को कुल 173.0 लाख डालर का ऋण देने की मंजूरी दे दी है ।

(घ) यह निगम गैर-सरकारी क्षेत्र के उत्पादक उद्योग-धन्धों को, सम्बन्द्ध प्रायोजनाओं की इस दृष्टि से विस्तृत जांच-पड़ताल करने के बाद ऋण देता है कि ये प्रायोजनाएं चल सकती हैं या नहीं ।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा धन भेजना

*313. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री बासप्पा :
श्री राम हरख यादव :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विधिवत देश में धन भेजने के लिये प्रोत्साहन देने की विस्तृत योजना बनाई है, जिससे विदेशी मुद्रा की आय बढ़ाई जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) अब तक इस योजना के अन्तर्गत कितना धन आया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखीये संख्या एल० टी० 5180/65 ।]**

(ग) यह योजना अभी आरम्भिक अवस्था में है इसलिए अभी इस बात का अनुमान नहीं किया जा सकता कि इस के अन्तर्गत कितना धन आया है ।

केन्द्रीय आवास वित्त निगम

*314. **श्रीमती मेमूना सुल्तान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान बनाने के हेतु ऋण देने के लिये वित्तीय व्यवस्था करने के लिए एक अन्य अभिकरण (एजेन्सी), अर्थात केन्द्रीय आवास वित्त निगम, स्थापित किया गया है :

(ख) यदि हां, तो इसका ठीक ठीक गठन क्या है तथा उसके उपयोग के लिये कितनी धन राशि प्रदान की गई है ; और

(ग) इसकी कार्य-प्रणाली क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) आवास वित्त निगम बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

Diesel Locomotive Workshop, Varanasi

*315. **Shri Vishram Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1208 on the 6th May, 1965 regarding the raids conducted by the Customs authorities in the Diesel Locomotive Workshop, Varanasi and state:

(a) whether the investigation has since been completed;

(b) if so, the number of Officers found guilty as a result thereof; and

(c) the number of those who were awarded punishment?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) Investigations have been completed.

(b) & (c). As far as proceedings under the Customs Law are concerned, so far, 10 officers of the Railway Department have been adjudged guilty in the departmental adjudication proceedings and they have been awarded punishment, either by way of confiscation of the goods involved or as personal penalty or as both.

The Central Bureau of Investigation had also undertaken some investigations and the report of the Investigating Officer is under scrutiny. The question of award of punishment to guilty officers, if any, will be considered by the appropriate authorities after the scrutiny is completed.

आयुर्वेद तथा होमियोपैथी में अनुसन्धान

*316. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयुर्वेद तथा होमियोपैथी में सक्रिय क्रमबद्ध अनुसन्धान को प्रोत्साहन तथा सहायता दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5181/65।]**

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा कालेजों में सुरक्षित स्थान

*317. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के चिकित्सा कालेजों में केन्द्रीय सरकार द्वारा सुरक्षित स्थानों पर विद्यार्थियों को दाखिला देने में किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5182/65 ।]**

नागपुर के मेसर्स श्रीराम दुर्गा प्रसाद

*318. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वित्त** मंत्री नागपुर के मैसर्स श्रीराम दुर्गा प्रसाद के मामले के बारे में 26 अगस्त 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 234 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) से (ग) सीमा-शुल्क अधिनियम और विदेशी विनिमय विनियम अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों सम्बन्धी जांच-पड़ताल करीब-करीब पूरी हो गई है । कई शो काज़ नोटिस जारी किये जा चुके हैं और कुछ जारी किए जा रहे हैं । आयकर विभाग द्वारा जांच-पड़ताल अभी चल रही है । कई विभागों द्वारा बड़ी संख्या में कागज़ों की छानबीन होनी थी और इसीलिए देरी हुई है ।

Production of Foodgrains in Fourth Plan

*319. **Shri Ramsewak Yadav :** **Shri Bagri :**
Shri Madhu Limaye : **Shri C. K. Bhattacharyya :**

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government contemplate to make changes in the Plan so as to achieve maximum production of foodgrains in the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the nature thereof and how it would effect our defence efforts?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) The Fourth Five Year Plan is still in the formulation stage. There is, therefore, no question of making any change in the Plan.

(b) Does not arise.

Adulteration of Foodstuffs in Delhi

*320. **Shri Madhu Limaye :** **Shri Basappa :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Bagri : **Shri Kindar Lal :**

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a large-scale adulteration in foodstuffs in Delhi ; and

(b) if so, the efforts being made by Government for the eradication of this evil?

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Government have received no reports regarding large-scale adulteration in foodstuffs in Delhi.

(b) Does not arise.

बस्तियों पर किये जाने वाले व्यय की ऊपरी सीमा

*321. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री 23 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 794 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तियों पर किये जाने वाले व्यय की उपरी सीमा-निर्धारित करने के प्रश्न पर इस बीच पूर्ण से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस पर कब तक अन्तिम रूप से विचार कर लिया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : यह विषय अब भी विचाराधीन है, पर आशा है कि इस सम्बन्ध में जल्दी ही निर्णय कर लिया जायगा ।

लिफ्ट चैनल प्रोजेक्ट

*322. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 6 अप्रैल, 1965 को सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने इस बीच बिरधावल तथा बीकानेर (राजस्थान) के बीच "लिफ्ट चैनल प्रोजेक्ट" मंत्रालय के विचारार्थ भेज दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य को शीघ्रता से निबटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने "लिफ्ट चैनल" को बीकानेर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि नागौर जिले को भी शामिल किया जा सके ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : एक पुनरीक्षित लिफ्ट चेनल स्कीम, जिस में बीकानेर के दक्षिण का नागपुर तक अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित है, का अभी हाल ही में प्रस्ताव किया गया है, और इस पर राजस्थान नहर बोर्ड विचार कर रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

*323. **श्री हेमराज :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई से 30 सितम्बर, 1965 तक की अवधि में राज्यवार कितनी महिलाओं और पुरुषों की अनुर्वरीकरण-शल्य-चिकित्सा की गई तथा इस प्रयोजन के लिये कितने शिबिर लगाये गये ;

(ख) प्रत्येक शिबिर पर, राज्यवार, कितना औसत व्यय हुआ ;

(ग) अनुर्वरीकरण प्रणाली की तुलना में गर्भाशयान्तर गर्भ-निरोध युक्ति (लूप) से कितनी सफलता मिली ; और

(घ) क्या एक की अपेक्षा दूसरी प्रणाली के अधिक उपयुक्त होने का कोई अनुमान लगाया गया है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : 1 जुलाई, 1965 से 30 सितम्बर, 1965 तक किये गये पुरूष एवं महिलाओं के अनुर्वरीकरण आपरेशनों की संख्या के बारे में उपलब्ध राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5183/65]** आयोजित कैम्पों की संख्या तथा प्रत्येक कैम्प के औसत खर्च के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है इसे एकत्र किया जा रहा है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) और (घ) : चूंकि लूप विधि हाल ही में चलाई गई है अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। वर्तमान संकेत ये हैं कि गर्भाशयी गर्भरोधक (गर्भरोधक कुंडल) बड़ी तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। 1 जुलाई, 1965 से 30 सितम्बर, 1965 तक 1.88 लाख गर्भरोधक कुंडल लगाये गये है। वन्ध्यीकरण और गर्भरोधक कुंडल दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जा रहा है और दोनों समान उपयोगी है। लूप चूंकि सुरक्षित, प्रभावकारी और आसानी से लगाये हटाये जाने वाला है अतः इसे तुरन्त अपनाया जा सकता है। तथापि गर्भरोधक कुंडल और वन्ध्यीकरण विधि में कौन अधिक अच्छा है यह जानने के लिये कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर में विस्फोट

*324. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री हरि विष्णु कामत :

श्री बड़े :

क्या **सिंचाई** तथा **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम के इन्द्रप्रस्थ एस्टेट स्थित बिजली घर में 19 अक्तूबर, 1965 को एक विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो विस्फोट किस प्रकार का था तथा उसके क्या कारण थे; और

(ग) उससे क्या क्षति हुई ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) : चक्की में डालने से पूर्व कोयला तोलने की स्वचालित मशीन के पलड़े में हद से बड़े कोयले अथवा पत्थर के टुकड़े को रोक लेने के लिये प्रबन्धित जाली में से जितने साईज का टुकड़ा साधारणत: निकल जाता है उससे कुछ बड़े साईज के एक टुकड़े को ऐसे टुकड़े बीनने वाले एक कर्मक ने उठा लिया था। उस के छोटे छोटे टुकड़े बनाने के लिये ज्यूहीं उसे हथौड़े से तोड़ा गया, एक विस्फोट हुआ खोज करने पर पीतल के दो टुकड़े, जिन पर अत्याधिक गर्मी से उत्पन्न होने वाले निशान भी थे, उस लोहे की प्लेट पर मिले जिस पर कोयले को तोड़ा जा रहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उन्होंने पीतल के उन टुकड़ों को विस्फोटकों के निरीक्षक के पास भेज दिया है। विस्फोटकों के निरीक्षक का यह कहना है कि ये टुकड़े उस विस्फोटित बिजली विस्फोटक के अवशेष भाग हैं जो कि कोयले की खानों और अन्य खानों पाषाण खानियों, आदि में आम तौर पर विस्फोट करने के काम में लाए जाते हैं। पुलिस ने खानों के मुख्य निरीक्षक, धनबाद, से भी यह निश्चित करने के लिये लिखा पढ़ी कि है कि ये टुकड़े खानों से कोयला निकालते समय प्रयोग में लाए गये किसी विस्फोटक के अवशेष भाग तो नहीं है जो कि अचानक कोयले की सप्लाई में मिल गये हों। उन के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। पुलिस अब भी जांच कर रही है, किन्तु उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि अब तक की गई जांच से यह पता चलता है कि इस घटना के पीछे कोई शरारत नहीं है। दो कर्मक जो ड्यूटी पर थे घायल हो गये।

केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय

*325. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री काजरोलकर :

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के समाप्त होने के बावजूद भी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय अब भी केवल सुबह ही खुलते हैं :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) औषधालयों को सुबह और शाम दोनों समय खोलने की पहली व्यवस्था कब से आरम्भ होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : अनिश्चित युद्ध-विराम तथा इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि आपातकालीन स्थिति अभी बनी ही हुई है। डिस्पेन्सरियां केवल सुबह के समय खुल रही हैं।

(ग) इस प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जायेगा।

भारतीय सिक्कों का चोरी छिपे विदेशों को भेजा जाना

*326. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 नवम्बर 1965 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "भारतीय सिक्कों का चोरी छिपे पाकिस्तान भेजा जाना" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह समाचार कहां तक सही हैं ; और

(ग) भारतीय मुद्रा के इस प्रकार चोरी-छिपे ले जाने को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ मामले ऐसे हुये हैं जिनमें भारतीय सिक्के पकड़े गये हैं और जिनके बारे में संदेह है कि वे चोरी छिपे फारस की खाड़ी क्षेत्र की तरफ ले जाये जा रहे थे, परन्तु भारतीय मुद्रा या सिक्के चोरी-छिपे पाकिस्तान ले जाये जाने का कोई संकेत नहीं मिला है।

(ग) भारतीय मुद्रा और सिक्कों को देश के बाहर ले जाने पर सर्वसामान्य रोक है। सीमा-शुल्क संगठन इस रोक को लागू करने के लिये सतर्क है।

परिवार पेंशन योजना

835. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू परिवार पेंशन योजना का लाभ राज्य सरकारों के कर्मचारियों को देने का, सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर लागू होने वाली योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) कुछ राज्य सरकारों ने, अपने कर्मचारियों के लिए, पहले से ही परिवार पेंशन योजना, 1964 अपना ली है। भारत सरकार ने सिफारिश की है कि बाकी राज्य सरकारें भी इस योजना को अपना लें।

(ख) जो राज्य सरकारें इस योजना को अपने कर्मचारियों पर लागू करना पसन्द करेंगी, वे इसके बारे में ब्यौरा तैयार कर लेंगी।

(ग) अनुमान है कि यदि राज्य सरकारें इस योजना को अपनायें, तो उन्हें पहले 6–7 वर्षों में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा।

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

836. **श्री कोल्ला वैंकैया** :

श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियन्त्रण के उपायों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अभी नहीं।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन के लिये जल तथा जल-नि:सारण योजना

837. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) ग्रेटर कोचीन के लिए जल तथा जल-नि:सारण योजना की कुल अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस योजना को चौथी योजना में सम्मिलित किया जा रहा है; और

(ग) कार्य की प्रारम्भिक अवस्था के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 32 करोड़ 56 लाख रुपये ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी इस का निश्चय नहीं किया गया है ।

गन्दी बस्ती हटाने सम्बन्धी योजनायें

838. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष गन्दी बस्तियां हटाने की योजनाओं के लिये राज्यों को ऋण और अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि दी; और

(ख) केरल को कितनी राशि दी गई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 478.62 लाख रुपये—239.32 लाख रुपये ऋण के रूप में तथा 239.30 लाख रुपये अनुदान के रूप में ।

(ख) 3.00 लाख रुपये—आधा ऋण के रूप में तथा आधा अनुदान के रूप में ।

पश्चिमी जर्मनी में नर्सों को प्रशिक्षण

839. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 26 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 790 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पश्चिमी जर्मनी में प्रशिक्षण लेने के लिये केरल से अब तक कितनी नर्सें भेजी गई हैं;

(ख) उनका चुनाव किस आधार पर किया गया; और

(ग) उन के खर्चे को कौन वहन कर रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : 1964 के दौरान 265 महिलाओं को, जिन्होंने दसवीं की परीक्षा पास की हुई थी और अधिकतर केरल की रहने वाली थी और पश्चिम जर्मनी में परिचारिका का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पारपत्र नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करके पारपत्रों के लिये आवेदन पत्र दे रखे थे उनको पारपत्र दिये गये थे । 1965 के दौरान अब तक 219 महिलाओं को इसी प्रयोजन के लिये पारपत्र दिये जा चुके हैं । उनमें से अधिकतर महिलायें केरल की रहने वाली हैं ।

(ग) प्रशिक्षण देने वाली संस्थायें ही इन का खर्च उठा रही हैं ।

उत्तर प्रदेश की योजना

840. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अगले वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश की वार्षिक योजना में कटौती करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो कटौती की राशि कितनी है;

(ग) यह कटौती किन मुख्य मदों के सम्बन्ध में है; और

(घ) इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 1966-67 की सालाना योजना पर 25 तथा 26 नवम्बर, 1965 को विचार विनिमय होने वाला है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

पोंग बांध से हटाये गये व्यक्ति

841. **श्री हेमराज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 9 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग तथा पनदोह बान्धों से हटाये गये व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिये नियुक्त की गई समिति की इस बीच कोई बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को और उस में क्या मुख्य निर्णय किये गय ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : राजस्थान नहर क्षेत्र के लिये उपनिवेशन नीति और परियोजना से संबद्ध कुछ अन्य मामलों पर विचार करने के लिये राजस्थान नहर परियोजना की निदेशन समिति की बैठक 4 नवम्बर, 1965 को हुई थी जिस में, अन्य बातों के साथ साथ, पोंग बांध, व्यास-सतलूज लिंक, हरिके परियोजनाओं आदि से विस्थापितों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाने के लिये मुख्य सिद्धान्तों और प्रबन्धों के बारे में समझौता हो गया था।

नेफा तथा सीमान्त क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकानों को अपने कब्जे में रखा जाना

842. **श्री राम हरख यादव** : क्या **निर्माण** तथा **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा तथा देश के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजे गये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सामान्य "पूल" में मिले रिहायशी मकानों को अपने कब्जे में रखने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जी हां। सीमावर्ती क्षेत्रों में, जिनमें नेफा और सिक्किम शामिल है, जहां रिहायशी मकान उपलब्ध नहीं हैं वहां तैनात अधिकारियों को यह अनुमति है कि सामान्य पूल के मकान को अपने परिवार के वास्तविक प्रयोग के लिए मूल नियम 45 ए के अधीन किराया अदा करके अपने कब्जे में रख सकते हैं। फिलहाल यह रियायत 30 जून 1966 तक ग्राह्य है।

निम्न आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण

843. **श्री राम हरख यादव** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निम्न आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत संयुक्त ऋणों के संबंध में एक नई योजना बना ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और वह किन किन पर लागू होगी; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक कितना ऋण दिया जा सकता है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग) : कोई नयी योजना नहीं बनायी गयी है। फिर भी, यह निर्णय किया गया है कि राज्य सरकारें/संघ प्रशासन पति और पत्नी को निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत संयुक्त ऋण दे दें बशर्ते कि जिस प्लाट पर मकान बनाना है वह दोनों के संयुक्त स्वामित्व में हो तथा पति और पत्नी दोनों की संयुक्त आय 6,000 रुपय प्रति वर्ष से अधिक न हो। योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण 10,000 रुपये मिलता रहेगा।

खान-पान गृहों में अस्वास्थ्यकर स्थिति

844. **श्री राम हरख यादव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में चल रहे अधिकांश रेस्तोरोओं, खान-पान गृहों तथा मिठाई की दुकानों की अस्वास्थ्यकर स्थिति का प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के लिए हाल में एक विशष समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के परिणाम क्या हैं तथा समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या कुछ खान-पान गृहों तथा मिठाई की दुकानों को बन्द करने के आदेश दे दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने दस दुकानों को बन्द कर दिया है । अक्तूबर 1965 से 3947 दुकानों का निरीक्षण कर लिया गया है । दिल्ली में जलपान गृहों तथा मिठाई की दुकानों के मालिकों को दिल्ली नगर निगम ने 930 नोटिस दे दिए हैं ।

कांस्टीट्यूशन हाउस स्थल

845. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस स्थान पर कांस्टीट्यूशन हाउस सत्रह वर्ष तक एक विशेष इमारत के रूप में खड़ा रहा उस स्थल पर क्या सरकार का कुछ बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या, और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(घ) निर्माण कार्यके पूरा होने में कितना समय लगेगा?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) : कर्जन रोड पर कांस्टीट्यूशन हाउस के स्थान पर एक होटल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । उसे पूरा होने में लगभग एक वर्ष लगना चाहिए ।

कृषि-आय का सर्वेक्षण

846. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-आय में उतार-चढ़ाव का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस अवधि के लिए तथा किस आधार पर;

(ग) सर्वेक्षण के परिणाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अतिरिक्त किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्था द्वारा भी कोई ऐसा सर्वेक्षण किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) : केवल कृषि सम्बन्धी आय के उतार-चढ़ाव की, किसी सरकारी अभिकरण, विश्वविद्यालय आदि द्वारा कोई विशेष समीक्षा नहीं की गयी । लेकिन केन्द्रीय अंक-संकलन संगठन (सेण्ट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गनाइजेशन) द्वारा प्रकाशित

राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमान (एस्टिमेट्स आफ नेशनल इन्कम) में प्रतिवर्ष कृषि के वास्तविक उत्पादन के आंकड़े दिये जाते हैं। इनसे पता चलता है कि चालू मूल्यों के अनुसार, कृषि का वास्तविक उत्पादन, जो 1950–51 में 48.9 अरब रुपये था, बढ़ कर 1963–64 में 81.0 अरब रुपये (अस्थायी) हो गया। 1964–65 में इसमें और भी काफी वृद्धि हुई।

सोने का तस्कर व्यापार

847. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1965 में देश में राज्यवार किन किन स्थानों से सोना चोरी छिपे लाया गया, कितना कितना सोना पकड़ा गया और तस्कर व्यापारियों के नाम क्या हैं; और

(ख) उन के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : चूँकि सोना पकड़े जाने के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं, इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

848. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिन में 1965–66 में (अब तक) तीन महीने से अधिक समय तक डाक्टर नहीं थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : एक विवरण सभा पटल-पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5184/65।]**

प्रबन्धक एजेंसियों का विस्तार

849. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1965 में समवाय अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रबन्धक एजेंसियों को कितने मामलों में विस्तार करने की अनुमति दी गई और कितनों में नहीं दी गयी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अप्रैल, 1965 में विद्यमान प्रबन्धक एजेंसियों के कार्यकाल को बढ़ाने के 11 मामलों में समवाय विधि बोर्ड की अनुमति दी गयी और 16 मामलों में यह अनुमति नहीं दी गयी।

विदेशों में जाने वाले विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा

850. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1965 में अध्ययन के लिये विदेशों में जाने वाले कुल कितने विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा दी गई;

(ख) उपरोक्त अवधि में उन्हें विदेशी मुद्रा की कुल कितनी राशि दी गई; और

(ग) क्या उपरोक्त अवधि में किसी विद्यार्थी को विदेशी मुद्रा देने से इन्कार किया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अप्रैल 1965 में, विदेशों में अध्ययन करने के लिए, विद्यार्थियों को 124 नये अनुमति-पत्र दिये गये ।

(ख) 7,26,432 रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा दी गयी ।

(ग) जी, हां । जिन विद्यार्थियों ने विदेशी मुद्रा देने की सामान्य शर्तें पूरी नहीं की उन्हें विदेशी मुद्रा नहीं दी गयी । अप्रैल 1965 में विद्यार्थियों के 43 आवेदन-पत्र नामंजूर किये गये ।

राजघाट स्मारक

851. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचंद्र उलाका :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट, दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर निर्माण-कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक कितना खर्च हो चुका है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : विकास की पहली अवस्था 28 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पूरी हो चुकी है । विकास की दूसरी अवस्था इस समय चल रही है । आशा है कि इसके पूरा होने में एक वर्ष लगेगा । अक्टूबर 1965 के अन्त तक विकास की दूसरी अवस्था पर लगभग 16 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं ।

लोक-कार्य क्षेत्र

852. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक-कार्य क्षेत्रों (पब्लिक कोआपरेशन सेन्टर्स) के कार्य का अध्ययन करने के लिये एक मूल्यांकन दल नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो दल के निर्देश-पत्र क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) दल के विचारणीय विषय निम्न प्रकार हैं :

(1) क्षेत्रों के काम का अध्ययन करना और उन कार्यकलापों के बारे में सुझाव देना जिन्हें चौथी योजना अवधि में उन्हें करना है ।

(2) इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में ऐच्छिक संगठनों और स्थानीय संस्थाओं के मध्य सहकारिता एवं सहयोग के बारे में सुझाव देना ।

(3) क्षेत्रों की वित्तीय प्रणाली का अध्ययन करना और यदि आवश्यक समझा जाय तो उपयुक्त संशोधन सुझाना ।

(4) क्षेत्रों के निरीक्षण और सूचना देने के बारे में उपयुक्त कार्य-विधि का सुझाव देना।

(5) इस बात का पता लगाना कि प्रयत्नों या स्थानिय संस्थाओं और भारत सेवक समाज तथा अन्य समान संगठनों के कार्य में किसी प्रकार का दोहराव या अतिव्याप्ति तो नहीं।

(6) कार्य-विधियों के बारे में सुझाव देना और समाज के कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय गंदी बस्तियों में रहने वालों के वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अंशदान का वित्तीय आधार पर अनुमान लगाना।

शहरी सामुदायिक विकास

853. श्री लिंग रेड्डी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में शहरी सामुदायिक विकास का एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) शहरी जनता पर इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : जी, हां। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिये 14½ परियोजनायें नियत की गई हैं और परियोजनाओं के लिये अब तक चुने गये कर्मचारी-वृन्द को दो मास के लिये स्थिति ज्ञान सम्बन्धी एक अल्प-कालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जा रहा है। प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात परियोजनाओं में कार्य आरम्भ हो जायेगा।

Medical and Health Personnel in U. P.

854. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether the U. P. Government have asked for more training facilities to meet the requirements of Medical and Health personnel in the State;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the steps taken in this behalf?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) To meet the shortage of health personnel in the State, the Uttar Pradesh State Government has proposed in their Memorandum for the Fourth Five Year Plan the establishment of three new Medical Colleges at Meerut, Jhansi and Gorakhpur and the improvement and development of other training centres. A statement giving the details of such programmes, together with the allocations proposed by the State Government in their proposals for the Fourth Five Year Plan is attached. **[Placed in the Library. See LT. No. 5186/65.]**

(c) The proposals included in the Fourth Five Year Plan of the State Government are yet to be approved by the Planning Commission.

Nehru Commemorative Coins

855. Shri Kishen Pattnayak :
Shri Bagri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2693 on the 23rd September, 1965 and state :

(a) whether any assessment has been made about the number of Nehru Commemorative Coins required to meet the demand in foreign countries; and

(b) the special arrangements made by Government to meet this demand?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) No, Sir.

(b) No special arrangements have been made by Government so far but the matter is under consideration.

Import of Security Paper

856. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the percentage of security paper imported from abroad;

(b) the percentage manufactured indigenously; and

(c) when the country is likely to be self-sufficient in this respect?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). Government have no information about the total quantity of security paper consumed in the country. Out of the security paper consumed by the India Security Press, Nasik Road, 24 per cent is imported and 76 per cent indigenously manufactured.

(c) It is not possible to say when the country will be self-sufficient in security paper. A Security Paper Mill is being set up at Hoshangabad for the production of currency and bank note paper to meet the needs of the India Security Press, Nasik Road.

Small-Pox

857. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that there has been an increase in the incidence of Small-Pox in the country during 1964-65 and 1965-66 (so far);

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the number of cases of Small-Pox, Statewise, during the above period?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The information has been laid on the table of the house. **[Placed in the Library. See No. CT-5187/65.]**

राष्ट्रमंडल चिकित्सा सम्मेलन

858. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अक्तूबर 1965 में एडिनबर्ग में हुए प्रथम राष्ट्रमंडल चिकित्सा सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) क्या सम्मेलन में चिकित्सा शिक्षा तथा सेवा का बड़े पैमाने पर विकास करने में राष्ट्रमंडल के देशों के बीच सहयोग करने के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत द्वारा हाल के वर्षों में चिकित्सा शिक्षा में भारी प्रगति के बावजूद भारत में डाक्टरों के अनुपात में जनसंख्या ब्रिटेन की अपेक्षा छः गुनी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अनेक भारतीय चिकित्सा स्नातक ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में नौकरी कर रहे हैं अथवा निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें भारत वापस आने के लिये राजी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । भारत में डाक्टरों के अनुपात में जनसंख्या ब्रिटेन की अपेक्षा पांच से छः गुना है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद में डाक्टरों सहित वैज्ञानिकों का एक पूल बनाया गया है और विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डाक्टर इस पूल में शामिल होते रहे हैं । दूसरी बात यह है कि जब डाक्टरों के रिक्त स्थानों के बारे में विज्ञापन दिया जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी बाहर जाते हैं और विदेशों में अध्ययन अथवा अनुसन्धान कर रहे भारतीय डाक्टरों से इण्टरव्यू करते हैं । तीसरी बात यह है कि विदेशों में रह रहे योग्य भारतीय डाक्टरों को समाविष्ट करने के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद में अधिसंख्य पद निकालने के लिये एक योजना विचाराधीन है ।

राजधानी में मकानों की कमी

859. श्री यशपाल सिंह : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम आय और अधिक निर्माण-लागत के फलस्वरूप राजधानी में मकानों की बहुत कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-लागत को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठायेगी और राजधानी में निम्न आय-वर्ग के व्यक्तियों के लिये मकानों की व्यवस्था करने के लिये और क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) यह ठीक है कि राजधानी में सामान्यतः मकानों की कमी है ।

(ख) चौथी योजना के दौरान सीमेन्ट के उत्पादन को बढ़ाने, स्टील तथा अन्य आवश्यक भवन सामग्री एवं नई भवन सामग्री, जो कि परंपरागत भवन-सामग्री का स्थान लेगी अथवा उसका पूरक होगी, के निर्माण को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है । आशा है कि ये उपाय इमारतों की लागत घटाने में सहायक होंगे । राजधानी में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को मकानों की व्यवस्था करने के लिए इनके अतिरिक्त निम्नांकित अन्य उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को दिल्ली प्रशासन के द्वारा एक बहुत बड़ी संख्या में विकसित प्लाट उचित दामों पर लाटरी के द्वारा दिये जा रहे हैं । कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटीज़ को विकास करने तथा अपने सदस्यों को मकानों के स्थान की व्यवस्था करने के लिए अविकसित भूमि भी अलाट की जा रही है ।

(2) निम्न आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए दीर्घ-अवधि के ऋण दिये जा रहे हैं । इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन को पिछले वर्ष के 56.50 लाख रुपयों की तुलना में चालू वर्ष के लिए 68.20 लाख रुपये दिये गये है ।

(3) दिल्ली के नागरिकों को जिनमें निम्न आय वर्ग के व्यक्ति भी शामिल हैं, किराया-खरीद के आधार पर 3000 बने बनाये मकान देने का दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव है ।

सरकारी आवास का आवंटन

860. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास देने के नियम हाल में पुनरीक्षित किये गये हैं जिसके अनुसार अब उन कर्मचारियों को मकान मिल सकते हैं, जिन्हें अब तक सामान्य पूल से मकान नहीं मिल सकते थे ;

(ख) यदि हां, तो नियमों में क्या परिवर्तन किये गये हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को, विशेषत: श्रेणी तीन के कर्मचारियों को, मकान मिलने की तारीख की प्राथमिकता की दृष्टि से अन्य श्रेणियों की अपेक्षा बहुत बाद में मकान मिलेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) जिन सरकारी कर्मचारियों के पास एक विशेष दूरी की सीमा में अपने निजी मकान है, और जो कि पहले सरकारी निवास स्थान के आवंटन के लिये अपात्र थे उन्हें अभी हाल ही में मूल नियम 45 बी के अन्तर्गत मानक किराया अथवा मूल नियम 45 ए के अन्तर्गत पूल्ड मानक किराया, इनमें जो भी अधिक हो, अदा करने पर उसके लिये पात्र घोषित कर दिया गया है ।

(ग) ऐसे कर्मचारियों की कठिनाईयां दूर करने के लिये जो कि ऐसी परिस्थितियों के कारण जिन पर कि उनका बस नहीं है, अपने निजी मकानों में नहीं रह सकते थे ।

(घ) II तथा III श्रेणियों में आवंटित किए गये क्वार्टरों का प्रतिशत अन्य की तुलना में कम है ।

(ङ) ऐसी श्रेणियों को बनाने में अधिक ध्यान देना अभिप्रेत है ।

पाकिस्तानी बमबारी से जख्मी हुए लोगों के लिए चिकित्सा सहायता

861. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल रैड क्रास सोसायटी अथवा अन्य किसी विदेशी एजेंसी ने विभिन्न नगरों पर पाकिस्तानी विमानों द्वारा की गई बमवर्षा से ज़ख्मी हुए लोगों के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करने में सहायता देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता देने को कहा है तथा सहायता देने वाली एजेन्सी कौन कौन सी हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) जनेवा रैड-क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति ने विमान द्वारा निम्नलिखित वस्तुयें भेजी हैं :—

(एक) लगभग 20,000 रुपये की औषधियां तथा उपकरण ;

(दो) 50,000 रुपये से अधिक के मूल्य के 75,000 किलो ग्राम दुग्ध चूर्ण की एक बिल्टी ।

अन्तर्राष्ट्रीय समिति ने भारत में सहायतार्थ आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिये अपनी निधि में से लगभग 27,170 रूपये और भेजने के लिये आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त समिति ने रैड-क्रास की राष्ट्रीय सोसायटियों से भारत को इस द्वारा दी गई सहायता का समर्थन करने की अपील की है तथा उन में से कुछ सोसायटियों से सहायता मिलनी आरम्भ हो गई है।

सेकूलर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली

862. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेकूलर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के सचिव के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही जांच में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय इस मामले की क्या स्थिति है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : इस मामले में सी० आई० डी० क्राईम ब्रान्च ने अभी तक अपनी तफतीश पूरी नहीं की है।

युद्ध जोखिम बीमा

863. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुण्डियों को भुनाने के बारे में युद्ध जोखिम बीमा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री० ति० त० कृष्णम्माचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Evasion of Income-tax in Rajasthan

864. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of cases regarding the evasion of Income-Tax in Rajasthan which are pending at present?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : The number of assessees against whom complaints of tax evasion were pending as on 10-11-1965 is 745.

पाकिस्तानी हमले में मरे असैनिक व्यक्तियों को अवार्ड

865. **श्री बसुमतारी** :
श्री रामपुरे :
श्री कनकसबै :
श्री मुहमद कोया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अगस्त को अथवा उसके बाद पाकिस्तान के विरूद्ध फौजी कार्यवाही में शत्रु की कार्यवाही से ड्यूटी पर हताहत हुए असैनिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बढ़ी हुई पेंशन देने का सरकार ने निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अब तक कोई अवार्डस दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : जी, हां। आदेशों की एक प्रति संलग्न है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर उसे यथा समय सभा-पटल पर रख दिया जायगा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए, संख्या एल० टी० 5188/65।]**

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

866. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 और 1965–66 में अब तक बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये पंजाब सरकार को कितनी और किस प्रकार की सहायता दी गई ; और

(ख) किन-किन योजनाओं के लिये सहायता मंजूर की गई थी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिये 1964-65 में पंजाब सरकार को 251.00 लाख रुपये का एक ऋण दिया गया था। 1965-66 के दौरान, इस उद्देश्य के लिये 322.73 लाख रुपये नियत किये गये हैं।

(ख) ऋण किसी विशेष स्कीम के लिये नहीं दिये जाते। ऋण योजना में शामिल सभी स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण स्कीमों पर खर्च करने के लिये होते हैं।

जहाज-निर्माण

867. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज-निर्माण सम्बन्धी योजना दल के प्रतिवेदन में दिये गये मरम्मत की अधिक क्षमता-वाला एक और शुष्क पत्तन (ड्राई डाक) बनाने के सुझाव पर कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) निर्णय कब किया गया ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जहाज-निर्माण सम्बन्धी योजना दल के प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया है कि, जल परिवहन के जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है उस पर निर्भर रहते हुए, 6 या 7 अतिरिक्त शुष्क पत्तन (ड्राई डाक) बनाये जाने हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय सदस्य किस शुष्क पत्तन (ड्राई डाक) के बारे में कह रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Incentives to Industrialists for Cultivation in Canal Areas

868. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning Commission is re-considering a proposal to give an incentive to the industrialists to cultivate land on a large scale in new canal areas;

(b) whether Russia has agreed to provide assistance for the expansion of other farms on the lines of Suratgarh farm;

(c) Whether cooperative agricultural institutions are likely to be established in these areas; and

(d) if the replies to parts (a) to (c) above be in the affirmative, the conclusions drawn by the Commission?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir. However, a proposal to establish joint stock companies on waste land for seed farms is under consideration.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

ऊर्जा (एनर्जी) सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन

869. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की उर्जा सर्वेक्षण समिति द्वारा हाल में दिये गये प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या सरकार ने ईंधन अनुसन्धान संस्थाओं और इन्धन के इंजीनियरों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के संगठनों से उनकी राय मांगी है, और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की राय मिली है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) उर्जा सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर योजना आयोग के विचारों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) रिपोर्ट अभी छप रही है, इसलिये किसी संस्था अथवा संगठन आदि को उनके विचारों के लिये नहीं कहा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भवन निर्माण कारखाने

870. **श्री शिव चरण गुप्त :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भवन निर्माण कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अंतिम निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(ग) ये कारखाने किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : एक भवन कारखाना पहले ही से है, जिसका नाम है "हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी" और वह दिल्ली में स्थित है। इस फैक्टरी को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रयोजन के लिए अभी तक किसी उचित संयंत्र का मिलना संभव नहीं हो सका है।

नजफगढ़ नाला, दिल्ली

871. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजफगढ़ नाला, दिल्ली को चौड़ा और गहरा करने की योजना कब आरम्भ की गई थी ;

(ख) उस में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) स्कीम के चरण I को मार्च, 1959 में और चरण II को मार्च, 1960 में स्वीकार किया गया था।

(ख) उंचे टीलों आदि को हटाने के लिये चरण I के कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। कक्रौला पुल से भरतनगर पुल तक 900 क्यूसेक और उससे नीचे 3000 क्युसेक पानी ले जाने के लिये नाले की "रीसेक्शनिंग" और "रीग्रेडिंग" के लिये चरण II काफी हद तक पूरा हो चुका है। सभी पूलों के पुनर्निर्माण का काम, निम्नलिखित को छोड़ कर जो अभी निर्माणाधीन हैं, पूरा हो चुका है।

1—रोहतक रोड पुल

2—जी० टी० रोड पुल

3—आश्रम रोड पुल

4—त्रीनगर पुल

(ग) इन पुलों को मार्च, 1966 तक पुरा करना है।

दिल्ली में मोटरगाड़ी खड़ी करने के स्थान

872. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की बृहद् योजना में ट्रकों और बसों को खडा करने के लिये कुछ स्थान सुझाए गये हैं :

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौनसे हैं ; और

(ग) उनमें से कितने स्थानों पर मोटरगाड़ियां खड़ी की जाती हैं तथा शेष स्थान कब तक प्रयोग किये जाने के लिये तैयार हो जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) सुझाए गये स्थान इस प्रकार है :—

अन्तर्राज्यीय यात्री बस टर्मिनल तथा गाड़ीस्थान :

1. झण्डेवालान् के निकट ईदगाह के दक्षिण में।

2. मथुरा रोड पर केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था के उत्तर में।

3. रेलवे लाइन तथा ग्रैण्ड ट्रंक रोड के बीच शाहदरा रेलवे स्टेशन के निकट।

4. काश्मीरी गेट के बाहर कुदसिया बाग के निकट।

5. इस के अतिरिक्त राष्ट्रीय उप-मार्ग तथा यमुना नदी के पश्चिमी बंध के बीच गन्दे नाले के पूर्व में बेकार समय में गाड़ी खड़ी करने के लिये 21 एकड़ के एक अलग स्थान की भी सिफारीश की गई है। पहले इस स्थान का विकास किया जा रहा था परन्तु इसके शान्तिवन के निकट होने के कारण इसे छोड़ना पड़ा और इस के स्थान पर दिल्ली विकास प्राधिकार ने दो अन्य स्थान चुने हैं, अर्थात :—

(एक) वज़ीराबाद के निकट चन्द्रवाल वाटर वर्कस के दक्षिण में स्थान, और

(दो) यमुना नदी पर दो पुलों के बीच (एक गाज़ियाबाद को जाने वाले राष्ट्रीय उपमार्ग के लिये) राष्ट्रीय उप-मार्ग के पूर्व में पड़ा हुआ क्षेत्र।

माल पासल टर्मिनल तथा पार्किंग :

1. ईदगाह सड़क के दक्षिण में मोतिया खां क्षेत्र।

2. प्रस्तावित हवाई अड्डे के पश्चिम तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय राजपथ के उत्तर में शाहदरा क्षेत्र।

3. अम्बाला को जानी वाली ग्रैण्ड ट्रंक रोड पर आज़ादपुर पुलिस स्टेशन के निकट ।

4. रिंग रोड तथा लारेंस रोड के बीच तथा नंगल बिजली घर के आसपास रोहतक रोड के उत्तर में ।

5. मथुरा रोड पर ओखला औद्योगिक क्षेत्र के निकट ।

(ग) प्रस्तावित स्थानों में से अभी किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है । ग्रैण्ड ट्रंक करनाल रोड, झण्डेवालान तथा रोहतक रोड पर ट्रक टर्मिनलों के लिये आवश्यक योजनायें तैयार कर ली गई हैं । ग्रैण्ड ट्रंक करनाल रोड पर कार्य की मंजूरी दे दी गई है तथा झण्डेवालान् पर कार्य की मंजूरी दी जाने वाली है ।

यह बताना सम्भव नहीं है कि यह स्थान प्रयोग के लिये कब तक तैयार हो जायेंगे क्योंकि अपेक्षित भू-भागों को, जिन में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें गन्दी बस्तियां बसी हुई हैं, साफ कराना तथा उनका अर्जन किया जाना है ।

स्टेट बैंक द्वारा पेशगियां दिया जाना

873. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक ने हाल में उन विभिन्न उद्योगों को, जो प्रतिरक्षा अथवा अर्ध प्रतिरक्षा संबंधी माल तैयार करते हैं जैसे कपड़ो मिले, पेशगियां देने से संबंधित अपनी नीति पुनरीक्षित की है ताकि उनकी पूरी पूरी क्षमता तक काम करने की वित्तीय कठिनाइयों को दूर किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, परिवर्तन की गई नीति के अन्तर्गत किन-किन उद्योगों को तथा किस प्रक्रम में प्राथमिकता दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में किसी प्राथमिकता-क्रम का कठोरता से पालन नहीं किया जाता, किन्तु इस नीति का उद्देश्य यह है कि रक्षा प्रधान और निर्यात प्रधान उद्योगों, और अनाज तथा अत्यावश्यक वस्तुएं प्राप्त करने का जिम्मा लेने वाली राज्य सरकारों और राज्य सहकारी बैंकों और जूट, सूती-वस्त्र और चीनी जैसे बड़े-बड़े उद्योगों की यथासम्भव अधिक से अधिक सहायता की जाय ।

Development work in Eastern Uttar Pradesh

874. **Shri Vishram Prasad** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the extent of progress made in the development work of Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur and Deoria districts of Eastern U. P. in persuance of the recommendations of the Patel Commission;

(b) the amount spent so far on that work and the amount proposed to be spent in future;

(c) whether it is a fact that the pace of development has not been as expected; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (d). The State Government has been requested to furnish the report.

पाकिस्तान को चोरी छिपे माल ले जाना

875. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि भारत के कुछ विशेष स्थान अथवा स्थानों से नियमित रूप से चोरी छिपे कुछ माल और वस्तुएं पाकिस्तान ले जाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस तस्कर व्यापार में कौन-कौन व्यक्ति अथवा दल शामिल हैं;

(ग) इस वर्ष अब तक क्या क्या और कितने मूल्य के माल अथवा वस्तुओं का तस्कर व्यापार किया गया ; और

(घ) चोरी छिपे माल ले जाने वालों के विरुद्ध तथा भविष्य में तस्कर व्यापार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) उपलब्ध सूचना से यह संकेत नहीं मिलता कि भारत के कुछ विशेष स्थान अथवा स्थानों से नियमित रूप से माल चोरी छिपे पाकिस्तान ले जाया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पाकिस्तान को चोरी छिपे माल ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गये सभी माल के विषय में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

(घ) जब भी सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तो, माल की जब्ती के अलावा, अधिनियम में दिये गये दंड लगा दिये जाते हैं । महत्वपूर्ण मामलों में अदालत में मुकदमा भी चलाया जाता है । सीमा पर तैनात सीमा शुल्क कर्मचारी सतर्क ह और सावधानी से निगरानी की जा रही है ।

आन्ध्र प्रदेश में समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के उपाय

876. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम नगर के समीप समुद्र से भूमि के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में कोई उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : वर्तमान क्षतिग्रस्त समुद्र दीवार में और कटाव न हों इस बात के लिये उस की आवश्यक मरम्मत का काम राज्य सरकार द्वारा आरम्भ हो चुका है । राज्य सरकार विशाखापट्टनम शहर को समुद्र कटाव से होने वाली क्षतियों से स्थायी रूप से बचाने के लिये एक समुद्र-दीवार के निर्माण पर भी विचार कर रही है ।

आसाम को सहायता

877. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को उनके हाल के आसाम के दौरे के समय इस बात से अवगत कराया गया था कि आसाम को केन्द्रीय सहायता की बहुत अधिक आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता तथा किस प्रकार की परियोजनाओं के लिये सहायता की, मांग की गई थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : प्रधान मन्त्री को असम सरकार की अत्यावश्यक मांगों के बारे में बताया गया था । भारत सरकार इन की जांच करेगी ।

विदेशों के साथ किये गये ऋण-समझौते

878. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से सितम्बर, 1965 तक विभिन्न देशों और संस्थाओं के साथ कितने ऋण-समझौते किये गये;

(ख) इनमें से परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये कितने समझौते किये गये हैं; और

(ग) इन में से भारत सहायता सार्थ संघ ने जितना ऋण देने का वचन दिया था उसमें से कितने ऋण के बारे में द्विपक्षीय करार किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : जुलाई से सितम्बर 1965 तक विदेशों/विदेशी संस्थाओं के साथ दो ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। इनमें से एक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ किया गया और वह 10 करोड़ डालर (47.62 करोड़ रुपये) के लिए था; दूसरा समझौता नीदरलैण्ड के साथ किया गया और वह 1 करोड़ 30 लाख डच गिल्डर (1.71 करोड़ रुपये) के लिए था। ये दोनों ऋण प्रायोजनाओं से भिन्न कार्यों के लिए सहायता के रूप में हैं।

(ग) तीसरी आयोजना के लिए अब तक कुल 547 करोड़ 20 लाख डालर (2605.7 करोड़ रुपये) की जो रकम देने का वचन मिला उसमें से 435 करोड़ 90 लाख डालर (2075.7 करोड़ रुपये) के लिए द्विपक्षीय करार किये जा चुके हैं।

लोदी हाउस होस्टेल, नई दिल्ली

880. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित लोदी हाउस होस्टल को होटल बना दिया गया है अथवा बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस होटल का किस कार्य के लिए उपयोग किया जायगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां। लोदी होस्टल को होटल बना दिया गया है तथा 15 सितम्बर 1965 को उसे जनपथ होटल लिमिटेड ने अपने अधिकार में ले लिया था।

(ख) और (ग) : दिल्ली में सभी वर्गों के होटल-वास की बड़ी कमी है। दिल्ली में अपेक्षाकृत सस्ते होटेल की मांग को पूरा करने के लिए, लोदी हाउस को होटल में तबदील करने का निर्णय किया गया था। होटेल, भारतीय तथा विदेशी दोनों प्रकार के सभी टुरिस्टो के उपयोग के लिए अभिप्रेत है।

जम्मू तथा काश्मीर में सलाल जल-विद्युत परियोजना

882. **श्री नि० र० लास्कर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में सलाल जल-विद्युत् परियोजना को क्रियान्वित करने का काम केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय पर परियोजना किस स्थिति में है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। जम्मू व काश्मीर सरकार अब भी इस स्कीम का अनुसन्धान कर रही है।

योजना गोष्ठियां

883. **श्री कृष्णदेव त्रिपाठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों और कालिजों में स्थापित योजना गोष्ठियां विद्यार्थी समाज को योजना के प्रति जागरूक बनाने और विकास कार्यों में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने में पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध हुई हैं ;

(ख) वर्तमान आपातकाल के संदर्भ में, सरकार इन गोष्ठियों को सुदृढ़ और सक्रिय बनाने के लिए और क्या कदम उठाने वाली है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार योजना गोष्ठियों को विश्वविद्यालयों और कालिजों में शिक्षा संबंधी अन्य कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग बनाने और खाद्य-उत्पादन अभियान के लिए उनकी सेवाओं से लाभ उठाने का है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना गोष्ठियों को सलाह दी गई है कि वे विशेष कार्यक्रम चालू करें जिनमें राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को प्रोत्साहन देना, सहायता तथा पुनर्वास, रक्तदान एवं नागरिक रक्षा के लिए स्वयंसेवक कोर शामिल हैं ।

(ग) विचार गोष्ठियां ऐच्छिक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से अध्यापक और विद्यार्थी खाद्य उत्पादन के लिए अभियान सहित विभिन्न विकास कार्यकलापों में भाग लेते हैं । कतिपय गोष्ठियां खाद्य उत्पादन अभियान को सहायता प्रदान कर रही हैं ।

उड़ीसा की सिंचाई और विद्युत् क्षमता

884. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 25 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 378 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1965-66 में उड़ीसा की सिंचाई और विद्युत् क्षमता बढ़ाने के लिये अतिरिक्त सहायता की उड़ीसा सरकार की मांग पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : जहां तक 1965-66 के वर्ष के बिजली विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिये उड़ीसा सरकार ने कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं की है जिस पर भारत सरकार द्वारा कार्यवाही अभी बाकी रहती हो । सिंचाई शक्यता के विकास के लिये अतिरिक्त सहायता की प्रार्थना का जहां तक सम्बन्ध है, उड़ीसा सरकार ने महानदी डेल्टा सिंचाई स्कीम के लिये 80 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता के लिये प्रार्थना की है और इस पर विचार हो रहा है ।

बल्लमेला बांध परियोजना

885. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) जिला कोरापुट (उड़ीसा) में बल्लमेला बांध परियोजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) निम्नलिखित कार्य प्रगति कर रहे हैं :—

(1) भवन और सड़कें,

(2) जंगल की सफाई और उनको छूछा करना,

(3) बांध में मिट्टी का कार्य,

(4) हैंड रेस टनल, पावर टनल, बिजली घर के भवन और टेल रेस के लिये खुदाई का काम,

(5) अवधारक नलों की ग्रेडिंग।

उत्पादन संयंत्र और साज-सामान के आयात के लिये मे० मैशीनो-एक्सपोर्ट, रूस को आदेश दे दिये गए हैं और ठेके को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) अगस्त, 1965 तक परियोजना पर कुल 7.95 करोड़ रुपये खर्च हो जाने की संभावना है।

उड़ीसा में मकान बनाने के लिये ऋणों का मंजूर किया जाना

886. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छ : महीनों में उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से मकान बनाने के लिये पेशगी के बारे में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) सरकार ने कितने आवेदन-पत्र मंजूर किये; और

(ग) उपरोक्त अवधि में अब तक उनको मंजूर किये गये ऋण की कुल धनराशि कितनी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) छः।

(ख) दो।

(ग) 9,650 रुपये।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

887. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे हैं; और

(ख) उड़ीसा में नये प्राथमिक स्वाथ्स्य केन्द्रों के निर्माण के लिए 1965-66 में कुल कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 206।

(ख) राज्य सरकार ने 1965-66 के बजट में उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये जिन का निर्माण कार्य काफी प्रगति कर चुका है 5 लाख रुपये की व्यवस्था की है। अनुपूरक मांगों द्वारा 6 लाख रुपया और देने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कुल इस प्रकार 11 लाख रुपये दिये जायेंगे। यह विकास विभाग द्वारा उपलब्ध की गई राशि के अतिरिक्त है।

मद्रास में ग्रामीण आवास

888. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास सरकार ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि में से आवास बोर्ड को ऋण देती है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को यह भी जानकारी है कि इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण आवास सहकारी समितियों को बहुत नुकसान होता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जी नहीं। राज्य सरकार से स्थिति सुनिश्चित की जा रही है।

(ग) राज्य सरकार से आवश्यक सूचना प्राप्त होने पर इस पर विचार किया जायेगा।

श्रीलंका को सहायता

889. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय मशीनों और उपकरणों के निर्यात में वित्तीय सहायता देकर श्रीलंका को औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिये अधिक सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर हाल में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस रूप में सहायता दी जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पूर्वी तट पर तस्कर व्यापार

890. **श्री मलाइछामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोकने की दृष्टि से पूर्वी तट पर तस्कर व्यापार बन्द करने के लिये किये गये उपायों का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अबतक सरकार ने कितने मूल्य की निषिद्ध वस्तुएं जब्त की हैं; और

(ग) क्या पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष तस्कर व्यापार काफी कम हो गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : भारत में, हवाई, समुद्री तथा स्थल मार्गों से चोरी छिपे माल लाने को रोकने के लिए की गई कार्यवाही के नतीजे की समय समय पर समीक्षा की जाती है और जैसे आवश्यक हो वैसे सुधार किये जाते हैं। पूर्वी तट से (जिसमें मद्रास, कलकत्ता तथा विशाखापत्तनम् के सीमा शुल्क गृह और मद्रास, हैदराबाद तथा पांडिचेरी के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता कार्यालय शामिल हैं) सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, चोरी छिपे लाये गये के रूप में पकड़े गये बड़े बड़े मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। साल-बे-साल पकड़े गये माल में घट-बढ़ का आवश्यक रूप से यह अर्थ नहीं है कि चोरी छिपे माल आने में कमी या बेशी हुई है।

पूर्वी तट पर (जिसमें मद्रास, विशाखापतनम् तथा कलकत्ता के सीमा शुल्क-गृह और मद्रास, पाण्डीचेरी तथा हैदराबाद स्थित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्त्ता-कार्यालय शामिल हैं) चोरी छिपे लाये गये माल के रूप में पकड़े गये बड़े बड़े मामलों में माल के मूल्य का विवरण

वर्ष	बड़े बड़े मामलों में पकड़े गये माल का कुल मूल्य
1962 . . .	रु० 99.70 लाख
1963	रु० 88.84 लाख
1964 . . .	रु० 85.74 लाख
1965 (31-10-65 तक) .	रु० 75.57 लाख

आयकर अधिकारियों की भर्ती

891. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ग दो के आयकर अधिकारी सीधे भर्ती किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि त्यागी समिति अनुसार सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है ;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत है जिन्होंने आयकर अधिकारी पद के लिये विभागीय परीक्षा पास कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आयकर अधिकारी श्रेणी II के करीब 200 पदों को भरने के लिये संघ लोक सेवा आयोग के जरिये तदर्थ भर्ती की जा रही है ।

(ख) 1959 में प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति ने सिफारिश की थी कि श्रेणी II आयकर अधिकारियों के पदों के लिए सीधी भर्ती न की जाय। इस सेवा के लिये 1963 में जारी किये गये भर्ती सम्बन्धी नियमों में यह व्यवस्था रखी गई है कि इन पदों पर नियुक्ति पदोन्नति के जरिये की जानी चाहिये, परन्तु यह व्यवस्था भी है कि अगर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की राय में इस प्रकार की भर्ती की आवश्यकता हो तो संघ लोक सेवा आयोग के जरिये चुनाव करके विशेष कार्य के लिए भर्ती की जा सकती है ।

(ग) और (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

आन्ध्र प्रदेश में छोटे सिंचाई कार्यों के लिए सहायता

892. **श्री त्रि० सू० मूर्ति :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि आन्ध्र प्रदेश में छोटे सिंचाई कार्यों के लिये वचन दी गई साढ़े सात करोड़ रुपये की सहायता की रकम दे दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है और अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

आपातकालीन और आग बीमा का प्रीमियम

893. **श्री सुब्बरायन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों तथा व्यापार गृहों से आपातकालीन और आग बीमा का प्रीमियम चीनी आक्रमण के तत्काल बाद वसूल कर लिया गया था ;

(ख) यह कितने समय तक वसूल किया गया ;

(ग) क्या प्रीमियम की वसूली अब फिर चालू कर दि गयी है और यदि हां, तो कब से;

(घ) इसके आरम्भ से अब तक कितनी राशि वसूल की गई है ;

(ङ) इसका किस प्रकार उपयोग किया गया ; और

(च) उसे फिर से चालू किये जाने के बाद अब कितना प्रीमियम वसूल किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) संकटकालीन जोखिम (माल और कारखाना) बीमा योजनाएं, जिनमें बिक्री और सम्भरण (सप्लाई) के ऐसे माल के, जिसका बीमा योग्य मूल्य किसी प्रेसीडेंसी कस्बे या जिले में 30,000 रुपये से अधिक हो, और कारखानों आदि के अनिवार्य बीमे की व्यवस्था है, 1 जनवरी, 1963 से लागू की गयीं थीं।

(ख) और (ग) : 1963 में अलग-अलग तिमाहियों में भिन्न-भिन्न दरों से प्रीमियम लिया गया था। लेकिन जारी रहने वाली पालिसियों की दर को घटा कर 1-1-1964 से 31-8-1965 तक की अवधि में शून्य कर दिया गया था। सितम्बर 1965 से माल और कारखानों के लिए, उनके बीमा योग्य मूल्य के प्रति सौ रुपये या उसके भाग पर, क्रमशः 10 पैसे और 15 पैसे की दर से फिर प्रीमियम लिया जा रहा है।

(घ) 31-3-1965 तक जो रकमें वसूल हुई वे इस प्रकार हैं :

संकटकालीन जोखिम (माल) बीमा योजना .	950.61 लाख रुपये
संकटकालीन जोखिम (कारखाना) बीमा योजना . .	1846.00 लाख रुपये

(ङ) वसूल रकमों को, संकटकालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 10 और संकटकालीन जोखिम (कारखाना) बीमा अधिनियम, 1962 की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसार संकटकालीन जोखिम (माल) बीमा निधि और संकटकालीन जोखिम (कारखाना) बीमा निधि में डाला जा रहा है। इन दोनों योजनाओं के प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय की पूर्ति और शत्रु की कार्रवाइयों से होने वाले नुकसान के परिणामस्वरूप किये जाने वाले दावों (क्लेम) सम्बन्धी देनदारियों की अदायगी इन दोनों निधियों में से की जानी है।

(च) सितम्बर 1965 से प्राप्त हो रहे प्रीमियम की जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

पंडारा रोड, नई दिल्ली के फ्लैट

894. **श्री काजरोलकर :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंडारा रोड, नई दिल्ली के डी-2 फ्लैट कब बनाये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि तब से अब तक इन फ्लैटों के साथ सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप अंधेरा रहने के कारण अनेक घटनायें हुई हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में नई दिल्ली नगर पालिका से बातचीत की है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) : इनमें से अधिकांश फ्लैट 1954 में तथा कुछ थोड़े से 1961 में बनाये गये थे। फ्लैटों द्वारा अधिकृत क्षेत्र में सरकार ने सड़क पर प्रकाश व्यवस्था की मंजूरी इस शर्त पर की थी कि इन प्रकाशों का अनुरक्षण नई दिल्ली नगर पालिका के द्वारा किया जाय। नगर पालिका ने अभी तक प्रकाशों के अनुरक्षण की सहमति नहीं दी है।

नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों में हैंड पम्प

895. **श्री काजरोलकर :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों में हैंड पम्प लगाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये पम्प किन बस्तियों में लगाये गये हैं ; और

(ग) शेष बस्तियों में पम्प कब तक लगाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का, सरकारी बस्तियों में, हैंड पम्प लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

परिवार कल्याण कार्यकर्त्ता

896. श्री अब्दुल गनी गोनी : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1962 के बाद से दिल्ली प्रसूति अस्पताल, पुसा रोड, नई दिल्ली में परिवार कल्याण कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए कुछ पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है ;

(ग) उनमें से कितनों को नियोजित किया गया है ;

(घ) उनमें से कितने अभी भी बेरोजगार हैं ; और

(ङ) उनके बेरोज़गार रहने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। तीन कोर्स चलाये गये हैं।

(ख) 135।

(ग), (घ) और (ङ) : पहले दो कोर्सों में प्रशिक्षित 87 उम्मीदवारों में से 37 उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार ने नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा था। 48 उम्मीदवारों ने अपना प्रशिक्षण अभी अक्तूबर 1965 में पूरा किया है। कुछ उम्मीदवारों को दिल्ली नगर निगम ने तथा कुछ को उन संगठनों ने ही नियुक्त कर लिया है जिन्होंने वे प्रशिक्षण के लिये भेजे थे जो नियुक्त हो गये हैं अथवा जो नहीं हुए हैं उनकी ठीक ठीक संख्या और इसका कारण मालूम नहीं है।

मकान बन्धक निगम

897. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **वित्त** मंत्री 19 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 318 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मकान बन्धक (मोरगेज) निगम स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : विषय विचाराधीन है।

परिवार नियोजन केन्द्र

898. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि : उड़िसा के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में इस समय कितने परिवार नियोजन केन्द्र काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : 30 जून, 1965 को उड़ीसा में 84 परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र ग्राम-क्षेत्रों में और 52 नगर क्षेत्रों में चल रहे थे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली को दी जा रही बिजली में 50 प्रतिशत की कटौती करने का पंजाब सरकार के निश्चय का समाचार

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Speaker, I beg to call the attention of the Minister of Irrigation and Power to the following matter of urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported decision by Punjab Government to cut by half electricity supply to Delhi"

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : दिल्ली बिजली की अपनी आवश्यकताओं के कुछ भाग को नंगल बिजली प्रणाली से पूरा कर रही है और दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम इस समय इस प्रणाली से अधिक से अधिक लगभग 76 मैगावाट बिजली ले रहा है। 1965 के दौरान, जिस को रिकार्ड के अनुसार शुष्कतम वर्षों में से एक माना जाता है, वर्षा के अभाव के कारण भाखड़ा पर गोबिन्द सागर का स्तर काफी कम हो गया है। परिणामस्वरूप भाखड़ा प्रणाली से बिजली के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है। इसलिये पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम को नंगल से औसतन 30 मैगावाट और व्यस्ततम समय में 50 मैगावाट तक रोजाना बिजली देने का प्रस्ताव किया है। मैंने 8 और 9 नवम्बर, 1965 को पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष और दिल्ली बिजली सम्भरण समिति के अध्यक्ष से इस के बारे में बातचीत की थी। इस विचार विमर्श के परिणामस्वरूप, और सभी के हित को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने अब 16 नवम्बर, 1965 से आरम्भ होने वाले पखवारे के दौरान नंगल से दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम को बिजली की सप्लाई करने के निम्नलिखित कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है :—

(क) रात के 12 बजे से प्रातः 6 बजे तक . . .	20 मैगावाट
(ख) प्रातः 6 बजे से शाम के 5 बजे तक . . .	30 मैगावाट
(ग) शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक . . .	50 मैगावाट
(घ) रात के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक . .	30 मैगावाट
(ङ) रात के 10 बजे से आधी रात तक . . .	20 मैगावाट

बिजली सप्लाई के इस कार्यक्रम के अनुसार यह आशा की जाती है कि दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम को इस बात की जरुरत नहीं पड़ेगी कि वे अपने बिजली उपभोक्ताओं की बिजली की सप्लाई में कोई कटौती करें। बिजली की उपलब्धता स्थिति का पुनरावलोकन किया जाएगा और नंगल प्रणाली से दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम को बिजली सप्लाई के अगले कार्यक्रम को बनाने के लिये 30 नवम्बर, 1965 को फिर विचार विमर्श किया जाएगा। यह भी फैसला किया गया है कि दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम इस समय स्थापित किए जा रहे 15 मैगावाट के ताप केन्द्र को शीघ्र पूर्ण करने के लिये तत्पर कार्यवाही करेगा।

Shri Yashpal Singh : The Government has calculated that the production cost of electricity in Delhi would be six paise per unit while it would cost only 4 paise per unit if it is supplied by the Punjab Government. Thus, there is a difference of 2½ lakhs of rupees for a period of a fortnight. May I know who will bear this loss of rupees 2½ lakh—whether this loss would be borne by the Government or by the consumers?

डा० कु० ल० राव : श्रीमान् यह सच है कि दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम को इससे प्रति मास 2½ लाख रुपय की हानि होगी। यह हानि उपभोक्ताओं से पूरी नहीं की जायेगी। इसके साथ-साथ ही मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिला देना चाहता हूं कि पंजाब सरकार लगभग 30 प्रतिशत कटौती कर रही है जिससे इसके उद्योगों को कई करोड़ रुपयों का घाटा होगा।

श्री शिवचरण गुप्त (दिल्ली सदर) : माननीय मंत्री ने अभी यह कहा कि उन्होंने दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम को कहा है कि वे 15 मैगावाट के ताप केन्द्र को शीघ्र पूर्ण करे। मैं जान सकता हूं कि कुछ डीज़ल सेटों का प्रबन्ध करके दिल्ली के बिजली सम्भरण में वृद्धि करने की क्या कोई और योजना है क्योंकि पंजाब से बिजली न मिलने तथा राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति के कारण बाद में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है ?

डा० कु० ल० राव : इस समय भाखड़ा प्रणाली से बिजली की कमी को पूरा करने के लिये हमारे पास काफी बिजली है। फिर भी, मैं हर पन्द्रह दिनों के बाद स्थिति की जांच करता रहूंगा और मुझे आशा है कि जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, कोई कटौती नहीं की जायेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या माननीय मंत्री स्पष्टतया यह बता सकते हैं कि इस वर्ष के बाकी भाग में दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिये तथा औद्योगिक उपभोग के लिये बिजली में कटौती नहीं की जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : ठीक है, श्रीमान्। मैं किसी कटौती की आशा नहीं करता परन्तु यह कहना कठिन है कि पांच या छः महीनों के बाद क्या स्थिति होगी। उस समय भी हमारा पन्द्रह मिगावाट का ताप बिजली घर तयार हो जायेगा और कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कटौती हुई भी तो दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : The hon. Minister has said that due to failure of rains the generation of power has been adversely affected and it would be affected more if this very condition continues. I would like to know whether the Government are considering some scheme to face this difficulty, if so, the nature thereof ?

डा० कु० ल० राव : नहीं, श्रीमान्, हमने भाखड़ा बांध से इस प्रकार पानी छोड़ने का कार्यक्रम बनाया है कि बिजली उत्पादन की वर्तमान आवश्यकताओं के लिये वह उस समय तक काफी रहे जब तक कि जून के महीने में वहां और पानी जमा नहीं हो जाता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Punjab has suffered great loss as a result of Indo-Pak conflict and consequently need electricity badly. Secondly Delhi is capital of India and there are the offices of many diplomatic envoys here; and there are sometimes the electricity failures. May I know whether in this context, the Government are considering to generate thermal electricity here so that the electricity from Bhakra System is supplied to Punjab ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में 200 मिगावाट बिजलीघर का निर्माण हो रहा है और वह अगले वर्ष चालू हो जायेगा; पांच लाख किलोवाट के एक और बिजलीघर के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है और शीघ्र ही दिल्ली में इसका निर्माण-कार्य आरम्भ हो जायेगा। जब ये बिजलीघर तैयार हो जायेंगे तो दूसरे बिजलीघरों से बिजली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : माननीय मंत्री ने अभी-अभी यह कहा कि तदर्थ प्रबन्ध किये जा रहे हैं। परन्तु यह कठिनाई ऐसी नहीं है कि तदर्थ प्रबन्ध किये जायें। जब कभी पानी की कमी

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

होती है बिजली उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है और यह बार बार होता है। इस दृष्टि से क्या कोई दीर्घकालीन प्रबन्ध किये जा रहेहैं कि पानी से उत्पन्न बिजली तथा ताप बिजली के सम्भरण के बारे में कोई समन्वय स्थापित किया जाये ताकि बिजली का सम्भरण ठीक आधार पर हो।

डा० कु० ल० राव : हमें यह आशा है कि यह कठिनाई दोबारा नहीं होगी; कम से कम 50 वर्षों तक तो नहीं होगी; फिर भी इस दिशा में सावधानी बरती गई है कि काफी मात्रा में ताप बिजली का प्रबन्ध हो। जसा कि मैंने अभी कहा एक बड़ा बिजलीघर बन रहा है और एक दूसरे 5 लाख किलोवाट बिजली घर की स्वीकृति मिल रही है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : श्रीमान्, हमने सरकार द्वारा पंजाब तथा पंजाब के उद्योगों को बिजली में कटौती के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। परन्तु इसे दिल्ली के सम्बन्ध में स्वीकृत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री हेम बरुआ : पंजाब के उद्योगों को पाकिस्तानी हमले के कारण पहले ही बहुत हानि हुई है; इस दृष्टि से क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि बिजली के सम्भरण में कटौती के परिणामस्वरूप पंजाब के उद्योगों को और कितनी हानि होगी ?

डा० कु० ल० राव : मुझे खेद है; परन्तु यह सच है। पंजाब के बड़े पमाने के उद्योगों की मांग में 30 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। इससे निश्चय ही उत्पादन में काफी कमी होगी परन्तु दुःख है कि इस समय इसका कोई उपाय नहीं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : There is no doubt that Punjab should get preference to meet its electricity and water requirements. In this context, may I know whether the Government would discontinue the Supply of electricty to cinema houses so that the industries in Delhi may not suffer any loss?

डा० कु० ल० राव : दिल्ली, राज़स्थान और पंजाब के बीच एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार दिल्ली को कुछ मात्रा में बिजली दी जानी है। दिल्ली ने अपनी आपातकालिक बिजली का प्रयोग करके पंजाब को कटौती में कमी करने की सहायता दी है। जैसा मैंने पहले कहा है, जब हम अगले एक या दो वर्षों के दौरान दिल्ली में बिजली का उत्पादन बढ़ा देंगे तो पंजाब पर निर्भर नहीं रहेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : दिल्ली में बिजली के इस संकट के अतिरिक्त क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात भी आई है कि कानपुर के सभी आयुध कारखानों पर जहां बहुत ही विशेष प्रकार का प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान बनता है, केन्द्रीय मंत्री द्वारा यहां दिये ये आश्वासनों के बावजूद भी, बिजली की सप्लाई में भारी कमी के कारण, कुप्रभाव पडेगा ?

डा० कु० ल० राव : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी ऐसा कोई समाचार नहीं आया है कि बिजली में कमी की जायेगी।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1965

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1965 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम तथा प्रपत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1965 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1570 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5171/65।]**

नौसेना (नामांकन) विनियम, 1965

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (नामांकन) विनियम, 1965, जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 359 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5172/65।]**

ऋण प्रमाणपत्र (अतिरिक्त निष्कासन पर उत्पादन शुल्क) योजना, 1965 तथा अन्य अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामेश्वर शाहू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280-जेड ई की उप-धारा (4) के अन्तर्गत कर ऋण प्रमाणपत्र (अतिरिक्त निष्कासन पर उत्पादन शुल्क) योजना, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 5 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1636 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5173/65।]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 73वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1605 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 72वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1606 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 71वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1608 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 74वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1609 में प्रकाशित हुए थे।

[श्री रामेश्वर शाहू]

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 75 वां संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1607 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5174/65।]**

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क बांडों में निर्माण (सामान्य) चौथा संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1610 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० एस० आर० 1611 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) जी० एस० आर० 1612 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(चार) जी० एस० आर० 1613 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) जी० एस० आर० 1614 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5175/65।]**

(4) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्टाम्प अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 305/65 की एक प्रति जो दिनांक 3 अगस्त, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्ताकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5176/65]।**

सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DECONTROL OF CEMENT

अध्यक्ष महोदय : श्री त्रि० ना० सिंह सिमेंट पर से नियंत्रण हटाने के बारे में एक वक्तव्य देंगे। यह वक्तव्य कितने पृष्ठों का है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरी तथा सम्भरण मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): यह विवरण 4½ पृष्ठों का है।

अध्यक्ष महोदय : तो इसे सभा-पटल पर रख दिया जाये।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5177/65।]**

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : क्या इस पर चर्चा होगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इसके बारे में तो सभा ने निर्णय करना है।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुराहा) : इस सम्बन्ध में हमने ध्यान दिलाने वाली सूचनायें भेजी थीं परन्तु वे अस्वीकार की गई ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नायर यह समझनेका प्रयत्न करेंगे कि जब मैंने वे सूचनायें स्वीकार नहीं कीं तो मैंने यह सोचा कि यह मामला कई अन्य तरीकों से उठाया जा सकता है । वे अब चर्चा के लिये सूचनायें भेज सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पिछले सप्ताह आपने यह निदेश दिया था कि अन्य सूचना प्रश्न तथा तारांकित प्रश्न सम्बन्धी नियम अथवा अन्य ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं पर भी लागू हों । क्या मंत्रियों द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्यों की अग्रिम प्रतियां पुस्तकालय में रखी जा सकती हैं ताकि हम उन्हें पढ़ सकें और उन्हें सभा में पढ़े जाने की आवश्यकता न रहे ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को इसके बारे में पता कैसे लगेगा ? मैं माननीय मंत्रिगण से कहूंगा कि जब वक्तव्य लम्बा हो और उसे सभा-पटल पर रखा जाना हो तो उसे यहां पढ़ने के बजाये यदि सम्भव हो तो उनकी अग्रिम प्रतियां बनाई जायें और उन्हें उसी दिन पुस्तकालय में रखा जाये ताकि सदस्यों को वे प्रतियां मिल जायें और उन्हें प्रतीक्षा न करनी पड़े ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इससे सहमत हूं ।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : इस समय माननीय मंत्री इस वक्तव्य का सारांश पढ़ दें । **(अन्तर्बाधा)**

Shri Madhu Limaye : If a notice for a discussion on this has already been submitted, would that be considered?

Mr. Speaker : I will look into it.

दिल्ली प्रशासन विधेयक

DELHI ADMINISTRATION BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : श्री नन्दा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The motion was adopted.*

श्री ल० ना० मिश्र : मैं विधेयक को प्रस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कल यह बताया गया था कि आज डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के जीवन बीमा-निगम के प्रस्ताव पर चर्चा होगी । परन्तु आज डा० सिंघवी बीमार हैं इस लिए मेरा निवेदन है कि आज श्री मधु लिमये का कपड़ा मिलों को बंद करने के बारे में चर्चा हो ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I will be highly obliged.

Mr. Speaker : He got the point and will consider it.

करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—जारी

TAXATION LAWS (AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक पर खण्डवार चर्चा होगी। इसके लिए पांच घंटे नियत किए गये हैं। उसमें से 4 घंटे तथा 55 मिनट समाप्त हो चुके हैं। अब केवल 5 मिनट शेष हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।/*Clauses 2 to 4 were added to the bill.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।/*Clause 5 was added to the bill.*

खण्ड 6 तथा 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clauses 6 and 7 were added to the bill.*

खण्ड 8—राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्वर्ण बांड, 1980 में विनियोजित छिपी हुई आय के कुछ मामलों में कर की छूट

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 35 के स्थानपर निम्नलिखित रखा जाये—

"of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or any subsidiary bank of the State Bank of India".

["भारत के रिजर्व बैंक, भारत के स्टेट बैंक अथवा भारत के स्टेट बैंक की किसी भी शाखा का"] (1)

यह 'सरकारी कर्मचारी' की परिभाषा है। इसमें इन सभी बैंको के अधिकारी तथा कर्मचारी सभी आ जाते है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 35 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or any subsidiary bank of the State Bank of India"

["भारत के रिजर्व बैंक, भारत के स्टट बैंक अथवा भारत के स्टेट बैंक की किसी भी शाखा का"] (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । *The motion was adopted.*

श्रीमती रेणुका राय (मालदा) : विधेयक पर सामान्य चर्चा के समय मैंने राज्य मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि विधेयक में से खण्ड 8 को एकदम निकाल दें। मैं अपने कारण पहले ही बता चुकी हूं। यह विधेयक बडी ही अच्छी भावनाओं से पेश किया गया है। परन्तु मैं समझती हूं कि यदि ऐसा अन्य प्रकार से किया गया होता तो उसके अनेक परिणाम निकलते। हाल में ही प्रधान मंत्री ने एक अपील की थी और उसी के आधार पर इतने जेवर मिले जितने मिलने की आशा नहीं थी। इसीलिए छिपाकर स्वर्ण रखने वालों को खण्ड 8 में दी गई रियायत नहीं दी जानी चाहिए थी। देशभक्ति का प्रश्न है। आज हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न सामने है और इसके लिए जवरात क्या हमें सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं।

श्री ब० रा० भगत : कल, वाद-विवाद का उत्तर देते हुए मैंने बता दिया था कि मैं इस खण्ड में निहित रियायतों को देना क्यों आवश्यक समझता हूं। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं कहना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

खंड 8 संशोधित रूप में विधयक में जोड दिया गया ।/*The clause 8 as amended was added to the bill.*

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 9 was added to the bill.*

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।/*Clause 1, the enacting formula and the title were added to the bill.*

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह एक अनैतिक विधेयक है। क्योंकि मालूम होता है कि सरकार उन लोकों को लाभ पहुंचाना चाहती है जो हमेशा ही कराधान विधियों में कमियां ढूंढते रहते हैं तथा सरकार के साथ असहयोग करते रहते हैं। कर्मचारियों के कामों में विघ्न डालते रहते हैं तथा प्रशासन को धोखा देते रहते हैं। ऐसे लोग केवल अपना ही भला करने में लगे रहते हैं तथा करोड़ों रुपयों के मालिक बन जाते हैं। मैं समझता हूं कि, सरकार इन्हीं लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है जिससे यह अपना काला धन सोना खरीदने में ला सके और उस सोने को सरकार के पास जमा कर सके तथा पन्द्रह वर्ष बाद उनको अपना धन सोने के रूप में वापस मिल सके।

आप देखिये कि स्वर्ण नियंत्रण आदेशों के क्या परिणाम निकले। मैं समझता हूं कि जिन उद्देश्यों से यह आदेश बनाये गये थे वह उद्देश्य इससे पूरे नहीं हुआ। परन्तु फिर भी सरकार इसको बनाये रखने के

[श्री रंगा]

लिए उतारु है। यह कहने को तैयार नहीं है कि सरकार अपने उद्देश्यों में असफल हो गयी है। आज हम देखते हैं कि इन्हीं आदेशों के कारण लगभग 5 लाख सुनार बेकार हो गये हैं। इनकी बड़ी ही निराशा-जनक स्थिति है। ये लोग सरकार के सामने लाइसेंस, परमिट आदि के लिये हाथ पसारे फिर रहे हैं। इस लिए यही अच्छा है कि यह विधान वापस ले लिया जाये तथा इन लोगों की कठिनाइयां दूर कर दी जायें।

मैं तो यह तो समझता हूं कि इस विधेयक से केवल धनी लोगों को लाभ होगा। यह धनी लोग गांवों तथा कसबों में जाकर दुगने तथा तीगने दाम देकर मध्यम वर्ग से अपने काले धन को देकर सोना खरीद लेंगे तथा इस प्रकार खरीदे गये सोने को सरकार के पास जमा कर देंगे तथा 15 वर्ष बाद अपने इस काले धन का खुले आम उपयोग करेंगे। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि गलत ढंग से कमाये गये धन का यह करोड़पति लाभ उठायेंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों को समझेगी और अभी नहीं तो कुछ समय बाद इन गड़बड़ियों को दूर करने का प्रयत्न करेगी।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : जैसा कि श्री रंगा ने कहा यह विधेयक अनैतिक है और केवल ऐसे लोगों के लाभ के लिये बनाया गया है जो समाज विरोधी हैं। इससे हमारे समाज के लोभी तथा दुष्ट लोगों को अधिक लाभ होगा। सरकार को समझना चाहिए कि वह बेईमानी को प्रोत्साहन दे रही है।

कल श्री वरियार ने पूछा कि क्या हम उन लोगों से सोना लेने का प्रयत्न करेंगे जिनके पास सोना है। श्री भगत ने उत्तर दिया था कि वह ऐसे लोगों के हृदय को टटोलेंगे तथा ऐसा करने की कोशिश करेंगे। हमें याद है कि जब तिलक स्वराज्य के लिए गांधीजीने सोना तथा धन इकट्ठा किया था उस समय उन्होंने क्या किया था। वह घर घर जाते थे। औरतों की बैठकें बुलाते थे तथा वहां का धन तथा सोना मांगते थे। इस प्रकार उन्होंने कुछही महीनों में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया था।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश में सोने का काफी दुरुपयोग होता है। हम सोने को जमा करते हैं। हमें देश की जनता के मन से इस भावना को दूर करना है। आगे बढ़ो तथा जनता से अपील करो और देखो कि जनता आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है।

कुछ समय पहले श्री महावीर त्यागी ने भी इसी प्रकार की कुछ रियायतें इन काले धन के स्वामियों को दी थीं। इसके परिणामस्वरूप 107 करोड़ रुपये इकट्ठा हो गये थे। परन्तु फिर भी पूरा काला धन बाहर नहीं आ पाया था। हमारे श्री कृष्णमाचारी तथा श्री भगत भी उसी प्रणाली को अपना रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके कोई अच्छे परिणाम निकलने वाले नहीं है। श्री भगत ने एक बार ठीक कहा था कि हमारे कानूनों में कुछ कमियां हैं जिनका नाजायज़ लाभ यह करोड़पति लोग उठाते हैं। आप उन कमियों को दूर करिये। और जब तक कमियां दूर न हो जायें तब तक के लिए हम भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग कर सकते हैं।

आज के ही समाचारपत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि कलकत्ता में आयकर अधिकारियों ने कई करोड़ रुपये के काले धन का पता लगाया है। परन्तु इसका क्या प्रभाव पड़ा। हाल में ही श्री नन्दा कलकत्ता गये थे। उन्होंने वहां पर व्यापारियों को सांत्वना दी, इसके बाद हमारे संसद कार्य मंत्री कलकत्ता गये। उन्होंने छापे मारे जाने आदि के मामले में व्यापारियों से माफी मांगी। मैं समझता हूं कि उनका ऐसा करना बहुत गलत बात है।

कल श्री भगत ने सभा में बताया था कि हमें अपने मूल्यों के अनुसार 1.73 करोड़ रुपये का तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार 73 लाख रुपये का सोना मिल चुका है। क्या वह आशा करते हैं कि

उनको लगभग 500 करोड़ रुपये का सोना मिल जायेगा। मैं समझता हूं कि आप जब तक गांधी जी के समान जनता से सोने के लिय अपील नहीं करेंगे तब तक आपकी आशायें पूरी होने में मुझे संदेह रहेगा।

सरकार को अवध आयात-निर्यात व्यापार, सट्टेबाज़ी, गैर सरकारी रूप से उधार तथा सूदखोरी आदि को बन्द करना चाहिए। बैंकों पर नियंत्रण लगाना चाहिए। मुद्रास्फीति को रोकना चाहिए।

मैंने हाल में ही सभा में बताया था कि यह करोड़पति लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। श्री राम गुप्त को लीजिए। उन्होंने एक लाख रुपया शास्त्री जी की रक्षा कोष में दिया। उसका इतना प्रचार हुआ कि समाचार पत्रों में चित्र छपे आदि। परन्तु पाकिस्तानी समाचार पत्रों ने यह समाचार भी प्रकाशित किया है कि इसी ग्रुप ने पाकिस्तानी रक्षा कोष के लिए 20 लाख रुपये दिए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को इन लोगों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए।

देश के समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होते रहते है कि श्री ति० त० कृष्णमाचारी के पुत्रों ने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। मैं मानता हूं कि यह सभी समाचार ग़लत होंगे परन्तु कम से कम कृष्णमाचारी कम्पनी को इन समाचारों का खंडन करना चाहिए था। अथवा ग़लत समाचार प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा करना चाहिए।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि इन विधेयक को जिन उद्देश्यों से पेश किया गया है वह इससे पूरे नहीं हो पायेंगे।

Shri Sheo Narain (Bansil) : Sir, I listened to two Professors who spoke just now and want to tell the reasons why Government has brought forward this Bill. When our Government brought the Gold Control Bill then the opposition members opposed that Bill with relevance and now this Bill is being liberalised than even they are opposing. This is very funny. I think that Government has correctly brought forward this Bill because it is good to ask for money from our own countrymen than to take loan from foreign countries. I want to narrate History. Every body knows that how Bhenashah opened his 'Tijoris' to Maharava Pratap for defending the country. I think now our coutrymen will also come forward.

I think that in this way our Government has given encouragement to those persons to invest their money for the defence and, other welfare programmes, who cannot disclose it. Moreover Government has also closed the door for those officers who are in the habit of taking Bribe. Now they cannot harrass those persons who have undisclosed income and force them to give them something. We have provided money concessions to them and now they will invest their money in Gold Bonds.

Government has brought forward this Bill only to give those persons, who have undisclosed income a chance to disclose their income and use it afterwards for their benefit. With these words I support this Bill.

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : यह स्पष्टतया बता दिया गया है कि इस विधेयक को केवल इस लिए पेश किया गया है जिससे जिन लोगों के पास छिपा हुआ धन है वह उसको बाहर निकालें। सरकार छिपे हुए धन के संबंध में कानूनों को ठीक तरीके से लागू कर रही है परन्तु साथ ही साथ छिपे हुए धन वाले लोगों को अवसर दे रही है कि वह अपना ऐसा धन सोने में लगाकर सरकार को दें दें जिससे वह उसको प्रतिरक्षा संबंधी कार्यों में लगा सकें। इस लिए मैं इसको बहुत अच्छा विधेयक समझता हूं क्या इसका स्वागत करता हूं।

Shri Bade (Khanjore) : In this country more than 80 per cent people are poor and only 20 per cent are rich. Government have given concessions only to these rich people in the form of Gift Tax, Wealth Tax, Estate Duty but even then they have not declared their undisclosed money and not given their Gold to Government. I am of the opinion that Government will not get money or Gold from these wealthy firms unless they become a bit hand. Therefore, I appeal to the Government to withdraw this Bill and do not give protection to these black marketeers.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने में असमर्थ हूं। मैं मानता हूं कि इसको बड़े ही अच्छे उद्देश्यों से पेश किया गया है। आज देश पर पाकिस्तान तथा चीन ने हमला कर दिया है और इसके लिए हमें धन की बहुत आवश्यकता है। यह धन हमें अपने देश से इकटठा करना है। परन्तु ऐसा करने के लिए हमें धोखाधड़ी का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसके द्वारा बेईमानी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और कर अपवंचकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे वह कर का आपवंचन कर। हमें तो यह प्रयत्न करना चाहिए जिससे उत्पादकों, किसानों, मजदूरोंको प्रोत्साहन मिले। परन्तु हो यह रहा है कि समाजके इन तत्वों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

इस विधेयक को पेश करते समय संभवतया वित्त मंत्री ने यह सोचा है कि वह रोमन देवता मिडास बन गये हैं और जिस प्रकार मिडास जिसको छूता था वही सोना हो जाता था उसी प्रकार इस विधेयक के द्वारा वह सभी सोना बाहर निकाल लेंगे। ऐसा उनका विचार है।

यदि कोई व्यक्ति इस संसार में कोई अच्छा कार्य करना चाहता है तो उसे जसा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कामिनी और कंचन का लोभ त्यागना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे।

जिन तीन उद्देश्यों को लेकर स्वर्ण नियंत्रण आदेश को जारी किया गया था वे तीनों विफल हो गये हैं। इसका एक उद्देश्य सोने के तस्कर व्यापार को समाप्त करना था और उसके लिये श्री भगत ने राज्य सभा में दावा भी किया था कि बहुत सफलता मिली है।

श्री ब० रा० भगत : मैंने कभी ऐसा नहीं कहा।

श्री नाथ पाई : तो आप यह मानते हैं कि आपको इसमें सफलता नहीं मिली हैं।

श्री ब० रा० भगत : मैंने यह भी नहीं कहा था।

श्री नाथ पाई : सोने का तस्कर व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और आप शुद्ध सोना जिनका चाहे ले सकते हैं।

दूसरा उद्देश्य विदेशी मुद्रा को बचाना था। तीसरा उद्देश्य संसाधनों को विकास और योजना कार्य में जूटाना था। चौथा उद्देश्य सोने की कीमतों को नीचे लाना था। क्या इनमें से कोई बात भी पूरी हुई है? सोने की कीमतें इस समय पहले से काफी बढ़ी हुई हैं।

ऐसा कानून बनाने से किसको लाभ पहुंचता है? उन लोगों को जो आपके कानूनों का मखोल बनाते रहे हैं। इस सोने को खेंचने के लिये कुछ और उपाय करने होंगे। यह सोना किस तरह बना? यह सोना करों की चोरी से बना है और खरीदे गये सोने को छिपा कर रखा गया है। वे लोग समाज विरोधी है। उन्होंने कानून को तोड़ा है। मेरी आपत्ति यह है कि इस रियायत देने के बावजूद भी आप जो चाहते हैं आपको नहीं मिलेगा।

आप लोगों की मुसीबतों को देखते हुए इस विधेयक से कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। यदि आपको 5 लाख स्वर्णकारों की मुसीबतों का कोई ख्याल नहीं है तो यह बहुत बुरी बात है। सरकार को चाहिये कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश को समाप्त कर दे। सरकार को संसाधनों को इकट्ठा करने के इस गलत तरीके को छोड़ना चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : This Bill is not going to extract gold from those people who are having this in abundant quantities. The Ministers should tell us how much gold has so far had collected since 31st of January, out of this how much has been collected from income tax payers, wealth tax payers. These have not given even the five per cent of the total contribution and from this we can judge the measure of success achieved by this legislation.

Shrimati Renuka Ray has said a remarkable thing that section 8 should be dropped. This section seeks to treat the honest and the dishonest at par and therefore the honest people will not like to this thing. You are giving the same concessions to the persons who have accumulated wealth through malpractices and further more you are not sure what amount of wealth they are possessing. Therefore I earnestly plead that that section should be dropped. Only the dishonest people are likely to be benefitted by this Bill. the Government should withdraw this Bill otherwise this will meet the same fate as the Gold Control Act has met. This 14 ct. gold has no meaning. It has no value in the International Market. You cannot sell it there.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का एक बार और विरोध करता हूं। यह बहुत खेद की बात है कि हमारे देश में जो भी विधान बनाये जाते हैं वे सही तरीके से नहीं बनाये जाते हैं और छिपे हुए धन अथवा सोने को निकालने के लिये सच्चे दिल से प्रयत्न नहीं किये जाते हैं। माननीय वित्त मंत्री ने जब यह घोषणा की थी और 3 महीने तक छिपे हुए धन को प्रकट करने की रियायत दी थी उस समय दिल्ली की अदालतों में आयकर के कई मामले पड़े थे। यदि यह घोषणा न की होती तो उनको 40 प्रतिशत आयकर देना पड़ता और 140 प्रतिशत जुर्माना के रूप में देना पड़ता। इस लिये इस विधान से केवल उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचा है जो पहले से सरकार से सभी तरह की रियायतें ले रहे हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस देश के उद्योगपति चोरबाज़ारी से पैसा कमा कर उसे छिपा रहे हैं। कानपुर के एक लक्ष्मी चन्द अग्रवाल ने करोड़ों रुपया छिपा रखा है और वह पाकिस्तान को नालीदार चादरें भेज रहा है। जब कि पाकिस्तानी सिपाही हमारे जवानों को मार रहे थे कलकत्ता में जय चन्द सेठिया और गजराज सरागोई जैसे लोग चोरबाज़ारी के मामले पकड़े गये। इतना ही नहीं वे पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दे रहे थे। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की ईमानदारी देखिये उन्होंने इस मामले के जांच करने वाले अधिकारी को वहां से बदली कर दिया।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : यह सब गलत है।

श्री स० मो बनर्जी : क्या श्री आर०प्रसाद, कलेक्टर को वहां से बदली नहीं किया गय है ? क्योंकि वह ईमानदारी के साथ उनको गिरफ्तार करने का प्रयत्न कर रहा था इसलिये उसकी बदली की गई।

मैं यह समझता था कि इस विधेयक से स्वर्णकारों को कुछ लाभ पहुंचेगा। और स्वर्ण नियंत्रण आदेश का निराकरण कर दिया जायेगा। परन्तु, ऐसा नहीं किया गया है।

[श्री स० मो० बनर्जी]

अब देश में ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोग सोना दें। मुझे विश्वास है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये केवल बीच की श्रेणी के लोग ही सोना देंगे धनाड्य लोग नहीं देंगे।

सरकार जिस चीज़ को हाथ लगाती है वह उड़ जाती है। वे गेहूं को छूते हैं तो गेहूं गायब हो जाता है। अब सरकार सोने को छूने जा रही है और यह भी गायब हो जायेगा। वास्तव में क्या हो रहा है? 5 लाख स्वर्णकार गलियों में बेकार घूम रहेहैं। यह हमारी योजना है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, सोने में सब गुण हैं। रूस और चीन को भी सोना चाहिये क्योंकि सोने को सब देश स्वीकार करते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य केवल उन उद्योग-पतियों और पूंजीपतियों को जिनके पास सोना है यह आश्वासन देना है कि उनका सोना कर से मुक्त है और 15 वर्ष बाद इसे वापस कर दिया जायेगा। अतः हमें तो इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये। जिन्होंने इस विधेयक का विरोध किया है उनमें से कुछ तो यह चाहते हैं कि पूंजीपतियों को और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिये और कुछ यह चाहते हैं कि उनका सफाया किया जाना चाहिये। हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है और यहां पर किसी से ताकत के ज़ोर पर सोना नहीं लिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सामूहिक रूप से देश इस विधेयक का समर्थन करेगा। हमें हथियारों को बाहर से मंगाने के लिये सोना चाहिये किसी और चीज के लिये नहीं।

यदि हम देश को चीन और पाकिस्तान के आक्रमण से बचाना चाहते हैं तो हमें सोना देना होगा अथवा हमें और करों के लिये तैयार होना होगा। इसलिये सोना प्राप्त करने के लिये कुछ आश्वासन देना आवश्यक है।

जो लोग सोना देना चाहते हैं उनको दबाना उचित नहीं है। उनको यह भी समझना चाहिये कि सोने का मूल्य कम होता है।

श्री ब० रा० भगत : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है परन्तु, कोई नई बात नहीं कही है। जो रियायत दी जा रही है वह चोरबाजारियों को नहीं दी जा रही है कि वे अपने छिपे हुए धन को सोने में बदल लें। यह तो रियायत तो केवल उन लोगों के लिये है जिनके पास काफी सोना है। उनको सोना बेचना नहीं पड़ेगा।

दूसरे, यह रियायत केवल तीन या चार महीने के लिये है। आयात की स्थिति को देख कर यह रियायत दी जा रही है ताकि हम शीघ्र आत्मनिर्भर हो जायें। रियायत बिल्कुल उचित है और ज्यादा नहीं है। सरकार ने तस्कर व्यापार विरोधी कदम भी उठाये हैं। स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम से सामाजिक सुधार भी होगा। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि हमारी नई पीढ़ी मे सोने के लिये कोई प्यार नहीं होगा।

देश की अखंडता और स्वतंत्रता को बनाये रखने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से इस विधेयक को लाया जा रहा है। यह ठीक है कि कुछ रियायतें दी गई हैं परन्तु वे उचित हैं और सोना प्राप्त करने की दृष्टि से दी गई हैं। मैं चाहता हूं कि संसद एकमत हो कर इस विधेयक को पारित करे जिससे कि देश में अच्छा वातावरण पैदा हो और लोग अधिक से अधिक सोना दें। यदि ऐसा हुआ तो हमें आशा है हम काफी मात्रा में सोना इकटठा कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The Motion was adopted.*

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1965–66

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENARAL), 1965-66

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर विचार करेंगे । इसके लिये 2 घंटे का समय नियत किया गया है ।

क्या मंत्री महोदय कोई भाषण देना चाहते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं ।

वर्ष 1965–66 के लिये सामान्य आय-व्ययक के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांग प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	I– राजस्व से किया गया व्यय :	
16	शिक्षा	1,000
37	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	5,25,000
39	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान .	1,00,00,000
47	खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	7,50,00,000
83	पैट्रोल और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	1,65,00,000
110	लोक-सभा का अन्य राजस्व व्यय	1,00,000
	II–पंजी से व्यय और ऋणों और अग्रिमों का भुगतान	
121	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय . .	71,43,00,000
130	खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	15,00,000
133	उद्योग और संभरण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	2,80,83,000
140	इस्पात और खान मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	20,00,000

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इन मांगों में से एक मांग सरकार द्वारा भारत का धातु निगम के उपक्रम को अपने हाथ में लेने के बारे में हैं ।

इस सभा ने भारत का धातु निगम विधेयक पर अभी तक विचार नहीं किया है जब इस मांग में यह प्रत्याशित है कि यह विधेयक पास हो गया हैं । इसलिये यह मांग गलत है और इसको वापस लिया जाना चाहिये । क्योंकि इस से सारी मांगे गलत हो जाती हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री कामत की बात का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह व्यवस्था का प्रश्न किस नियम के अन्तर्गत उठाया है ?

श्री हरि विष्णु कामत: यह एक सामान्य नियम है । जब विधेयक ही पास नहीं हुआ है तो सभा के सामने मांग कैसे आ सकती है ?

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार को पता है कि धातु निगम ने अध्यादेश पर आपत्ति उठाई है और न्यायालय में इसका मुकदमा चल रहा है। जब यह स्थिति है तो इस मांग को कैसे शामिल किया जा सकता है ?

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह उपक्रम तभी अस्तित्व में आयेगा जब यह विधेयक पास हो जायेगा जब कोई उपक्रम ही इस सभा की दृष्टि में नहीं है तो मांग के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि सरकार को इसके लिये धन चाहिये वह किसी जगह से इसका प्रबन्ध कर सकती न कि इस सभा से ले सकती है। वैसे तो अध्यादेश की ही कोई आवश्यकता नहीं थी केवल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में इसको जारी करना चाहिये। इसलिये इस मांग पर चर्चा नहीं हो सकती है।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जब तक संसद विपरीत निर्णय न करे भारत का धातु निगम राष्ट्रपति की वैधानिक शक्तियों द्वारा भारत सरकार के प्रशासन के अधीन है। इस उपक्रम के काम को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। यदि संसद विपरीत निर्णय करती है तो जिनका व्यय हुआ है उनको मुआवज़ा दिया जायेगा और उस समय सभा सरकार के कान खेंच सकती है। परन्तु आज कानून की दृष्टि में यह उपक्रम सरकार के हाथ में है।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : पहले यह देखना उचित होगा कि क्या संसद उचित विधान को अध्यादेश के स्थान पर लायेगी। उसके पश्चात ही अनुदानों की मांग की जानी चाहिये। पहले से ही मांग करना उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के अनुसार अध्यादेश भी उतना ही अच्छा है जितना कि कानून। यदि विधेयक गिर जाता है तो मांग भी गिर जायेगी। अतः कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : आप बहुत गलत प्रथा पैदा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कटौती प्रस्तावों पर विचार करेंगे। श्री यशपाल सिंह यहां नहीं हैं। श्री बड़े।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
16	7	श्री बड़े	कि शिक्षा के संबंध में 1,000 रु० से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग 100 रु० कम कर दी जाये।	100 रु०
39	8	श्री बड़े	कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान के संबंध में 1,00,00,000 रु० से अनधिक की राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रु० कम कर दिये जायें।	100 रु०
47	9	श्री बड़े	कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्य राजस्व व्यय के संबंध में 7,50,00,000 रु० से अनधिक राशि के अनुपूरक अनुदान की मांग में 100 रु० कम कर दिये जायें।	100 रु०

उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री रंगा (चित्तूर) : मुझे पता है कि मांग संख्या 37 के अन्तर्गत सरकार ने केवल सांकेतिक राशि की मांग की है, परन्तु इस मांग का सम्बन्ध टैक्स क्रैडिट योजना से भी है। इस टैक्स क्रैडिट योजना के अन्तर्गत जो व्यक्ति सरकार द्वारा प्रमाणीकृत वस्तुओं की सूची में आने वाली वस्तुओं का निर्यात करेंगे उनको 15 प्रतिशत की छूट दी जायगी। लोगों ने इस योजना का स्वागत किया क्योंकि उनका विचार था कि इससे निर्यात में वृद्धि होगी। परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सम्बद्ध अधिकारियों ने अभ्रक को प्रमाणीकृत धातुओं की सूची में क्यों नहीं रखा विशेषकर जबकि इस के निर्यात से हमें बहुत विदेशी मुद्रा मिल सकती है।

यह दुख की बात है कि पिछले तीन चार वर्षों में अधिक निर्यात नहीं किया जा सकती। क्योंकि इसके मूल्यों में बहुत कमी रही है। राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश--इन तीनों राज्यों में जहां अभ्रक बहुत होता है--दो लाख से अधिक मज़दूर काम कर रहे हैं। इस लिये अभ्रक को प्रमाणीकृत सूची में अवश्य रखा जाना चाहिये। मेरा विचार है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

दूसरी बात चीनी के निर्यात के बारे में है। मैं इसका बहुत विरोध नहीं करता हूं क्योंकि सरकार को विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता है। इतनी अधिक आवश्यकता है कि वह उसे विदेशों में 230 रुपये और 620 रुपये टन के बीच के मूल्य में बेच रही है जबकि यहां लोगों को 950 रुपये प्रति टन देना पड़ता है। हमें यह सब कुछ सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण सहन करना पड़ रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि देश को आरम्भ में तो 10 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ रही थी। और अब 17 करोड़ 50 लाख रुपय की हानि उठानी पड़ रही है। हमें यह राशि खर्च करने से केवल 11 करोड़ 50 लाख रुपय की विदेशी मुद्रा ही मिलती है। मेरे विचार से तो यह अच्छा सौदा नहीं है जिसके लिये लोगों को इतनी कठिनाई सहन करनी पड़ रही है।

इस के साथ साथ गन्ना उत्पादकों को पारिश्रमिक मूल्य देने का प्रश्न आता है। दुख की बात है कि वे मूल्य बहुत कम रखे गये हैं। इस बारे में बहुत सी शिकायतें भी की गई हैं। परन्तु सरकार ने कह दिया है कि पारिश्रमिक मूल्य देना सम्भव नहीं है। मेरे विचार से चीनी का निर्यात करने से जितनी रकम का नुक्सान हो रहा है यदि सरकार उससे आधी रकम भी गन्ने की किसम में सुधार करने पर खर्च कर दे तो कुछ ही वर्षों में चीनी की उत्पादन लागत कम हो सकती है। परन्तु इस ओर कुछ नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कई लाख रुपयों का उपकर वसूल किया गया था और जिसे संचार व्यवस्था तथा गन्न के उत्पादन में सुधार करने के लिये प्रयोग में लाने का वचन दिया गया था उसका उस काम के लिये प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी ओर इस प्रकार इकटठी की गई रकम बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा अपने सामान्य राजस्व के लिये प्रयोग में लाई गई है। मुझे विश्वास है कि सरकार ऐसी चीजों को रोकने के लिय प्रयास करेगी।

तब गुड़ के भाव की बात आती है। कई बार यह सुना गया है कि गुड़ के भाव तेज होने के कारण चीनी के भाव कम नहीं किय जा सकते। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। गुड़ के भाव कमती ही बढ़ती होते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मई 1964 में गुड़ का भाव 204 रुपये था जबकि मई 1965 में यह 166 रुपये हो गया। यही कारण है कि गन्ना उत्पादकों को नुक्सान उठाना पड़ता है। इस के अतिरिक्त सरकार ने गुड़ उत्पादन को मूल्यों का निम्नतम स्तर बनाये रखने तथा उसे घोषित करने से इन्कार कर दिया है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह अब भी इस ओर ध्यान दे। जब सरकार ने फसलों के बीमे करने पर विचार करना आरम्भ कर दिया है, तो उसे गुड़ उत्पादकों का गुड़ के भावों में उतार चढ़ाव होने का बीमा करने के लिये विचार करना चाहिये।

मेरा विचार है कि सरकार केन्द्रीय मीनक्षेत्र निगम को अपने हाथ में ले रही है। मुझे खुशी है कि यह निगम बन तो रहा है। परन्तु सरकार ने इसकी स्थापना के लिये उचित व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने अभी यह भी नहीं विचार किया है कि इसका प्रशासनिक ढांचा क्या होगा, इस में कितने अधिकारी होंगे तथा इस के पास कितना धन होगा आदि। इस के बावजूद भी उन्होंने सभा के समक्ष सांकेतिक अनुदान के लिये मांग रख दी है। मेरे विचार से सभा में ऐसी मांग रखना उचित नहीं है।

[श्री रंगा)

अब मैं दो अन्य कम्पनियों का उल्लेख करूंगा। वे दो कम्पनियां है जेसप्स को० लिमिटेड तथा जावर मैटल कारपोरेशन। जेप्सस को० लिमिटेड को तो सरकार ने 1958 स अपने हाथ में ले लिया हुआ है। परन्तु हमें यह नहीं पता कि क्या उसके बाद से यह कम्पनी लाभ पर चल रही है या नहीं। जहां तक जावर मैटल कारपोरेशन का सम्बन्ध है वह लाभ पर नहीं चल रही है। इस लिये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस अवस्था में इसको लेने के लिये क्यों कहा जा रहा है। इसका परिणाम यह होता है कि उस उद्योग का घाटा सामान्य कर दाताओं को पूरा करना पड़ता है। यह वित्त नीति अच्छी नहीं है।

अब मैं आयल कारपोरेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उसके अधीन इंडियन ऑयल्स भी है। इण्डियन ऑयल्स को यह आश्वासन दिया गया है कि 9 प्रतिशत तक लाभ उठाने के लिय उसकी सहायता की जायेगी। परन्तु यह 9 प्रतिशत लाभ नहीं उठा सकती है क्योंकि दूसरे निगमों से व्यापार करने से उसे हानि होती है। इसका परिणाम यह होता है कि सामान्य कर दाताओं को वह हानि वहन करनी पड़ती है। इस लिये सरकार को ऐसे निगम नहीं बनाने चाहिये।

मैं माननीय सदस्य, श्री त्रि० ना० सिंह से प्रार्थना करूंगा कि वह देखें कि पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में यह क्या तमाशा हो रहा है और इसे ठीक करने का प्रयत्न करे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन सम्बन्धी संस्था बनाई जा रही है। मुझे अधिक प्रसन्नता होती यदि ऐसी संस्था को संसद के दोनों सदनों के सचिवालय बनाते और संसदविज्ञों, शिक्षाविदों, वकीलों तथा अन्य लोगों की सहायता लेते।

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : I want to say something about two demands.

First of all I want to speak about Demand No. 16. Under this demand request for money has been made for the Institute of Russian Studies. I am glad that this sort of institute is being brought into existence. This institute has been formed for the study of Russian language. It is all the more good that this institute will be a unit of the Jawaharlal Nehru University when it is set up. Research regarding Russian languages can be made through this institute. I cannot say anything in detail because the whole picture is not yet before us. But I want to suggest something. This institute is going to be set up in Delhi. In this connection I would like to submit that selection in this Institute should be done in such a manner that those students who are putting up at far off places from Delhi may also get admission in this institute. I want that selection should be done through an examination on an All-India basis and the deserving students must get a chance.

I fear that there can be such cases of such students who are deserving but cannot afford the expenses of Delhi. They cannot come to Delhi and take admission in this Institution. I would, therefore, wish that they should be given handsome scholarships so that they may not be deprived of this benefit of taking education from this institution

My second demand relates to Demand No. 110. I support this demand. Ours is a democratic country. Our Parliament consists of two Houses and in most of our States there are also two Houses. Up to this time there is no such institution in this country which could carry on research in the subjects relating to parliamentary system. Sometimes certain points arise here which cannot be solved easily there we have to depend on the decisions taken by the British Parliament. Therefore there is need of an institution in the country which could study the

various aspects of the problem relating to Constitutional and parliamentary system. When such an institution comes into being such persons who take interest in the Constitution and also those who want to study the parliamentary system may be taken in that Institution. Though there is scope for such study in the Universities yet there is need of a Central Institute which could come to certain conclusions with the coordination of the Universities. I think that the sum of Rupees two lakhs earmarked for this Institution is too little a sum. The aims and objects of this Institution cannot be achieved unless this amount is enhanced and I hope that it will be done so later on.

Then some demands have been put regarding Agricultural Re-finance Corporation. This Corporation has done some work but not of an advanced nature. The accounts of this corporation reveal that which they have to pay dividend amounting to Rs. 21 lakhs and 29 thousand for the year 1964-65 their saving is of Rs. 18 lakhs 22 thousand and fiftythree only. Government will have to bear the rest amount. I, therefore, want that this Corporation should be run in such a way that Government has not to pay anything from its pocket.

With these words I support these demands.

श्री मा० ल० जाधव (मालेगाँव) : बहुत से राज्यों में ऋण देने की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। इस लिये जिन राज्यों में सहकारी संस्थायें तथा सहकारी बैंक सफल नहीं हुए है वहां उनको सफल बनाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त बेचारे किसान को इस लिये ऋण नहीं दिया जाता हैं क्योंकि वह जमानत नहीं दे सकता। मेरे विचार से जमानत ऋण देने का आधार नहीं होना चाहिये। उत्पादन बढ़ाने की क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिये। जिन राज्यों में ऋण देने की व्यवस्था नहीं है वहां यह व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये। इसके लिये हमें देखना चाहिये कि ऐग्रिकल्चरल रिफाइनेन्स कारपोरेशन सफलतापूर्वक काम करे। जब हम अनाज आयात करने पर करोड़ों रुपये खर्च कर देते है, तो हमें कृषकों को ऋण देना चाहिये ताकि वे उत्पादन बढ़ाने में रुचि लें।

अब मैं मांग संख्या 83 पर आता हूं। यह पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की मांग है। मुझे अपने राज्य महाराष्ट्र से बहुत से तार आये है कि वहां कच्चे तेल और डीज़ल तेल की कमी है। इस कमी के कारण बहुत से इंजन बेकार पड़े हैं। यह बहुत अचम्बे की बात है कि जब हम अनाज में वृद्धि करने की बात कर रहे हैं, तो उस समय कच्चे तेल और डीज़ल तेल की कमी हो रही है। यह अच्छी बात नहीं है। किसानों को तेल अवश्य दिया जाना चाहिये।

अब मैं मांग संख्या 47 पर आता हूं। हम चीनी का तो निर्यात कर रहे है परन्तु गुड़ उद्योग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले वर्ष गुड़ उत्पादकों को बड़ी हानि हुई। गुड़ के दाम कम हो गये थे और उनको हानि का सामना करना पड़ा। इस लिये हमें यह देखना चाहिये कि गुड़ उद्योग को हानि न पहुंचे। गुड़ को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर रोक के कारण भी गुड़ उद्योग पर प्रभाव पड़ता है।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Bade (Khargone) : I would first of all like to draw the attention of Government towards Demand No. 30. This demand is like this :

> "The Government of India have decided to render financial assistance in the form of grants and loans to the State Governments of Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan in connection with the relief and other measures necessitated by the recent hostilities with Pakistan."

[Shri Bade]

In this connection I want to draw the attention of the hon. Minister, Shri Tyagi. I want to tell him that most of the displaced persons are in Jammu. Out of the 96 thousand displaced persons about half are such who could not bring any thing with them. Some camps have been set up for these persons. I want to draw the attention of Government especially towards the Muthi Camp where about fifteen thousand persons are passing the days in the open. The winter has set in and proper arrangements have not been made for them. Even drinking water is not available there. If dispensaries are there, the medicines have not been provided. I have been told that some persons have died on account of dysentery. Neither the Central Government nor the State Government feel their responsibility.

I would suggest that 70,000 persons displaced from Akhnoor should be settled on the borders of Sialkot and Poonch because they are anti-Pakistani and will be in majority in the Muslim population already there.

Government have also not made proper arrangements for the displaced persons from Poonch. They have not been provided with quilts and blankets.

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : You will be surprised to know that forty four thousand quilts have already been distributed.

Shri Bade : All that I can say is that Government should not depend entirely on Kashmir Government. In case proper arrangements are not made, these displaced persons will not be able to derive benefit out of the money spent by Government. The Jan Sangh and other parties of Srinagar have released a statement depicting the complete picture of these persons. In Muthi Camp fifteen thousand persons are without quilts or blankets. This is a sorry state of affairs and proper heed should be paid towards it.

The Government should not depend upon Kashmir Government for this purpose. A committee should be formed which should have a right to give anything to anybody whom they consider to be deserving.

Now I come to demand No. 47 which is regarding the export of sugar. A question in this connection was asked in Rajya Sabha which was replied by Shri Chavan. In that answer it has been told that the sugarcane produced in Madras and Maharashtra is superior to that which is produced in U. P. and this is the reason why loss is sustained. When Government knows this things, I fail to understand why more sugar factories are not set up in Madras and Mysore.

We are also selling sugar in foreign markets at cheaper rates than what they are in India. This is reason why we are sustaining loss.

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : There are some international agreements entered into by Government. We have to export whatever quantity we are expected to export under international agreements.

Shri Bade : International agreements can also be revised. Even America wants to cancel the agreement entered into under P. L. 480.

I have also to say something about the Russian institute. Some persons from Madhya Pradesh have come here after resigning their posts and they are told

that they will be given a stipend amounting to Rs. 75 only. I think that it is too less a stipend and should be raised at least upto Rs. 150. In case it is not raised most of the persons will not stick here.

It would have been better had a separate building been taken up for this institute.

I also welcome the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies recently formed.

At the end I would again request that a Committee should be set up and the amount be spent on the refugees through this Committee instead of depending on Kashmir Government.

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मेरे मंत्रालय से पूछे गये हैं उनका उत्तर देकर मैं दूसरे सदन में जाना चाहता हूं। श्री रंगा ने कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जावर माइन को लेकर हमने ठीक ही किया था। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमने इसे लेकर उसे बचा दिया।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यदि यही बात है, तो क्या मंत्री महोदय यह बता सकते है कि इसे दो वर्ष पूर्व क्यों नहीं लिया गया था, जबकि ऋण के लिये आवेदन-पत्र भेजा गया था और मार्च 1964 में इसे क्यों नहीं लिया गया था जब तकनीकि समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और इस तरह देरी करने से नौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि उठाई गई है।

श्री त्रि० ना० सिंह : तथ्य तो यह है कि इसे लेने के लिये दूसरी ओर से भी बहुत अड़चने हुई है। इस लिये इसे लेने के लिये हमें कानून बनाना पड़ा इसलिये ऐसा करना आवश्यक हो गया।

जहां तक जेसप्स का सम्बन्ध है प्रो० रंगा ने इसके प्रबन्ध पर बहुत संशय किया है। जब हमने इस कम्पनी को 1957 में लिया तो इसकी हालत डांवाडोल थी। उस वर्ष कोई लाभांश नहीं दिया गया था। परन्तु इसे लेने के बाद हमने छः प्रतिशत लाभांश दिया इसके रिजर्व 53 लाख से 103 लाख हो गये है। 1964 में और भी बढ़ गये हैं। इससे लाभ 76 लाख हुआ जबकि यह 27 लाख था और लाभांश 12 प्रतिशत हो गया जबकि 1957 में शून्य था। इस लिये मेरे विचार से हमने जो कुछ किया ठीक ही किया है।

हमने यह भी देख लिया है कि अभ्रक उद्योग को कर से छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri Hans Raj (Kangra) : In my speech I will only take demand No. 39 and demand No. 127. First of all I will say something about motor transporters. During the recent Indo-Pak conflict they have done a very good service to the nation. Our motor drivers and truck drivers have been providing ration and other essential commodities to our Jawans even in the forward areas. While doing so they even took the risk of their lives. Our Commander-in-Chief has praised them in the following words :—

"Many of you braved shells and bullets shoulder to shoulder with the army's administrative services while some of you lost your lives for the cause."

[Shri Hans Raj]

Similarly Lieutenant-General Harbans Singh, Incharge Western Command and our hon. Minister Shri Raj Bahadur have high praise for them.

I am grateful to the Government for having given ex-gratia grants to the families of those motor and truck drivers who laid down their lives while carrying rations and other commodities in the forward areas. But at the same time I would wish that something more should be done for them.

In almost every State and specially in my State Punjab new taxes are being imposed on the transport department. I would, therefore, like that these taxes should not be imposed taking into consideration the fact that these persons have helped the Government during this emergency. These poor motor and truck drivers should be helped more as mere words of praise will not do much for them.

In Punjab most of the persons have been displaced from the Khem Karan and Fazilka areas. They had to suffer a lot because of bomb shelling during the Indo-Pak conflict. In all there was a loss of rupees nine crores. Only day before yesterday Shri Tyagi had told that some amount has been given to the Punjab Government. But I would submit that the amount given is too small as compared to the loss. They should be helped more.

Even electricity has not been provided in the camps where they are putting up at present.

The industries of the border areas have been affected a lot. The loans should be, therefore, provided to the industrialists. At least they should be exempted from the taxes for some time.

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : It has been announced that they will be given relief in excise duty.

Shri Hem Raj : In Kangra district most of the tea gardens have been affected because of the green tea which was previously exported to Afghanistan is not exported now. I would therefore request the Government to find out some new markets for the same so that these gardens do not come to a standstill and thus result in unemployment. Hence I support these demands.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) **:** I want to draw the attention of the hon. Minister to the aspect of demand No. 39. We, who have been paying their premium first, should be given full compensation in various Insurance Schemes. There are people who could not pay their premium due to the disorder created by the invasion of Pakistan. Their past record should be taken into consideration. There has been large scale destruction due to war with Pakistan. Rupees one crore are needed to meet the immediate requirements. We shall have to go ahead after filling due priorities. We have to work according to a regular scheme.

There is a shortage of kerosene oil, and petrolium. This shortage can create a serious situation in times to come. We should try toprocure such things in sufficient quantity. We should also consider to change certain aspects of our fundamental policy during the fourth Five Year Plan. We should also be careful about the losses we are incurring in the export of sugar. We will not be able to sustain this loss for an indefinite period. We shall have to give a dispassionate thought to this question.

Slow moving has proved to be very harmful. Due to this slow moving we had to incur the loss of 9 crores of rupees in taking over the management of Metal Corporation. Until the implementing of policies are not speeded up we shall ever remain in loss.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मैं मांग संख्या 16 का हार्दिक समर्थन करता हूं । रूसी अध्ययन संस्था में ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमों तथा गोष्ठियों पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिये। इससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को थोड़े ही समय में यह भाषा सीखने में सुविधा हो जायेगी।

मांग संख्या 37 कृषि पुनर्वित्त निगम के सम्बन्ध में है। यह निगम द्वारा उपलब्ध की गई ऋण सम्बन्धी सुविधाओं का बहुत से राज्यों में, कई सहकारी संस्थाओं ने तथा भूमि बंधक बैंको ने लाभ नहीं उठाया। मेरा कहना है कि निगम के नियमों तथा विनियमों में उदारता लाई जानी चाहिये। उसे देश की किसानों की आशाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया ही जाना चाहिये। यह तो हमें मालूम है कि कृषकों को ऋण देने के लिए बहुत संस्थायें स्थापित की जा रही है। परन्तु कितने खेद की बात है कि किसानों को कर्जा नहीं मिलता। इसमें समन्वय होना चाहिए। वास्तव में अच्छा यही है कि सारे ऋण एक ही स्त्रोत से उपलब्ध होने चाहिए। उसमें उन्हें समय पर कर्जा मिल भी सकेगा तथा कोई पक्षपात होने की सम्भावना भी नहीं होगी।

यह चिन्ता का विषय है कि आगामी वर्ष चीनी उत्पादन के लिए अच्छा नहीं होगा। अतः मेरा निवेदन है कि चीनी के निर्यात के बारे में फैसला करते समय हमें देश की आवश्यकताओं का अनुमान लगा लेना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि चीनी के लाइसेंस देते समय सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाय।

Shri Utiya (Shahdol) : New demands of 85 crores of rupees have been brought before the House. I am of the opinion that these supplementary demands tell the story of the inefficiency of the Government. When we are asking our people fast every week, we should ban all exports of Sugar and fruits etc. These exports are only giving advantage to the rich class.

As far as the question of agricultural production is concerned, we shall have to pay the required attention to needs of the farmers. We should give them help at a proper time. There are several schemes for the welfare of the farmers, but actually no benefit is being taken by them. We should try to have contact with the rural people in order to understand their difficulties and woes.

श्री प्र० चं० बरुआ (शिब सागर) : मैं केवल मांग संख्या 37 पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। इसके अन्तर्गत 5,25,000 रुपये मांगे गये है। संस्थान को चलाने के लिए खर्च तो चाहिए, परन्तु गत वर्ष वित्त मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि वह संस्थान पर होने वाले खर्चे को कम करेंगे। मांग संख्या 35 के अन्तर्गत कर उधार (निर्यात) योजना के पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों पर खर्च करने के लिये 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। मेरा निवेदन यह है कि यह बात वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के प्रतिकूल है। वहां पर खर्चे में काफी कमी किये जाने की गुंजाइश है।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि चाय और पटसन उद्योगों द्वारा देश के लिए अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। इस पर भी जहां तक कर उधार का सम्बन्ध है, उन्हें बहुत ही निम्न श्रणी में रखा गया है। सरकार चाय निर्यात पर उत्पादन-शुल्क

[श्री प्र० चं० बरुआ]

में 17 पैसे की कमी के बारे में चारी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश को स्वीकार नहीं कर रही। मेरा कहना है कि यदि सरकार चाहती है कि इस उद्योग में उत्पादन बढ़े तो इसे वह सभी सुविधायें दी जानी चाहिये जो उसको दी जानी है।

श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगाबाद) : मैं केवल दो मदों पर बोलूंगा। एक रूसी अध्ययन संस्था के बारे में और दूसरा संवैधानिक संसदीय अध्ययन के बारे में। यह हर्ष की बात है कि इस दिशा में रूस ने काफी प्रगति की है। परन्तु अब तो रूस स्टालिन की नीति से बहुत दूर चला गया है। उस समय वह विभिन्न देशों में क्रांतियां कराने में विश्वास रखते थे। मैं रूसी अध्ययन संस्था की स्थापना का स्वागत करता हूं। परन्तु इसके साथ साथ हमें आगामी वर्षों में किसी प्रकार के सिद्धान्त शिक्षण से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि निकट भविष्य में विद्यार्थियों की अदला-बदली जैसे किसी तरह के विनिमय सम्बन्धी गतिविधियों पर विचार किया जा रहा है।

इसी तरह का प्रश्न संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन की संस्था के लिए मांग पर विचार करते समय अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के लेखों पर विचार करने के लिए स्थापित की गयी समिति को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आगामी वर्ष में इस संस्था की क्या गतिविधियां होंगी। इस संस्था के पदाधिकारियों में कम से कम एक अथवा दो ऐसे सदस्य भी होने चाहिए जो संविधान सभा के सदस्य रहे हों। मेरे विचार में यह राष्ट्रीय महत्व का निकाय है और यह लोकहित में होगा कि इससे लिये जाने वाला किराया बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इस विषय को राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से सोचा जाना चाहिए।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर मध्य दक्षिण) : मैं सब से पहले मांग संख्या 47 पर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा। इसके अन्तर्गत 17·5 करोड़ की मांग है जोकि चीनी उद्योग को सहायता के रूप में अनुदान दिया जाना है। इससे निर्यात से हुए घाटे को पूरा किया जायेगा। पहले यह राशि 10 करोड़ रखी गयी थी, परन्तु अब इसे बढ़ा दिया गया है। मेरे विचार में यह राशि अधिक है। यह भी सोचना होगा कि इसमें जो जोखिम है, उसे देखते हुए, हमें इससे चिन्तित नहीं होना चाहिए। चीनी का निर्यात हमें यथापूर्व कायम रखना चाहिए। हमें अन्तर्राष्ट्रीय चीनी बाजार से निकलने के किसी भी सुझाव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा कहना यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के लिए अधिक राशि देने हेतु 71·43 करोड़ रुपये की जो अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि ने सभी पूर्ण रूप से सदस्यों के कोटे में 29 प्रतिशत को सामान्य वृद्धि करने का निर्णय किया है। इससे न केवल हम बढ़ाये गये कोटे के अनुमान से राशि निकालने का अधिकार ही मिल जायेगा परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय तरल मुद्रा के क्षेत्र में एक गम्भीर संकट की एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं केवल दो तीन मदों तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा। मैं रूसी अध्ययन संस्था के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी मांग का समर्थन करता हूं। परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि हमारे यहां इसके अतिरिक्त और कोई अध्ययन क्षेत्र ही नहीं है। मैं रूसी अध्ययन संस्था का स्वागत करता हूं। परन्तु सरकार को इसके लिए कायम और एकीकृत योजना बनानी चाहिए। इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा लाटीनी अमरीका, स्केंडेनेविया, पश्चिमी यूरोप तथा अफ्रीका के देशों के सम्बन्ध में अध्ययन केन्द्र तैयार करने की आवश्यकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि ये ऐसे क्षेत्र है जिनका महत्व बहुत

अधिक हैं। लोगों की इनमें रूचि है । फिर आज की स्थिति में वैसे भी हमारे देश की रूचि इस ओर बढ़नी चाहिए। यह इससे भी कही अच्छा होता यदि क्षेत्रीय अध्ययन की एक संस्था को स्थापित किया जाता जिसमें रूसी अध्ययन को भी शामिल किया जा सकता।

इस दिशा में मेरा यह भी कहना है कि भारतीय भाषाओं के विकास तथा अध्ययन के लिए भी एक संस्था की आवश्यकता है। भारतीय संगम नाम की एक संस्था इस उद्देश्य से स्थापित की गयी थी, परन्तु सरकार ने इस ओर कोई विशेष उत्साह दिखाया नहीं है। यह संस्था भारत की सभी भाषाओं की संस्था होनी चाहिए थी। यह अच्छी बात होगी यदि इस चल रही संस्था की सहायता की जाय । यदि यह किसी कारण से यह सम्भव नहीं तो इस मामले में सक्रीय तथा ठोस रूप से कुछ किया जाना चाहिए। इसके लिए एक संस्था का विकास किया जाना बड़ा जरूरी है। उसे इस दिशा में रचनात्मक कार्य करना चाहिए।

मुझे संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था के बारे में कुछ नहीं कहना। केवल इतना ही निवेदन करना है कि इस प्रकार की संस्था की हमारे देश में बहुत आवश्यकता है। और यह आशा की जा रही है कि यह संस्था कुछ न कुछ शानदार काम कर सकेगी। परन्तु इसके लिए अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना तब ही सम्भव होगा यदि सभी दिशाओं से इसे सहयोग प्राप्त होगा। विशेष कर संसद सदस्यों को तो इस संस्था को सहयोग देना ही चाहिए।

[डा० सरोजिनी माहिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

इसके पश्चात मैं सभा का ध्यान मांग संख्या 140 की ओर आकृष्ट करवाता हूं। हमें यह बताया गया है कि धातु निगम का अधिग्रहण करना बहुत जरूरी था । और इसके लिए एक विधान लाना राष्ट्रीय हित में था । परन्तु यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस प्रकार से यह किया गया है इससे ऐसा प्रतित होता है कि यह कार्य बहुत ही निन्दनीय है। मार्च 1964 में तकनीकी समिति के प्रतिवेदन में यह बात सरकार पर स्पष्ट कर दी गयी थी कि इस दिशा में कुछ न कुछ किये जाने की आवश्यकता है। यदि कार्यवाही उचित समय पर की जाती तो हमें 9 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती थी। इसके अतिरिक्त मनमुराव की भावनाओं से भी बचा जा सकता था।

यह भी उल्लेखनीय है कि इसके लिए सरकार द्वारा कुछ बचन दिये गये थे परन्तु उनको पूरा नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि कुछ अन्य निगमों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाये गये सामान्य रवैये के विपरीत सरकार ने इस निगम से अच्छा व्यवहार नहीं किया है। हम यह भी जानना चाहते है कि क्या तकनीकी विकास के महानिदेशक की अध्यक्षता में समिति के प्रतिवेदन के साथ विमति टिप्पण भी दिया गया था। काफी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, अतः इसके बारे में सरकार को कुछ न कुछ तो करना ही होगा।

चीनी के निर्यात के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि ऐसे समय पर जब कि देश में चीनी की बहुत कमी है, जरूरत इस बात की है कि हम इसका निर्यात न करें जो कि इस समय हम बहुत हानि उठा कर कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सबसे पहले मैं मांग संख्या 47 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके अन्तर्गत 7·5 करोड़ रुपये की चीनी उद्योग को राज सहायता दी जा रही है। यह उस उद्योग को निर्यात में हानि हुई है। यह निर्यात हमें विदेशी मुद्रा कमाने के लिये करते हैं। यह अच्छा होगा यदि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयीकरण कर लिया जाये। मेरे राज्य में चीनी

[श्री स० मो० बनर्जी]

का बहुत उत्पादन होता है। सरकार को देश में चीनी की खपत के लिये अधिक चीनी उपलब्ध करनी चाहिये। वर्तमान स्थिति में लोगों को अपनी मांग के अनुसार चीनी नहीं मिल रही है। अब सुनने में आ रहा है कि चीनी परसे कंट्रोल हटाया जा रहा है। यह कार्य कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के हितों की पूर्ति के लिये किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री बतायें कि हमें चीनी के निर्यात से पिछले तीन वर्षों में कितना लाभ हुआ है और सरकार चीनी उद्योग को कितनी सहायता दे रही है।

मैं राष्ट्रीयीकरण का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं मीनक्षेत्र निगम लोगों की मछली की मांगों को पूरा करने में सफल होगा। पश्चिमी बंगाल सरकार ने दूध की सप्लाई बनाये रखने के लिये संदेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया था, परन्तु खेद की बात है कि संदेश के साथ साथ दूध भी नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकारी निगमों को अधिक कार्यकुशलता से कार्य करना चाहिये। इनको केवल सेवा निवृतिप्राप्त लोगों को पुनः नियुक्त करने के लिये ही नहीं होना चाहिये।

मैं सरकार द्वारा मैटल कार्पोरेशन को अपने हाथ में लेने के निर्णय को समझ नहीं सका। यह एक बहुत छोटा-सा कोर्पोरेशन है। कहा गया है कि इसके मैटल प्रतिरक्षा कार्यों के लिये चाहिये। परन्तु अभी तक इससे कुछ भी इस कार्य के लिये नहीं लिया गया है। यदि इस कार्पोरेशन के कार्य संचालन में कुछ त्रुटियां थी तो उनकी जांच होनी चाहिये थी। इस सम्बन्ध में पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका भी प्रस्तुत हुई है। ऐसी स्थिति में भी हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि यह कार्पोरेशन राजस्थान में स्थापित किया जायेगा। इस बारे में यह बताया जाना चाहिये कि क्या यह कार्पोरेशन पूर्ण रूप से सरकारी होगा या कुछ उद्योगपति इस से सम्बद्ध होंगे। जब सभा का सत्र आरंभ होने में थोडे ही दिन शेष थे तो इस सम्बन्ध में अध्यादेश क्यों जारी किया गया था?

श्री सुब्बरामन (मदुरै) : इन मांगों में 7.5 करोड़ रुपया चीनी उद्योग को हुई हानि को पूरा करने के लिये दिया जा रहा है। जब यह पूछा गया था कि देश में चीनी की अधिक मांग के होते हुए विदेशों में कम मूल्य पर चीनी क्यों भेजी जा रही है। उसके उत्तर में उपमंत्री जी ने कहा था कि हमने करार कर रखे अतः उनका पूरा करना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि उन समझौतों पर फिर से विचार होना चाहिये। महाराष्ट्र सरकार ने गन्ने के स्थान पर अधिक क्षेत्र में अनाज वाली खेती करने का निश्चय किया है। इसका पूरे देश में अनुकरण होना चाहिये। इस से देश की अनाज के उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी और हमें खाद्यान्नों आयात नहीं करना पड़ेगा।

मैं मत्स्य-पालन निगम का स्वागत करता हूं। मुझे आशा है अब हमें इसके लिये पाकिस्तान पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा और हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार मछली प्राप्त होगी। हमारे ऐसे बहुत नदियों के तथा समुद्र के क्षेत्र है जहां से मछली पकड़ी जा सकती है।

सरकार के मैटल कार्पोरेशन को अपने हाथ में लेने सम्बन्धी निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। इस सम्बन्ध में अपनाये तरीके की आलोचना हुई है। मैं चाहता हूं हमें धातुओं के बारे में आत्मनिर्भर बनना है। वर्तमान स्थिति में इनका बहुत महत्व है। रूसी भाषा के अध्ययन के लिये एक संस्था की स्थापना की जा रही है। यह एक अच्छा निर्णय है। रूस ने विश्व के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया है। भारत का योगदान भी कम नहीं है। दोनों देशो की विख्यात पुस्तकों का अनुवाद होना चाहिये और लाभ उठाया जाना चाहिये। कृषि पुनः वित्त कार्पोरेशन द्वारा लाभांश के भुगतान के लिये मांग प्रस्तुत की गई है।

आशा करता हूं कि आगामी वर्ष से ऐसा नहीं किया जायेगा । संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन के बारे में स्थापित किये जा रहे संस्थान को राज्यों के विधान मंडलों तथा संसद के नये सदस्यों की सहायता का काम करना चाहिये। मुझे आशा है यह लाभदायक सिद्ध होगा।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : इन 85.83 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का मैं स्वागत करता हूं। मांग संख्या 16 के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। रूसी अध्ययन संस्था भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग का एक और प्रमाण है। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने रूस के साथ मित्रता को विशेष रूप से महत्वपूर्ण समझा था और हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसे और सुदृढ़ किया है। भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सोवियत संघ से बहुत कुछ सीखा है और सहायता प्राप्त की है। विज्ञान के क्षेत्र में हम और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अबतक रूसी अध्ययन के बारे सुविधाओं की उपलब्धि का अभाव एक रूकावट थी। अब इस संस्थान की स्थापना से यह अभाव नहीं रहेगा। इस संस्थान का अध्ययन के सम्बन्ध में काफी विस्तृत पाठ्यक्रम होगा यह संस्थान प्रस्तावित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होगा।

मैं चीनी उद्योग को सहायता दिये जाने संबंधी मांग का भी समर्थन करता हूं। यह विदेशों में भेजी जाने वाली चीनी के व्यापार में घाटे को पूरा करने के लिये है। हमारे देश में चीनी पर उत्पादन व्यय बहुत अधिक है। हमें विदेशों में इसे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये कम मूल्य पर बेचना पड़ता है। इस से हमें प्रतिवर्ष 11.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मैं संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन सम्बन्धी संस्थान की स्थापना का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह संसद सदस्यों तथा अन्य विधायकों के लिये सहायक सिद्ध होगा।

पाकिस्तान के आक्रमण के शिकार हुए लोगों की सहायता के लिये दिये जा रहे धन का भी मैं समर्थन करता हूं।

श्री मानसिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : कृषि पुनर्वित्त निगम को दिये जा रहे धन के खर्च को ब्यौरेवार बताया जाना चाहिये। जब यह निगम बहुत बड़ा लाभ दिखाने लगेगी तो अब व्यय किया जाने वाला सरकार का धन वापिस कर दिया जायेगा। पाकिस्तानी आक्रमण के कारण शिकार हुए लोगों में गुजरात के लोगो को भी शामिल किया जाना चाहिये और जामनगर के निकट के क्षेत्र के लोगों को भी सहायता मिलनी चाहिये।

चीनी के निर्यात में हमें 7.5 करोड़ रुपये की हानि हुई है। हम 17.5 करोड़ रुपये का निर्यात करते है और हमें 11.5 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा मिलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें लगभग 40 प्रतिशत के मूल्य की हानि होती है।

हमारे देश में कई क्षेत्रों में चीनी की कमी महसूस होती रहती है, परन्तु फिर भी इसका निर्यात किया जा रहा है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया। हमें उस क्षेत्र में जिसमें गन्ना पैदा किया जाता है अनाज का उत्पादन करना चाहिये। आर्थिक दृष्टि से यह अधिक लाभदायक होगा।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : चीनी के निर्यात के प्रश्न पर यहां कई बार चर्चा हो चुकी है। घाटे पर चीनी के निर्यात करने की आलोचना की गई है। इस सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूं कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में शामिल हो चुका

[श्री दा० रा० चव्हाण]

है । वहां पर अपना स्थान बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि हम समझौतों के अनुसार चीनी सप्लाई करे। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप समझौता करें और उसे तोड़ दें। साथ में समझौते सरलता से हो भी नहीं पाते।

हमें केवल एक वर्ष को ही नहीं देखना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में बहुत कमी हो रही हैं। उनपर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं हैं। 1963 में मूल्य 103 पौंड प्रति टन था और अब यह 18 पौंड प्रति टन है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अधिक मूल्य के समय समझौता करलें और कम मूल्य के समय समझौता तोड़ दें।

श्री बनर्जी की यह बात बिल्कुल निराधार है कि मत्स्य पालन निगम निवृत्ति प्राप्त व्यक्तियों की पुनः नियुक्त करने के लिये बनाया जा रहा है। पहले हम पाकिस्तान से मछली प्राप्त किया करते थे परन्तु वर्तमान संघर्ष के कारण उस की सप्लाई बन्द हो गई है। यह एक अत्यावश्यक वस्तु है। इसी दृष्टि से यह निगम स्थापित किया जा रहा है। दूसरे कलकता में कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो इसकी बाज़ार में कमी पैदा कर देते है और लोगों को बहुत कठिनाई होती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से इस निगम की स्थापना की जा रही है। इस निगम के ये कार्य होंगे :—

उपभोक्ताओं को उचित दामों पर मछली उपलब्ध कराना, पाकिस्तान से इस का आयात समाप्त करना, भारत में उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना आदि। कलकत्ता में मछली निकटवर्ती राज्यों से लायी जायेगी। यह निगम मछली से सम्बद्ध सभी कामों का कार्य करेगा और विदेशों से भी सहयोग प्राप्त करेगा। यह निगम सरकारी क्षेत्र में एक उपक्रम होगा इससे कलकत्ता के लोगों को काफी लाभ होने की आशा है।

श्री रंगा ने कहा है कि गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य मिलना चाहिये। सरकार की यह नीति है कि उत्पादकों को अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिये। हमने गन्ने के मूल्य 2 रुपय मन या 5.36 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किये हैं। पिछले पांच वर्षों में यह उत्तरोत्तर बढ़ते ही रहे हैं। चीनी के मूल्यों में वृद्धि होने का यह भी एक कारण है। सरकार को उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करनी है।

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi) : There are about 3 lakh persons who have been uprooted as a result of Pakistani agression. They can be divided into three categories *viz.*, those who have come from our areas which have been occupied by Pakistan, then those who were evacuated from areas by our army so that they may remain behind the range of firing etc. and finally those who have come from Riyasi and Poonch sector of Kashmir. Shri Bade has said the condition of those people is extremely miserable. I am happy that the hon. Member has shown sympathy for those unfortunate people.

I may inform the House that about 50 thousand people of Riyasi area have gone back to their places. We provide such people with necessary facilities. In case of damage to their houses we give assistance for repairs etc.

So far as the people, belonging to those areas which are now under Pakistan are concerned, we have opened thirteen camps. We are arranging the supply of necessary articles. About one lakh and thirty two thousand quilts and blankets are being arranged. 88,000 pieces out of them have already been supplied. It is not a small job. Other types of clothes are also being given.

Jammu and Kashmir Government is arranging for providing them employment. About 30 thousand persons are engaged in road construction work. Lighting arrangements in camps have been made.

It is proposed to give two crores of rupees to Punjab as loans and grants. The Jammu and Kashmir Government would get one and half crores of rupees for this purpose. I promise to consider sympathetically all suggestions put forward by hon. Members. Some voluntary organisations are also helping us in providing relief to the victims of Pakistani aggression.

इस्पात तथा खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैटल कार्पोरेशन के बारे में शीघ्र ही एक विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। सरकार ने 1957 में सिद्धान्त रूप से सहमति प्रकट की थी कि इस कार्पोरेशन को सरकारी क्षेत्र में ले लिया जाये।

1960 में सरकार ने इसको 1 करोड़ रुपये का ऋण दिया। इसके अतिरिक्त औद्योगिक वित्त निगम ने इस के लिये गारंटी भी दी। 1963 में इस कार्पोरेशन ने और ऋण मांगा। 1964 में सरकार ने एक तकनीकी समिति की नियुक्ति की। उसकी रिपोर्ट मार्च, 1964 में प्राप्त हुई। उस पर एक अन्तर्मन्त्रालय सचिव समिति ने विचार किया। उनकी राय थी कि यह उपक्रम व्यवहार्य है।

माननीय सदस्यों को सरकार के इस निर्णय की सराहना करनी चाहिये। इससे हमें 3,50,00,000 रुपये की विदेशी मुद्रा का लाभ होगा। मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य विधेयक का समर्थन करेंगे।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : सर्व प्रथम मैं संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था के बारे में यह बताना चाहता हूं कि हमारा देश सब से बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है और इसलिये यह आवश्यक है कि यहां पर इस प्रकार की एक संस्था होनी चाहिये जो संवैधानिक इतिहास अथवा संसदीय प्रक्रियाओं तथा विभिन्न अन्य मामलों पर विचार करे। चूंकि संसद सदस्य इस से सम्बद्ध है और अध्यक्ष महोदय इस संस्था के सभापति है, अतः इसलिये इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि इसके प्रतिवेदन तथा लेखा किसको प्रस्तुत किया जायेगा और उन्हें किस प्रकार तैयार किया जायेगा।

रूसी अध्ययन संस्था के बारे में डा० सिंघवी ने जहां इसका स्वागत किया वहां उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी भाषाओं का भी अध्ययन करना चाहिये इस बात में मैं उन से पूर्णतया सहमत हूं कि हमें अपनी भाषाओं के अध्ययन का विकास करने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। मुझे आशा है कि रूसी अध्ययन संस्था की स्थापना हो जाने से रूसी साहित्य और इतिहास और अन्य मामलों में दिलचस्पी बढ़ेगी।

रूसी संस्था में विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृति अन्य संस्थाओं में दी जा रही छात्रवृति के आधार पर नियत की गई है। यदि भविष्य में यह संस्थायें कोई ऐसा निर्णय करेगी कि छात्रवृति में वृद्धि की जानी चाहिये तो इस मामले पर उस समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः विचार किया जा सकेगा।

जहां तक अभ्रक को कर में छूट देने वाली योजना के अन्तर्गत वस्तुओं की सूचि में शामिल करने का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि एक सलाहकार समिति इस बात पर विचार करती है कि कौनसी वस्तुओं को छूट दी जानी चाहिये और कितनी कितनी। सलाहकार समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त बनाये हैं जिनके आधार पर वह सिफारिशें करती है। सरकार के विचार में अभ्रक एक ऐसी वस्तु नहीं है जो उन शर्तों को पूरा करती है। फिर भी,

[श्री ब० रा० भगत]

मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस विषय पर पुन: विचार किया जायेगा, परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पाउडर के रूप में तैयार अभ्रक को उक्त योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है और इस पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाती है। पटसन और चाय के बारे में 2 प्रतिशत छूट देने का निश्चय किया गया है।

भारतीय तेल निगम को सहायता देने के बारे में श्री रंगा द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि आयल इन्डिया लिमिटेड द्वारा जो मूल्य लिया जाता है वह बर्मा आयल कम्पनी तथा आसाम आयल कम्पनी से किये गये समझौते के अनुसार लिया जाता है और इस में और अधिक समायोजन भी किया जा सकता है ताकि आयल इन्डिया लिमिटेड 9 प्रतिशत लाभांश घोषित कर सके। यह मूल्य कलकत्ता पर आयात किये गये तुलनात्मक कच्चे तेल के तटगत लागत के अनुसार निश्चित किया जाता है। ऐसा करना इसलिये आवश्यक है ताकि बरौनी तथा गोहाटी के कारखानों को गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों के स्तर पर रखा जा सके। जैसे ही "आयल इण्डिया" के उत्पादन में वृद्धि हो जायेगी तो उत्पादन-लागत भी कम हो जायेगी और इसे जो सहायता दी जा रही है उसमें भी कमी हो जायेगी और अन्ततोगत्वा इसे सहायता देना बन्द कर दिया जायेगा।

पुनर्वित निगम के बारे में श्री पटेल ने पूछा था कि उसको जो राशि दी गई वह अनुदान अथवा ऋण के रूप में दी गई है। सरकार ने न्यूनतम लाभांश देने की गारंटी दे रखी है और इस राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। जहां तक निगम द्वारा इस पूंजी को लौटाने का प्रश्न है ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इसे लौटाया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 7, 8 और 9 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Cut Motions Nos. 7, 8 and 9 were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिय रखी गई तथा स्वीकृत हुई । *The following Demands for Supplementary Grants in respect of Budget (General) were put and adopted.*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
16	शिक्षा	1,000
37	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	5,25,000
39	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	1,00,00,000
47	खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	7,50,00,000
83	पैट्रोल और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,65,00,000
110	लोक-सभा का अन्य राजस्व व्यय . .	1,00,000
121	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय .	71,43,00,000
130	खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	15,00,000
133	उद्योग और संभरण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	2,80,83,000
140	इस्पात और खान मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	20,00,000

विनियोग (संख्या 5) विधेयक

APPROPRIATION (NO. 5) BILL

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रंगा (चित्तूर) : सरकार ने नये कार्यों को हाथ में लेने तथा उनके लिये खर्चा जुटाने के लिये आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिये जो प्रक्रिया अपनाई है उस पर मुझे आपत्ति है। यह आशा की जाती है कि सरकार सामान्य आय-व्ययक प्रस्तुत करने से एक वर्ष पूर्व अपनी योजनायें तैयार करें और उनको क्रियान्वित करने से पूर्व संसद को इन नई योजनाओं से अवगत करें। परन्तु यह देखा गया है कि सरकार जब चाहती है तभी कोई न कोई नई योजना तैयार कर लेती है और इसके लिये आकस्मिक निधि से धन निकाल कर इसे क्रियान्वित करना आरम्भ कर देती है। जब यह सब कुछ हो जाता तो सरकार कभी अनुपूरक मांगों के रूप में तथा कभी अतिरिक्त मांगों के रूप में संसद की अनुमति लेने के लिये अपनी मांगें प्रस्तुत कर देती है। मानों इसे इस बात की पूरी स्वतंत्रता है कि जो चाहे और जब भी चाहे वह अपनी इच्छानुसार किसी नई योजना को क्रियान्वित करना आरम्भ कर दे। यह सभी बातें वित्तीय मामलों में असावधानी, गैर-जिम्मेदारी तथा सभा की प्रक्रियाओं के प्रति आदर की कमी की द्योतक है। सरकार यह आश्वासन दे कि भविष्य में वह इस सम्बन्ध में अधिक सावधान रहेगी।

श्री ब० रा० भगत : इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि संविधान में भारत की एक विशेष आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है जिसमें से हम अविलम्बनीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये धन निकाल सकते हैं। जब मांगें सभा द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो यह राशि आकस्मिक निधि में डाल दी जाती है। अत: मेरे विचार में इस में गैर-जिम्मेदारी की कोई बात नहीं है।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :—

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशिओं के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

श्री ब० रा० भगत : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 218(2) के अन्तर्गत विधेयक के पूरःस्थापित "सभा में विनियोग विधेयक के पुरः स्थापित होने के बाद किसी भी समय, अध्यक्ष सभा द्वारा विधेयक के पारण में अन्तर्गस्त सभी या किसी प्रक्रम को पूरा करने के लिये संयुक्त रूप से या अलग अलग एक या कई दिन नियत कर सकेगा"।

मुझे आशा है इस के लिये कम-से-कम दो दिन नियत किये जायेंगे। परन्तु इस समय इस पर विचार किया जाना नियमानुकूल नहीं होगा।

सभापति महोदया : यदि वह उप-नियम (4) पढ़ेंगे तो मुझे पूर्ण आशा है कि उसे इस बात का संतोषजनक उत्तर मिल जायेगा। इस उप-नियम में यह व्यवस्था है :—

> "विनियोग विधेयक पर वाद-विवाद लोकमहत्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों में अंतर्निहित प्रशासनीय नीति के ऐसे विषयों तक सीमित रहेगी जो पहले ही उस समय न उठाये जा चुके हों जबकि संगत अनुदानों की मांगें विचाराधीन थीं।"

श्री हरि विष्ण कामत : परन्तु मूल रूप में जो बात है वह यह है कि विधेयक के पुरःस्थापित होने के पश्चात इस पर अग्रेतर विचार करने के लिये एक अथवा कई दिन नियत किये जायेंगे। आप आज ही इसे पारित नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदया : अध्यक्ष महोदय अपने विवेक से ऐसा कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : श्री कामत ने जिस नियम का उल्लेख किया है वह एक अनिवार्य नियम है, इस में अध्यक्ष के विवेकाधिकार की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु यदि आप सभा से यह कहे कि इस नियम से छूट दी जाये तो वह एक भिन्न बात होगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस प्रश्न को 1958 अथवा 1959 में भी सभा में उठाया गया था। तब अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय किया था कि विनियोग विधेयक पर चर्चा की जा सकती है। यदि मुझे समय दिया जाये तो मैं उक्त विनिर्णय की एक प्रति प्रस्तुत कर सकता हूं। हम विनियोग विधेयक पर तथा इसके सभी खण्डों पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : हम इसे आज पारित नहीं कर सकते हैं।

सभापति महोदया : इसे पारित भले ही न किया जाये। हम तो केवल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस पर अभी चर्चा की जा सकती है अथवा नहीं। चूंकि इसे कार्य-सूची में पहले ही शामिल कर दिया गया है, अतः अध्यक्ष महोदय ने अपने विवेक से अपनी अनुमति दे दी है कि इस पर विचार किया जाये।

श्री हरि विष्णु कामत : किसी मद को कार्य-सूची में शामिल कर देने का यह अर्थ नहीं है कि वह नियमानुकूल है। हम व्यवस्था का प्रश्न किसी समय ही उठा सकते हैं और यह सिद्ध कर सकते है कि यह नियमानुकूल नहीं है।

सभापति महोदया : मैं माननीय सदस्य का ध्यान लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी पुस्तिका में खण्ड नौ की ओर दिलाता हूं जिसमें यह कहा गया है कि विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष ने विनियोग विधेयक को एक ही दिन में पुरः स्थापित तथा पारित होने दिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु आज ऐसी कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां हैं?

सभापति महोदया : मैं यह भी बता दूं कि विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1957 को एक ही दिन 16 दिसम्बर, 1957 को पुरःस्थापित तथा पारित किया गया था। यह पारित भले ही न किया जाये परन्तु इस समय हम केवल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या हम इस पर आज अग्रेतर चर्चा कर सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि आप अपने विवेक से ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो ठीक है। परन्तु इस पर आज मतदान नहीं होना चाहिये। इसे केवल कल ही पारित किया जाना चाहिये।

सभापति महोदया : क्या कोई इस चर्चा में भाग लेना चाहता है?

श्री हरि विष्णु कामत : जी हां, सभापति महोदया, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सभा को अश्वासन दें कि वह निर्माण तथा आवास मंत्री से संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था से वसूल किये जा रहे इतने अधिक भाड़े का प्रश्न उठायेंगे। मंत्री महोदय को यह देखना चाहिये कि इस संस्था से 3,000 रुपये अथवा 3,500 रुपये किराया न लिया जाये। उन्होंने यह उत्तर दिया है कि यह मामला तो संस्था और सम्बधित विभाग के बीच है। यह उत्तर बिल्कुल नहीं जंचता है। रूसी अध्ययन संस्था के बारे में मैं ने कहा था कि जहां मैं इसकी स्थापना का स्वागत करता हूं, वहां मैं मंत्री महोदय को चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्हें सावधान रहना चाहिये कि हम कहीं अवांछनीय सैद्धांतिक प्रभाव में न आ जायें। परन्तु मंत्री महोदय ने इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री ब० रा० भगत : मुझे इस बात का पता नहीं था कि माननीय सदस्य यह आशा करते है कि इसका उत्तर दिया जाये।

श्री हरि विष्णु कामत : जी, हां।

सभापति महोदया : क्या वह कल अपना भाषण जारी रखना चाहेंगे?

श्री हरि विष्णु कामत : यह अधिक अच्छा होता यदि इस पर कल विचार किया जाता।

सभापति महोदया : सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 19 नवम्बर, 1965/28 कार्तिक, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, November' 19, 1965/Kartika 28, 1887 (Saka).

भा०स०मु०—वि० 1—1 लोक सभा 65—31-8-66—600.